


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 1



विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
विहंगावलोकन	-	vii - xiii
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.2	4
कर निर्धारण में बकाया	1.3	4
विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन	1.4	5
धन वापसी के बकाया प्रकरण	1.5	6
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर	1.6	6
भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा	1.7	9
लेखापरीक्षा योजना	1.8	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	12
यह प्रतिवेदन	1.10	13
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट		
कर प्रशासन	2.1	15
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	17
'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.4	18
शास्ति का अनारोपण	2.5	57
पेट्रोलियम व्यवहारियों को प्रशमन योजना में गलत लाभ देना	2.6	57
प्रवेश कर का अनारोपण	2.7	58

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-III: वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	61
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.2	61
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	63
परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के उपाय	3.4	64
गैर परिवहन वाहनों से एकबारीय कर की अवसूली/कम वसूली	3.5	79
एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली	3.6	79
शासकीय धन का गबन	3.7	80
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.8	82
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर और अधिभार का कम आरोपण	3.9	84
अध्याय-IV: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	85
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	85
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	87
आवंटित तथा समर्पित भूमि के बाजार मूल्य में अन्तर की अवसूली	4.4	88
रूपान्तरण प्रभारों की कम वसूली	4.5	89
सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव	4.6	91
अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	93
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.2	93
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	95
अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज का अनारोपण/कम आरोपण	5.4	96
विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	5.5	99

	सन्दर्भ	अनुच्छेद	पृष्ठ
साझेदारी फर्मों को अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर का अनारोपण	5.6	102	
शर्तों के उल्लंघन पर प्रदत्त मुद्रांक कर छूट की अवसूली	5.7	103	
सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.8	104	
सम्पत्तियों के मूल्यांकन में दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू करने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.9	105	
विक्रय के लिये किये गये अनुबन्ध के साथ ही कब्जा हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.10	107	
बन्धक पत्र को ऋण अनुबन्ध के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.11	108	
फार्म हाऊसों के रूप में पंजीबद्ध सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.12	109	
दान विलेख के अवमूल्यांकन तथा रियायती मुद्रांक कर का लाभ दिये जाने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.13	110	
अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क			
कर प्रशासन	6.1	111	
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.2	111	
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	112	
राज्य आबकारी विभाग की बकाया	6.4	113	
अन्य राज्यों को नियतित बीयर की कम सुपुर्दगी पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.5	125	
होटल बार अनुज्ञाशुल्क की कम वसूली	6.6	125	
देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क का अनारोपण	6.7	127	
विदेशी मदिरा के थोक और खुदरा विक्रेताओं से अनुज्ञाशुल्क की अवसूली	6.8	128	

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	7.1	129
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	7.2	129
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	130
उच्चतम वैध प्रस्ताव को अस्वीकार करने से राजस्व हानि	7.4	131
अधिशुल्क की अवसूली	7.5	132
खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन करने पर मांग कायमी का अभाव	7.6	133
ब्याज एवं अधिक अधिशुल्क की मांग कायमी का अभाव	7.7	134
कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना खनिज का उत्पादन	7.8	134
खनन योजना के बिना अप्रधान खनिज का उत्पादन	7.9	135
पर्यावरण प्रबन्धन कोष की कम वसूली/अवसूली	7.10	136
अवैध उत्खनन एवं निर्गमन पर खनिज की कीमत की मांग कायमी का अभाव	7.11	139
ईट मिट्टी की कीमत की कम मांग कायमी/मांग कायमी का अभाव	7.12	140

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 के तहत, राजस्थान राज्य के राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जन वाले बड़े विभागों में सम्पादित प्राप्ति एवं व्यय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2014-15 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ‘वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 37 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनमें राशि ₹ 346.48 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 में ₹ 74,470.37 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 91,326.91 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 38,672.87 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 13,229.50 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 51,902.37 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 39,424.54 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा: ₹ 19,817.04 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 19,607.50 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट

‘वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध 366 व्यक्तियों को एक से अधिक कुल 742 पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये। इसके परिणामस्वरूप पांच मामलों में ₹ 3.27 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 14.73 लाख कर का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग से एकत्रित सूचनाओं का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 142 खान मालिकों/लीज होल्डर्स को कर दायरे में नहीं लाया गया और ₹ 189.87 करोड़ के टर्नओवर पर कर राशि ₹ 9.49 करोड़ का आरोपण नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 2.4.11.2)

- सही कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक विवरणों को प्राप्त करने हेतु विवरणियों के प्रारूप पर्याप्त नहीं थे। सूचनाओं की कमी के परिणामस्वरूप 22 व्यवहारियों पर ब्याज एवं शास्ति सहित कर ₹ 6.37 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.13.1 एवं 2.4.13.3)

- चयनित व्यवहारियों की व्यवसाय लेखापरीक्षा में 36 से 67 प्रतिशत तक की कमी ध्यान में आयी। सम्पादित व्यवसाय लेखापरीक्षा में कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा के 3,206 निर्धारण प्रकरण कालातीत हो गये। इसके

अतिरिक्त कम संख्या में व्यवसाय लेखापरीक्षा करने से निर्धारण प्राधिकारियों को इस बात की छूट मिलती है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिये मामलों को चुनें जो गलत परिपाटी को बढ़ावा दे सकती है।

(अनुच्छेद 2.4.15.1)

- यह पाया गया कि 1,440 व्यवहारियों ने ₹ 11.39 करोड़ का कर एकत्रित किया लेकिन उनकी विवरणियों में शून्य टर्नओवर दर्शाया गया। तथापि निर्धारण प्राधिकारी करापवचना का पता नहीं लगा सके एवं ब्याज और शास्ति सहित कर ₹ 38.95 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.15.4)

- 189 व्यवहारियों ने ₹ 1.93 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया, जिन्होंने ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया था जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त हो चुके थे। तथापि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन व्यवहारियों का डीम्ड निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति सहित आगत कर लाभ ₹ 6.61 करोड़ का अनारोपण रहा/गलत अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.19.1)

- निर्धारण प्राधिकारियों ने 144 मामलों में व्यवहारियों को ₹ 1.44 करोड़ का आगत कर लाभ अनुमत्य किया, बावजूद इसके कि इन व्यवहारियों ने उन व्यवहारियों से क्रय किया जाना दर्शाया जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके थे। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 4.93 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.19.2)

- निर्धारण प्राधिकारियों ने 117 व्यवहारियों पर रिवर्स कर का आरोपण करते समय ₹ 3.24 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं किया जिन्होंने उन व्यवहारियों से माल क्रय करने पर आगत कर लाभ का दावा किया था जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किये जा चुके थे।

(अनुच्छेद 2.4.19.3)

- 159 व्यवहारियों ने अयोग्य वस्तुओं की खरीद पर आगत कर लाभ अनियमित रूप से लिया। निर्धारण प्राधिकारियों ने रिवर्स कर, शास्ति एवं ब्याज ₹ 21.04 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.4.20)

- यह पाया गया कि 100 व्यवहारियों ने उनकी विवरणियों में पुनःआयातित माल को या तो दर्शाया ही नहीं अथवा कम राशि दर्शायी जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 5.38 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.23)

- राज्य आबकारी विभाग ने 11 व्यवहारियों को तीन सितारा एवं अधिक या हैरिटेज होटल्स (बी-श्रेणी) की बार-अनुज्ञपत्रियाँ जारी की। तथापि इन व्यवहारियों ने अपने होटलों को तीन सितारा होटल से कम श्रेणी का मानते हुये, उनके

द्वारा पकाये एवं परोसे गये भोजन के विक्रय पर कम दर से कर चुकाया। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 15.18 करोड़ आरोपित नहीं की।
(अनुच्छेद 2.4.25.1)

राज्य के बाहर से, व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये क्रय माल पर प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के कर एवं ₹ 45.41 लाख ब्याज की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 2.7)

III. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

'परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के उपाय' के अनुच्छेद में निम्नलिखित पाया गया:

- पूरे राज्य में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता से सम्बन्धित कार्ययोजना के क्रियान्वयन में देरी से विभाग/सरकार की सड़क सुरक्षा की तरफ उदासीनता परिलक्षित होती है।

(अनुच्छेद 3.4.4.1)

- बार-बार चूक करने वाले व्यक्ति को आसानी से पहचान कर तथा उसके विगत इतिहास का पता लगाकर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये 'वाहन' सॉफ्टवेयर के एनफोर्समेंट मॉड्यूल का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.4.4.3)

- ओवरलोडिंग वाहनों पर जुर्माना लगाने में राज्य सरकार द्वारा दी गयी शिथिलता के कारण इस सम्बन्ध में रोक का भाव कम हुआ जबकि इसे प्राप्त किया जाना चाहिए था। इसके अलावा राज्य सरकार को ₹ 84.91 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

खनन गतिविधियों में शामिल 700 ओवरलोडिंग वाहनों की मापक जांच में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया। इन वाहनों से ₹ 2.25 करोड़ प्रशमन राशि/जुर्माना के रूप में इन वाहनों से वसूल किये जाने योग्य थे।

(अनुच्छेद 3.4.4.5)

- ओवरलोडिंग वाहनों की जांच हेतु अन्तराज्यीय सीमाओं पर कर संग्रहण केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत तौल यन्त्र स्थापित किये जाने चाहिए थे किन्तु विभाग द्वारा कोई कम्प्यूटरीकृत तौल यन्त्र स्थापित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 3.4.5.2)

- 51 जिला परिवहन कार्यालयों में से 21 में चालक परीक्षण ट्रैक उपलब्ध नहीं थे जो इंगित करते हैं कि ड्राईविंग लाईसेंस जारी किये जाने से पूर्व लिये जाने वाले परीक्षण हेतु वांछित आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं।

(अनुच्छेद 3.4.5.3)

- विगत 15 वर्षों में परिवहन श्रेणी के कुल पंजीकृत वाहनों में से 7,25,854 वाहनों के सम्बन्ध में अवधि 2011-12 से 2013-14 में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क ₹ 7.26 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 3.4.5.5)

गैर परिवहन श्रेणी के 108 वाहनों पर एकबारीय कर तथा सरचार्ज कुल राशि ₹ 1.18 करोड़ की कम वसूली/अवसूली पायी गयी।

(अनुच्छेद 3.5)

एकमुश्त कर ₹ 1.35 करोड़ का 312 वाहन स्वामियों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.6)

राजकीय राशि ₹ 11.74 करोड़ रोकड़ पुस्तिका में से राजकोष में जमा कराना दर्शायी गयी जबकि वास्तव में यह रोकड़ पुस्तिका में दर्शायी गयी जमा की दिनांक के बाद राशि जमा करायी गयी। जमा कराने में विलम्ब 1 से 191 दिन का था। कुल राशि ₹ 16.63 करोड़ राजस्व प्राप्ति को अगले कार्य दिवस पर जमा नहीं कराया गया बल्कि एक से पांच दिवस के विलम्ब से जमा कराया गया और प्राप्ति राशि ₹ 32.74 लाख को बैंक में जमा नहीं कराया गया।

(अनुच्छेद 3.7)

अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि का 5,538 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथ कर कुल ₹ 18.05 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.8)

IV. भू-राजस्व

दो मामलों में, विभाग द्वारा आवंटित भूमि की कीमत की तुलना में समर्पित भूमि की कीमत की त्रुटिपूर्ण गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप अन्तर कीमत ₹ 1.37 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.4)

भू-उपयोग परिवर्तन के लिये अनुमति प्राप्त किये बिना कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 80.68 लाख रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली अथवा कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 4.5)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

मैसर्स कैपसटन मीटर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (सीएमसी) से सम्बन्धित भूमि के एक दुकड़े का औद्योगिक से वाणिज्यिक में रूपान्तरण किया गया तथा अन्य इकाई अर्थात् मैसर्स जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडीपीएल) को, बिना यह सुनिश्चित किये कि पूर्व में सीएमसी को निष्पादित पट्टा विलेख निरस्त कर दिया गया है अथवा प्रतिफल प्राप्ति पर जेडीपीएल को भूमि हस्तान्तरित की गई, पट्टा जारी किया गया। जिला स्तरीय कमेटी दरों के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 531.41 करोड़ था जिस पर मुद्रांक कर ₹ 29.23 करोड़ प्रभार्य था। इसके अलावा, संपरिवर्तन प्रभारों पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 2.29 करोड़ कम प्रभारित किये गये।

(अनुच्छेद 5.4.1)

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 37(4) के तहत 212 मामलों में आरोपण योग्य मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 6.39 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.4.2)

गलत वर्गीकरण अथवा अवमूल्यांकन के कारण 34 विकास अनुबन्धों में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 6.15 करोड़ अनारोपित रहे अथवा कम आरोपित किये गये।

(अनुच्छेद 5.5)

उप पंजीयकों द्वारा 20 विक्रय विलेखों में पूंजी अंशदान अथवा अपने हिस्से के प्रतिफल के रूप में व्यक्तियों द्वारा साझेदारी फर्म को सम्पूर्ण भूमि के अंशदान के तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया तथा बाजार मूल्य ₹ 54.59 करोड़ पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 3.00 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.6)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन अथवा पात्रता के अभाव के कारण लाभार्थी मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.22 करोड़ वापस लौटाने के लिये दायी थे।

(अनुच्छेद 5.7)

सम्पत्तियों का बाजार मूल्य कम आंका गया इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी सम्पत्तियाँ वाणिज्यिक/सांस्थानिक/आवासीय प्रयोजनार्थ क्रय की गई थी अथवा ऐसी जगह पर अवस्थित थी जहां डीएलसी की उच्च दरें लागू थी। इसके परिणामस्वरूप 15 मामलों में राशि ₹ 1.59 करोड़ मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.8)

एक दस्तावेज कब्जा रहित विक्रय अनुबन्ध के रूप में पंजीबद्ध हुआ इस तथ्य के बावजूद कि भूमि के भौतिक कब्जे के हस्तान्तरण के समय सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.02 लाख का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.10)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

'राज्य आबकारी विभाग की बकाया' के अनुच्छेद में निम्नलिखित पाया गया:

- 31 मार्च 2015 तक कुल ₹ 198.73 करोड़ वसूली के लिये बकाया थे।

(अनुच्छेद 6.4.4)

- आबकारी आयुक्त ने अवधि 1967-68 से 2006-07 तक के ₹ 35.32 करोड़ राशि के 64 प्रकरण अपलेखन के चिन्हित किये। जिन पर 31 मार्च 2015 तक अपलेखन का निर्णय नहीं लिया गया था।

(अनुच्छेद 6.4.4.2)

- जिला आबकारी कार्यालय, कोटा और अजमेर के तीन प्रकरणों जिनमें ₹ 28.90 करोड़ राजस्व शामिल था, चूककर्ताओं की पहचानी गयी सम्पत्तियों के कुर्की का अभाव पाया गया।

(अनुच्छेद 6.4.6)

- जिला आबकारी अधिकारी, कोटा द्वारा वर्ष 1999-2001 के लिये दिये गये मंदिरा समूह कोटा के एक चूककर्ता अनुज्ञाधारक की चिन्हित की गयी दो सम्पत्तियों जिनकी सोलवेन्सी राशि ₹ 1.60 करोड़ थी, को वर्ष 2000-2001 में कुर्का किया था। अभी तक सम्पत्ति चूककर्ता के कब्जे में थी। विभाग 20 नीलामी नोटिस के बावजूद भी सम्पत्ति की नीलामी नहीं कर सका।

(अनुच्छेद 6.4.7.2)

- पांच जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 34 सम्पत्तियों की नीलामी में ₹ 1.90 करोड़ की वसूली की, जो कि सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में दर्शित राशि ₹ 4.19 करोड़ की तुलना में काफी कम थी।

(अनुच्छेद 6.4.8)

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ और अलवर के अन्तर्गत पांच ब्रेवरीज द्वारा निर्यातित 95,186.96 बल्क लीटर (12,204 कार्टन) बीयर, जिसमें ₹ 42.02 लाख का आबकारी शुल्क निहित था, की कम सुपुर्दगी की गयी। शुल्क न तो ब्रेवरीज द्वारा जमा कराया गया और न ही विभाग द्वारा माँगा गया। परिणामस्वरूप ₹ 42.02 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.5)

विभाग द्वारा 'स्टार' श्रेणी के स्थान पर 'अन्य' श्रेणी की होटल बार अनुज्ञाशुल्क प्राप्त कर होटल बार अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकृत किये गये। परिणामस्वरूप बार अनुज्ञाशुल्क ₹ 36.50 लाख की कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 6.6)

वर्ष 2013-14 में दो थोक विक्रेताओं द्वारा 65 'बोटल्ड इन अदर कन्ट्री' (बी.आई.ओ.) ब्राण्डस उनके विभिन्न डिपो के लिये आयात किये गये और 106 खुदरा विक्रेताओं द्वारा 2,841 बी.आई.ओ. ब्राण्डस आयात किये गये। इन थोक और खुदरा विक्रेताओं द्वारा विदेशी मदिरा आयात करने पर अनुज्ञाशुल्क न तो जमा कराया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया। परिणामस्वरूप अनुज्ञाशुल्क ₹ 8.65 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 6.8)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

खनिज बजरी से सम्बन्धित अधिक अधिशुल्क के संग्रहण के लिये उच्चतम निविदा को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37ए(ix) के प्रावधानों के उल्लंघन में मेंगा हाइवे के कार्यों में उपयोग में लिये गये खनिज पर अधिशुल्क के अनियमित संग्रहण के परिणामस्वरूप अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार से ₹ 58.05 लाख की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 7.5)

खनिज मार्बल के दो पट्टेधारियों तथा खनिज चुनाई पत्थर के 27 पट्टेधारियों द्वारा कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना राशि ₹ 5.82 करोड़ के 3,985 मै.टन खनिज मार्बल तथा 2.29 लाख मै.टन चुनाई पत्थर का उत्खनन किया गया।

(अनुच्छेद 7.8)

खनन योजना के अनुमोदन के बिना 65 पट्टाधारियों द्वारा खनिज चुनाई पत्थर तथा सैण्ड स्टोन राशि ₹ 15.56 करोड़ का उत्खनन किया गया।

(अनुच्छेद 7.9)

वांछित अनुमति प्राप्त किये बिना तथा अधिशुल्क के भुगतान किये बिना 52 मामलों में ईट भट्टा मालिकों द्वारा अवैध ईट मिट्टी का उपयोग करने पर ₹ 11.81 करोड़ की मांग कम कायम की गयी।

(अनुच्छेद 7.12)

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे तालिका 1.1.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	● कर राजस्व	20,758.12	25,377.05	30,502.65	33,477.70	38,672.87
	● कर इतर राजस्व	6,294.12	9,175.10	12,133.59	13,575.25	13,229.50
	योग	27,052.24	34,552.15	42,636.24	47,052.95	51,902.37
2.	भारत सरकार से प्राप्तियों					
	● विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	12,855.63	14,977.05	17,102.85	18,673.07	19,817.04
	● सहायतार्थ अनुदान	6,020.33	7,481.56	7,173.92	8,744.35	19,607.50
	योग	18,875.96	22,458.61	24,276.77	27,417.42	39,424.54
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	45,928.20	57,010.76	66,913.01	74,470.37	91,326.91 ¹
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	59	61	64	63	57

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 51,902.37 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014-15 में शेष 43 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

¹ छ्योर के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

1.1.2 अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2014-15 में 2013-14 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1.	विक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	बजट अनुमान	11,514.82	13,088.08	15,402.08	19,528.00	24,120.00	
		वास्तविक	11,901.24	14,665.63	17,214.34	19,834.72	22,644.89	(+)14
2.	केन्द्रीय विक्री कर राज्य आवकारी शुल्क	बजट अनुमान	215.18	401.92	1,147.92	1,522.00	1,505.00	
		वास्तविक	728.35	1,100.80	1,360.31	1,380.79	1,525.02	(+)10
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	2,450.00	2,623.00	3,250.00	4,500.00	5,330.00	
		वास्तविक	2,861.41	3,287.05	3,987.83	4,981.59	5,585.77	(+)12
4.	मोटर वाहनों पर कर	मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	35.60	43.15	60.14	105.40	156.66
		वास्तविक	43.07	79.40	144.27	104.59	54.27	(-)48
5.	मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	1,379.48	1,577.08	2,264.97	3,268.57	2,823.35	
		वास्तविक	1,522.01	2,153.68	2,693.13	2,577.76	2,705.10	(+)5
6.	पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	234.92	279.77	474.89	526.03	520.00	
		वास्तविक	375.96	418.29	497.47	442.98	429.52	(-)3
7.	मोटर वाहनों पर कर	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	1,450.00	1,650.00	1,900.00	2,500.00	2,800.00
		वास्तविक	1,612.25	1,927.05	2,283.13	2,498.90	2,829.86	(+)13
8.	भू-राजस्व	बजट अनुमान	778.80	846.64	1,505.25	1,512.61	1,697.18	
		वास्तविक	905.81	1,094.48	1,570.06	948.93	1,534.51	(+)62
9.	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	185.06	196.06	196.06	185.51	324.69	
		वास्तविक	222.17	209.01	304.55	337.98	288.58	(-)15
10.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	252.00	265.00	280.00	300.00	360.00	
		वास्तविक	230.69	220.13	248.57	287.92	956.52	(+)232
11.	अन्य कर इत्यादि ²	बजट अनुमान	74.99	78.74	50.99	55.00	99.99	
		वास्तविक	64.43	43.44	48.47	68.46	113.68	(+)66
12.	योग	बजट अनुमान	450.00	300.00	300.00	50.00	50.17	
		वास्तविक	290.73	178.09	150.52	13.08	5.15	(-)61
13.	पूर्ण वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	बजट अनुमान	19,020.85	21,349.44	26,832.30	34,053.12	39,787.04	
		वास्तविक	20,758.12	25,377.05	30,502.65	33,477.70	38,672.87	15.52

विगत चार वर्षों में कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही। वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व में 15.52 प्रतिशत की वृद्धि रही।

² अन्य कर में, आय तथा व्यय पर कर, व्यापार तथा वृत्ति पर कर, श्रम एवं रोजगार तथा भूमि कर शामिल है।

‘विद्युत पर कर एवं शुल्क’ में वृद्धि (62 प्रतिशत) विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण रही और ‘माल एवं यात्रियों पर कर’ में वृद्धि (232 प्रतिशत) मुख्यतः स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण रही। ‘वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क’ के अन्तर्गत (66 प्रतिशत) की वृद्धि मनोरंजन कर और विलासिता कर में अधिक प्राप्ति के कारण रही। ‘अन्य कर आदि’ में गिरावट (61 प्रतिशत) राज्य में भूमि कर में दी गयी छूट के कारण जबकि ‘भू-राजस्व’ (15 प्रतिशत) की गिरावट अनुपयोगी भूमि के बिक्री से कम प्राप्ति के कारण रही।

1.1.3 बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2014-15 में 2013-14 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	1,760.00	2,060.00	2,500.00	3,210.00	3,566.00	
	वास्तविक	1,929.58	2,366.32	2,838.59	3,088.66	3,635.46	(+)18
व्याज प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	1,129.25	1,229.22	1,428.79	1,933.88	1,959.83	
	वास्तविक	1,276.70	1,714.53	2,067.00	2,142.49	2,065.39	(-)4
विविध सामान्य सेवाएं	बजट अनुमान	216.02	195.40	324.29	576.17	920.88	
	वास्तविक	271.19	353.09	686.10	846.36	963.85	(+)14
पुलिस	बजट अनुमान	200.00	150.00	165.00	170.48	220.10	
	वास्तविक	133.93	143.54	192.07	167.27	240.03	(+)44
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	61.49	60.99	78.88	89.94	107.19	
	वास्तविक	80.33	110.99	85.50	147.38	133.21	(-)10
वृहद् एवं मध्यम सिंचाई	बजट अनुमान	61.27	69.21	122.21	90.62	90.90	
	वास्तविक	86.04	91.83	87.21	80.62	67.08	(-)17
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	61.50	61.60	56.05	66.67	80.20	
	वास्तविक	93.20	74.95	91.24	77.52	89.31	(+)15
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	70.00	75.75	75.75	65.00	74.76	
	वास्तविक	62.10	55.85	57.63	69.16	71.74	(+)4
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	42.78	48.17	61.88	61.00	105.07	
	वास्तविक	45.46	59.38	96.04	65.61	116.43	(+)77
सहकारिता	बजट अनुमान	23.81	21.12	23.65	20.42	16.52	
	वास्तविक	16.35	22.38	22.02	18.80	16.88	(-)10
अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ ³	बजट अनुमान	1,349.82	2,466.69	4,114.64	6,370.23	6,327.04	
	वास्तविक	2,299.24	4,182.24	5,910.19	6,871.38	5,830.12	(-)15
योग	बजट अनुमान	4,975.94	6,438.15	8,951.14	12,654.41	13,468.49	
	वास्तविक	6,294.12	9,175.10	12,133.59	13,575.25	13,229.50	(-)2.55
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		45.77	32.24	11.88	(-)2.55		

³ अन्य कर-इतर प्राप्तियों में आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल है।

विगत चार वर्षों में कर इतर राजस्व संग्रहण में वृद्धि की गति बनायी नहीं रखी जा सकी और वर्ष 2014-15 में यह ऋणात्मक हो गयी।

‘चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य’ शीर्ष में (77 प्रतिशत) की वृद्धि कर्मचारी राज्य बोमा योजना में अधिक प्राप्ति के कारण रही व शीर्ष ‘पुलिस’ में (44 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः अन्य सरकारों और पार्टियों को पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराने से प्राप्तियों के कारण रही। ‘वृहद् एवं मध्यम सिंचाई’ में (17 प्रतिशत) की गिरावट सिंचाई हेतु पानी की बिक्री में कम प्राप्ति के कारण रही जबकि ‘अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ’ में (15 प्रतिशत) की गिरावट अधिशुल्क में कम प्राप्ति के कारण रही।

1.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2015 के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व की बकाया की राशि ₹ 4,431.29 करोड़ थी, जिनमें से ₹ 1,604.88 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि निम्न तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर	3,731.29	1,304.85
2.	परिवहन	63.13	23.71
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	248.62	53.52
4.	राज्य आबकारी	198.73	194.41
5.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	189.52	28.39
	योग	4,431.29	1,604.88

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ₹ 1,604.88 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया है। बकाया किस स्तर पर है, जानने के लिये विभागों को लिखा गया (अक्टूबर 2015) किन्तु विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

1.3 कर निर्धारण में बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अन्त में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3

विभाग का नाम (1)	प्रारम्भिक शेष (2)	वर्ष 2014-15 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण (3)	कुल देय निर्धारण (4)	वर्ष 2014-15 के दौरान निस्तारित प्रकरण (5)	वर्ष के अन्त में शेष (6)	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4 तक) (7)
वाणिज्यिक कर	15	3,84,875	3,84,890	2,79,075	1,05,815	72.51
पंजीयन एवं मुद्रांक	6,840	6,094	12,934	6,863	6,071	53.06
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	10,485	14,497	24,982	15,208	9,774	60.88

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में न्यूनतम रहा। विभाग को प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की मांग कायम के प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका 1.4 में दिया गया है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष बकाया प्रकरण	31 मार्च 2014 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2014-15 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण कर शास्ति वगैर सहित अतिरिक्त मांग कायम की गयी	निस्तारण हेतु 31 मार्च 2015 को बकाया प्रकरणों की संख्या	
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	332	6,815	7,147	6,736	1,104.12	411

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्रकरणों में से 94 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। जबकि इन प्रकरणों के निपटारे में कितनी राशि की वसूली हुई, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2015)।

1.5 धन वापसी के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार गत वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में धन वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान धन वापसी के निपटाये गये प्रकरण एवं वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	206	98.57	1,042	5.19
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये दावे	4,973	601.44	2,300	8.88
3.	वर्ष के दौरान निपटाये धन वापसी के प्रकरण	4,900	478.97	2,246	8.72
4.	वर्ष के अन्त में बकाया दावे	279	221.04	1,096	5.35

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में धन वापसी प्रकरणों में वृद्धि रही। सम्बन्धित विभागों को बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से निस्तारित प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिए महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,932 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,206.77 करोड़ राशि के 8,964 अनुच्छेद

जून 2015 के अन्त में बकाया थे। जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का विवरण, विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6

विवरण	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,882	2,896	2,932
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	9,489	9,477	8,964
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	7,731.42	4,592.63	3,206.77

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों में बकाया आक्षेपों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि की यथेष्ट गिरावट रही।

1.6.1 विभाग-वार 30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण नीचे तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	584	2,369	558.93
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	20	23	7.12
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	437	1,352	168.70
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	113	300	441.70
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,362	3,625	325.01
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	111	224	50.27
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	305	1,071	1,655.04
योग			2,932	8,964	3,206.77

वर्ष 2014-15 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 18 प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुई।

यद्यपि बकाया आक्षेपों की संख्या तथा उसमें सन्निहित राशि की गिरावट विगत वर्षों से तुलना करने पर सराहनीय है, पर अभी भी लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी कमियों व अनियमितताओं को ठीक करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	3	3	113	14.13
2.	परिवहन	4	3	74	2.27
3.	भू-राजस्व	1	12	79	98.52
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	4	141	2.41
5.	राज्य आबकारी	3	-	-	-
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	4	7	492	1,229.20
योग		19	29	899	1,346.53

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, राज्य आबकारी विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में 19 बैठकें आयोजित की गयी जिनमें ₹ 1,346.53 करोड़ राशि के 899 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराओं को, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में दर्शाया जाता है।

45 ड्राफ्ट पैरा इस प्रतिवेदन के 37 अनुच्छेदों में संकलित, जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को उनके नाम से अप्रैल से अक्टूबर 2015 के मध्य में प्रेषित किये गये थे। विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा 15 ड्राफ्ट पैराओं के उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महिने में सरकार द्वारा क्रियान्वित विषयक टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिए जनलेखा समिति को प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्वित विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 176 अनुच्छेद शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 26 अगस्त 2011 तथा 25 मार्च 2015 के मध्य प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्वित विषयक टिप्पणियाँ प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 73 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुईं। जनलेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन 2009-10 से 2011-12 के कुल 36 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 11 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को चार प्रतिवेदन (2012-13 तथा 2014-15) में सम्मिलित किया गया।

1.7 भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया।

आगामी अनुच्छेद 1.7.1 से 1.7.2 में भू-राजस्व विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये प्रकरण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रकरण भी शामिल हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

30 सितम्बर 2015 को भू-राजस्व विभाग के अवधि 2007-08 से 2014-15 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2007-08	156	199	86.48	52	136	54.57	73	124	25.52	135	211	115.53
2008-09	135	211	115.53	53	87	5.31	53	122	42.29	135	176	78.55
2009-10	135	176	78.55	211	367	174.48	87	156	73.48	259	387	179.55
2010-11	259	387	179.55	109	230	50.90	125	243	25.23	243	374	205.22
2011-12	243	374	205.22	53	184	933.82	63	154	113.37	233	404	1,025.67
2012-13	233	404	1,025.67	17	133	406.39	27	66	328.72	223	471	1,103.34
2013-14	223	471	1,103.34	16	109	58.63	96	241	612.21	143	339	549.76
2014-15	143	339	549.76	13	113	13.33	43	131	120.31	113	321	442.78

पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु महालेखाकार कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। यद्यपि विभाग द्वारा पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति जारी है, सारभूत परिणाम के लिये और प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल प्रकरणों में से स्वीकार किये गये पैराओं और वसूली की स्थिति

भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित विगत दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और जिनमें वसूली हुई, को निम्न तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष 2014-15 के दौरान वसूली गई राशि	30 सितम्बर 2015 तक स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली की समेकित स्थिति
2004-05	4	3.17	4	1.75	-	0.73
2005-06	2	29.98	2	28.66	-	14.84
2006-07	1	22.14	1	22.14	-	-
2007-08	4+1	239.19	4	196.05	-	76.63
2008-09	-	-	-	1.13	-	1.13
2009-10	3	180.00	3	117.55	0.10	10.02
2010-11	3	300.37	1	292.42	-	0.72
2011-12	7	23.83	5	8.68	0.11	7.35
2012-13	5	229.02	3	8.36	-	0.31
2013-14	5	8.22	-	-	-	-
योग	35	1,035.92	23	676.74	0.21	111.73

विभाग द्वारा 10 वर्षों के दौरान राशि ₹ 1,035.92 करोड़ के 35 अनुच्छेदों जिनमें से ₹ 676.74 करोड़ के 23 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था, के विरुद्ध केवल ₹ 111.73 करोड़ की वसूली की जा सकी। आक्षेपों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 16.52 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी।

विभाग को स्वीकार किये गये प्रकरणों में शामिल राशि की वसूली पर निगरानी एवं गति देने हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

1.7.3 सरकार/विभाग द्वारा स्वीकार्य सिफारिशों पर कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप को सम्बन्धित विभागों/सरकार को प्रत्युत्तर की अपेक्षा के साथ उनके सूचनार्थ भेजा जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन सभाओं में भी चर्चा की जाती है तथा सरकार/विभाग के विचारों को, निष्पादन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु अन्तिम रूप देते समय, सम्मिलित किया जाता है।

भू-राजस्व विभाग में पिछले पांच वर्षों में दो निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी जिनमें 21 सिफारिशों, कर संग्रहण की प्रणाली एवं कार्य में सुधार हेतु की गयी। विभाग द्वारा चार सिफारिशों को स्वीकार्य किया गया और भूमि मापन में एक समान जरीब⁴ को अपनाना, भूमि से सम्बन्धित आंकड़ों की सुरक्षा हेतु बायोमेट्रिक उपकरण को पासवर्ड के माध्यम से संचालित करना और सूचना प्रौद्योगिकी की परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश जारी करना, पर कार्य किया। शेष सिफारिशों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2015)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 437 इकाइयों की योजना बनाई गई जिनमें से सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। वाणिज्यिक कर विभाग में एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 414 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 26,511 प्रकरणों में ₹ 634.56 करोड़ राशि के

⁴ भूमि मापने की चैन।

अवनिधारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिधारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 179.77 करोड़ के 16,799 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 34.87 करोड़ राशि के 4,655 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2014-15 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 8,593 प्रकरणों में ₹ 32.14 करोड़ वसूल किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 346.48 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 37 अनुच्छेद (उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान या पूर्व के वर्षों में जिनका पता चला किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके) समाहित हैं जिनमें ‘वेट के अन्तर्गत पंजीयन, निधारण एवं संग्रहण की प्रणाली’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

विभाग/सरकार ने ₹ 246.76 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें ₹ 8.95 करोड़ वसूल भी कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए या संतोषप्रद नहीं पाये गये। इन सभी पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैट अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं, जिनकी सहायता हेतु 26 अतिरिक्त आयुक्त, 47 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 402 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार हैं। सम्बन्धित कर अधिनियमों एवं नियमों को लागू करवाने में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ सहयोग प्रदान करते हैं।

वैट, प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण तथा ब्याज एवं शास्ति का आरोपण 'राजस्थान वैट अधिनियम', 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम' एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

2.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख वित्तीय सलाहकार होता है। समूह परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच कर अधिनियमों एवं नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इयू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिये कुल इयू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52
2014-15	310	413	723	471	252	35

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 14 से 52 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 18,459 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षावार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेदों की संख्या	11,827	1,255	1,661	1,386	1,250	1,080	18,459

बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 में, 70 इकाइयों के वैट/बिक्री कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,581 प्रकरणों में ₹ 224.14 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गईं, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	164.13
2.	कर का अवनिर्धारण	502	46.53
3.	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	86	3.92
4.	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	15	0.54
5.	आगत कर क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	367	4.78
6.	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	561	2.93
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	49	1.31
योग		1,581	224.14

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने 1,074 प्रकरणों में ₹ 38.36 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 1.35 करोड़ राशि के 86 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। इसी अवधि में 177 प्रकरणों में ₹ 4.15 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 1.94 करोड़ के 18 प्रकरण वर्ष 2014-15 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को आठ प्रकरणों में ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इनको स्वीकार करते हुए ₹ 40.49 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में इन पैराओं की चर्चा नहीं की गयी है।

'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 164.13 करोड़ सन्निहित है एवं ₹ 2.14 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों के कुछ उदाहरण अनुच्छेद संख्या 2.4 से 2.7 में दिये गये हैं।

2.4 ‘वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध 366 व्यक्तियों को एक से अधिक कुल 742 पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये। इसके परिणामस्वरूप पांच मामलों में ₹ 3.27 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 14.73 लाख कर का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग से एकत्रित सूचनाओं का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 142 खान मालिकों/लीज होल्डर्स को कर दायरे में नहीं लाया गया और ₹ 189.87 करोड़ के टर्नओवर पर कर राशि ₹ 9.49 करोड़ का आरोपण नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 2.4.11.2)

- सही कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक विवरणों को प्राप्त करने हेतु विवरणियों के प्रारूप पर्याप्त नहीं थे। सूचनाओं की कमी के परिणामस्वरूप 22 व्यवहारियों पर ब्याज एवं शास्ति सहित कर ₹ 6.37 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.13.1 एवं 2.4.13.3)

- चयनित व्यवहारियों की व्यवसाय लेखापरीक्षा में 36 से 67 प्रतिशत तक की कमी ध्यान में आयी। सम्पादित व्यवसाय लेखापरीक्षा में कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा के 3,206 निर्धारण प्रकरण कालातीत हो गये। इसके अतिरिक्त कम संख्या में व्यवसाय लेखापरीक्षा करने से निर्धारण प्राधिकारियों को इस बात की छूट मिलती है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिये मामलों को चुनें जो गलत परिपाठी को बढ़ावा दे सकती है।

(अनुच्छेद 2.4.15.1)

- यह पाया गया कि 1,440 व्यवहारियों ने ₹ 11.39 करोड़ का कर एकत्रित किया लेकिन उनकी विवरणियों में शून्य टर्नओवर दर्शाया गया। तथापि निर्धारण प्राधिकारी करापवर्चना का पता नहीं लगा सके एवं ब्याज और शास्ति सहित कर ₹ 38.95 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.15.4)

- 189 व्यवहारियों ने ₹ 1.93 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया, जिन्होंने ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया था जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त हो चुके थे। तथापि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन व्यवहारियों का डीम्ड निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति सहित आगत कर लाभ ₹ 6.61 करोड़ का अनारोपण रहा/गलत अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.19.1)

- ० निधारण प्राधिकारियों ने 144 मामलों में व्यवहारियों को ₹ 1.44 करोड़ का आगत कर लाभ अनुमत्य किया, बावजूद इसके कि इन व्यवहारियों ने उन व्यवहारियों से क्रय किया जाना दर्शाया जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके थे। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 4.93 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.19.2)

- ० निधारण प्राधिकारियों ने 117 व्यवहारियों पर रिवर्स कर का आरोपण करते समय ₹ 3.24 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं किया जिन्होंने उन व्यवहारियों से माल क्रय करने पर आगत कर लाभ का दावा किया था जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किये जा चुके थे।

(अनुच्छेद 2.4.19.3)

- ० 159 व्यवहारियों ने अयोग्य बस्तुओं की खरीद पर आगत कर लाभ अनियमित रूप से लिया। निधारण प्राधिकारियों ने रिवर्स कर, शास्ति एवं ब्याज ₹ 21.04 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.4.20)

- ० यह पाया गया कि 100 व्यवहारियों ने उनकी विवरणियों में पुनःआयातित माल को या तो दर्शाया ही नहीं अथवा कम राशि दर्शायी जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 5.38 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.23)

- ० राज्य आबकारी विभाग ने 11 व्यवहारियों को तीन सितारा एवं अधिक या हैरिटेज होटल्स (बी-श्रेणी) की बार-अनुज्ञप्तियाँ जारी की। तथापि इन व्यवहारियों ने अपने होटलों को तीन सितारा होटल से कम श्रेणी का मानते हुये, उनके द्वारा पकाये एवं परोसे गये भोजन के विक्रय पर कम दर से कर चुकाया। निधारण प्राधिकारियों ने कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 15.18 करोड़ आरोपित नहीं की।

(अनुच्छेद 2.4.25.1)

2.4.1 प्रस्तावना

राज्य में मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का निर्धारण, बसूली एवं संग्रहण राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 एवं इसके अन्तर्गत बने राजस्थान वैट नियम, 2006 द्वारा शासित हैं। राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर का आरोपण विक्रय के हर स्तर पर, किया जाता है, साथ ही क्रय पर चुकाये गये कर का क्रेडिट (जिसे आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) कहा जाता है) अनुमत्य किया जाता है जिससे कि बहुल कराधान के उत्तरोत्तर प्रभाव को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार, सभी पंजीकृत व्यवहारी केवल मूल्य वृद्धि पर कर चुकाने हेतु दायी होते हैं। राजस्थान वैट अधिनियम वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) राजस्थान सरकार, द्वारा लागू किया होता है।

राजस्थान वैट अधिनियम, व्यवहारियों के पंजीकरण, आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना, व्यवहारियों द्वारा स्व-निर्धारण किया जाना एवं कर का आरोपण और भुगतान की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा चयनित व्यवहारियों का व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदि हेतु उपबन्ध करता है। राजस्थान वैट अधिनियम के उक्त से सम्बन्धित प्रावधान संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हैं:

व्यवहारियों
का पंजीकरण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 3 संपर्कित धारा 11 के अनुसार कोई भी व्यवहारी जिसका टर्नओवर एक वर्ष में ₹ 10 लाख की सीमा को पार कर जाता है, एक निर्माता जिसका वार्षिक टर्नओवर ₹ पांच लाख से ज्यादा हो जाता है और माल/वस्तु का कोई आयातक, वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना व्यवसाय नहीं कर सकता है। तथापि कोई व्यवहारी जिसका टर्नओवर निर्धारित सीमा को पार नहीं करता है अथवा राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I में वर्णित करमुक्त वस्तुओं में संव्यवहार करता है तो वह अपंजीकृत व्यवहारी के रूप में व्यवसाय कर सकता है।

व्यवहारियों
द्वारा
विवरणियाँ
प्रस्तुत करना

पंजीकृत व्यवहारी को स्वयं की कर देयता निर्धारित कर निर्धारित अवधि में निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र वैट-10 एवं वैट-10ए/11 में विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। विवरणी के साथ आवश्यक वैधानिक प्रपत्र संलग्न किये जाते हैं।

**डीम्ड/स्क्रूटनी
निर्धारण**

अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसने की उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दी है तो उस वार्षिक विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए उसका निर्धारण किया हुआ समझा जाएगा जब तक की आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विवरणियों की जांच में कोई त्रुटी नहीं पाई जावे। यदि कोई त्रुटी पाई जाती है और व्यवहारी निर्धारित अवधि में संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर देता तो भी उसका निर्धारण किया हुआ मान लिया जावेगा। यदि व्यवहारी निर्धारित समयावधि में विवरणियों की त्रुटियों को नहीं सुधारता है तो निर्धारण प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार उसका निर्धारण करेगा।

**व्यवसाय
लेखापरीक्षा
निर्धारण**

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर चयनित व्यवहारियों के 'व्यवसाय की लेखापरीक्षा' किया जाना तय कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में यदि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी सही नहीं पायी जाती है या कर का अपवंचन या परिवर्जन पाया जाता है तो निर्धारण प्राधिकारी उसका कर एवं अन्य दायित्व निर्धारित करेगा।

**कर का
भुगतान**

अधिनियम की धारा 20 सपष्टित धारा 38 के अनुसार व्यवहारी राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित विहित रीति एवं अन्तराल के अनुसार अपने लेखों के आधार पर देय कर जमा करायेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यवहारी द्वारा जमा कराया गया कर इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर राशि में समायोजित किया जायेगा और शेष राशि जो व्यवहारी द्वारा चुकायी जानी है मांगपत्र तामील किये जाने से 30 दिन में जमा करानी होगी।

2.4.2 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वैट से वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बजट अनुमान और गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में हुई वृद्धि को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत में)
2010-11	11,394.21	11,638.74	23
2011-12	13,653.06	14,371.53	23
2012-13	16,912.99	16,887.48	18
2013-14	19,944.29	19,490.41	15
2014-15	23,712.99	22,214.88	14

स्रोत: राज्य सरकार का बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखें।

राजस्व की प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दर्शायी गयी है:



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि प्राप्तियों में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है लेकिन गत वर्षों की तुलना में प्राप्तियों में वृद्धि की गति वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान कायम नहीं रखी जा सकी। तथापि, विभाग ने वर्ष 2010-11 की तुलना में प्राप्तियों को 91 प्रतिशत तक बढ़ाया है जो की महत्वपूर्ण है।

2.4.3 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में विभाग कार्य करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिये 26 अतिरिक्त आयुक्त हैं।

विभाग में 15 जोन हैं, जिनके प्रमुख उपायुक्त होते हैं। इन जोनों के अन्तर्गत 130 वृत्त¹ हैं। कर का निर्धारण एवं वसूली का कार्य निर्धारण प्राधिकारियों, जो कि वृत्तों एवं घटों में पदस्थापित सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के स्तर के अधिकारी होते हैं, के द्वारा किया जाता है।

2.4.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित किये जाने के लिए की गयी कि:

- क्या व्यवहारियों के पंजीकरण किये जाने की प्रणाली उपयुक्त व्यवहारियों को कर दायरे में लाने हेतु कुशल एवं प्रभावी है;
- क्या अधिनियम एवं नियमों में उपलब्ध प्रावधान विभाग के हितों की सुरक्षा हेतु समुचित है;
- अधिनियम एवं नियमों में उपलब्ध प्रावधानों एवं इनके अधीन जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों की पालना का स्तर; एवं
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।

2.4.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिये गये जिनके द्वारा विभाग वैट के अन्तर्गत पंजीकरण, निर्धारण एवं वसूली की प्रणाली को शासित करता है:

राज्य कानून

- राजस्थान वैट अधिनियम, 2003; एवं
- राजस्थान वैट नियम, 2006

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण व टर्नओवर) नियम, 1957।

2.4.6 निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी से जून 2015 के मध्य की गयी, इसमें 2011-12 से 2013-14 अवधि को कवर किया गया, जिसमें की वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक

¹ विशेष वृत्त-25, नियमित वृत्त-73, कार्यसंविदा एवं लीजिंग टेक्स वृत्त-12, करापवंचना वृत्त-20

के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया गया था। कुल 98 वृत्तों² में से 11 वृत्तों³ का चयन 'पुनःस्थापन सहित आकार के अनुरूप संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। इन 11 वृत्तों का सम्मिलित रूप से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल वैट प्राप्तियों में 59 प्रतिशत योगदान था। आयुक्त कार्यालय के रिकार्ड एवं विभागीय वेबसाइट राजविस्टा पर उपलब्ध डेटा का भी परीक्षण किया गया। इनके अलावा अन्य राजकीय विभागों यथा खान एवं भू-विज्ञान, राज्य आबकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क से भी सूचनायें प्राप्त की गयी एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा से मिलान किया गया। चूंकि 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित की गयी थी अतः वैट के संग्रहण की व्यवस्था को निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया।

2.4.7 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ 12 फरवरी 2015 को एक प्रारम्भिक सभा की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र तथा प्रक्रियाविधि को स्पष्ट किया गया। तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैरा अगस्त/अक्टूबर 2015 में सरकार तथा विभाग को भेजे गये। आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के साथ एक समापन सभा 24 नवम्बर 2015 को हुई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर विचार कर समुचित रूप से सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

पंजीकरण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 3 संपत्ति धारा 11 के अनुसार एक व्यवहारी जो कि पंजीकरण कराने के लिये उत्तरदायी है वह प्रपत्र वैट-01 में आवेदन कर के स्वयं को पंजीकृत करवाएगा। पंजीयन जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

² चूंकि 'कार्यसंबिदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण' विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की गयी थी इसलिये 12 कार्यसंबिदा एवं लीजिंग टैक्स वृत्तों को निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया था और 20 वृत्तों को भी बाहर रखा गया था क्योंकि ये करापवंचना गतिविधियों से सम्बन्ध थे।

³ विशेष वृत्त: भीलवाड़ा, जयपुर-III, पाली और राजस्थान जयपुर।

नियमित वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

आवश्यक जांच करने के उपरान्त प्रपत्र वैट-03 में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगा। जहाँ कोई व्यवहारी जो पंजीयन के योग्य है लेकिन पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करता है, तो पंजीयन जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी उसको अनिवार्य रूप से पंजीकृत करेगा। यद्यपि व्यवहारी को पंजीयन हेतु आवेदन नहीं किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जावेगा और सन्तोषजनक कारण नहीं होने पर शास्ति आरोपित की जावेगी जो की ₹ दो हजार से ज्यादा नहीं होगी।

राजस्थान वैट अधिनियम में पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति नीचे दी गयी है:

वर्ष	वर्ष के शुरू में पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान पंजीकरण निरस्त किये गये व्यवहारियों की संख्या	वर्ष के अन्त में पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या
2009-10	3,44,852	33,314	3,78,166	1,478	3,76,688
2010-11	3,76,688	39,516	4,16,204	6,881	4,09,323
2011-12	4,09,323	49,437	4,58,760	17,918	4,40,842
2012-13	4,40,842	45,192	4,86,034	14,529	4,71,505
2013-14	4,71,505	22,087	4,93,592	37,026	4,56,566

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि गत पांच वर्षों में 77,832 व्यवहारियों के पंजीकरण रद्द होने के उपरान्त भी पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या में 1,11,714 की वृद्धि हुई है जो कि 32 प्रतिशत है।

2.4.8 व्यवहारियों की स्थिति का सत्यापन

राजस्थान वैट नियम 14 के अनुसार पंजीकरण अधिकारी, इस बात की संतुष्टि होने पर कि पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन सभी तरह से पूर्ण है एवं सभी दस्तावेज संलग्न हैं, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 24 घन्टों के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। तत्पश्चात, पंजीकरण अधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे पंजीयन जारी होने से 45 दिनों के भीतर पंजीयन आवेदन के समस्त तथ्यों व कथनों के सत्यापन हेतु जांच करेगा।

राजविस्टा⁴ पर 6 जुलाई 2015 को उपलब्ध सूचना से यह प्रकट हुआ की चयनित वृत्तों⁵ में पंजीकरण प्रक्रिया में आये 4,554 प्रकरणों में से 726 प्रकरणों में आवेदनों के तथ्यों व कथनों का सत्यापन 46 से 365 दिनों तक बकाया रहा।

पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु सिस्टम में मोड्यूल का अभाव: नियमों की पालना के स्तर को जांचने हेतु माह अप्रैल 2011 को चयनित किया गया और यह

⁴ राजविस्टा: यह विभाग द्वारा केवल कार्यालय उपयोग हेतु एक वेबसाइट है।

⁵ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जोधपुर-ए और उदयपुर-बी।

पाया गया कि चयनित सात वृत्तों⁶ में 422 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये गये। इनके सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर इन वृत्तों के वाणिज्यिक कर अधिकारियों/ सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने तथ्यों व कथनों के सत्यापन की तिथि की सूचना उपलब्ध नहीं करवायी, क्योंकि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर लिया गया था पर निगरानी हेतु कोई मोड़यूल उपलब्ध नहीं था। अभिष्ट मोड़यूल एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में विलम्ब को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (नवम्बर 2015) की कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों की कमी के कारण नव पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति का सत्यापन निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि ज्यादातर प्रकरणों में सत्यापन कर लिया गया है एवं कुछ प्रकरणों में राजविस्ता पर सूचनायें दर्ज न करने के कारण सत्यापन बकाया दर्शाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि जब तक व्यवहारी की स्थिति का सत्यापन नहीं कर लिया जाता है घोषणा-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं।

विभाग को व्यवहारियों की स्थिति का समय पर सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि सही व्यवहारियों को व्यवसाय में बाधा नहीं होवे तथा अवांछित व्यवहारियों द्वारा कर अपवंचना से बचा जा सके।

2.4.9 एक से अधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ व्यवसाय

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 11 सप्तित राजस्थान वैट नियमों के नियम 14 के अनुसार एक व्यवहारी जो कि राज्य में एक से अधिक स्थानों पर व्यवसाय करना चाहता है तो व्यवहारी को मुख्य व्यवसाय स्थल के लिये पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा और अन्य व्यवसाय स्थलों के लिये शाखा प्रमाण-पत्र जारी किये जावेंगे। इस प्रकार एक पंजीकृत व्यवहारी को केवल एक टैक्स आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (टिन) ही जारी किया जायेगा।

राजविस्ता पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि चयनित वृत्तों में 366 व्यक्तियों को 742 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये एवं ये व्यवहारी दो या अधिक स्थानों पर अलग अलग पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ मार्च 2015 तक व्यवसाय कर रहे थे। तथापि, विभाग ने इन व्यवहारियों के अतिरिक्त पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही शुरू नहीं की।

दोहरे पंजीकरण का प्रभाव: राजविस्ता पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि 37 व्यक्तियों जिनके पास 74 पंजीयन प्रमाण-पत्र थे, ने वर्ष 2011-12 के दौरान या तो एक अथवा दोनों पंजीयन प्रमाण-पत्रों पर राजस्थान वैट अधिनियम की धारा

⁶ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

3(2)⁷ के अन्तर्गत 0.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किये जाने का विकल्प चुना। वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा में पाया गया कि इनमें ऐसे व्यवहारी सम्मिलित थे जो कि धारा 3(2) के अन्तर्गत कर दर 0.50 प्रतिशत की दर से कर चुकाने की पात्रता नहीं रखते थे क्योंकि उनका कुल टर्नओवर पात्रता मानदण्ड से ज्यादा था। वस्तुवार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके इस टर्नओवर पर कर की दर सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रकरणों में ₹ 14.73 लाख का कर आरोपित नहीं किया जा सका जो कि तालिका 2.4.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.9

क्र. सं.	पैन संख्या ⁸	टिन संख्या	व्यवहारी की श्रेणी	कुल टर्नओवर	टर्नओवर जिस पर कम दर से कर चुकाया गया	कर दर 4.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय अन्तर कर ⁹
1.	AAWPA3060A	08130300017	3(2)	33,95,420	33,95,420	1,52,794
		08720246197	वैट	93,35,454		
2.	ACXPG1695G	08182154484	3(2)	59,22,683	1,06,68,562	4,80,085
		08242156003	3(2)	47,45,879		
3.	APKPG5912L	08702191931	3(2)	25,40,432	25,40,432	1,14,319
		08452190565	वैट	1,60,49,523		
4.	AAHPL5243M	08972558006	3(2)	51,69,616	51,69,616	2,32,633
		08922558761	वैट	12,71,996		
5.	AARFS0965P	08762553805	3(2)	57,32,469	1,09,60,663	4,93,230
		08162560537	3(2)	52,28,194		
योग				3,27,34,693	14,73,061	

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि जहां एक पैन पर एक से अधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं उन पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को निरस्त किये जाने अथवा शाखा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि सिस्टम को

⁷ ऐसे व्यवहारी जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 50.00 लाख (14 अप्रैल 2011 तक), ₹ 60.00 लाख (15 अप्रैल 2011 से 8 अप्रैल 2013) और ₹ 75.00 लाख (8 अप्रैल 2013 के पश्चात) था एवं जो राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से ही माल खरीदते हैं इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना चुन सकते हैं। इन व्यवहारियों हेतु कर की दर केवल 0.50 प्रतिशत है।

⁸ पैन से तात्पर्य आयकर विभाग से आवंटित स्थायी लेखा संख्या से है।

⁹ वस्तुवार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण इस टर्नओवर को कर दर पांच प्रतिशत की दर से कर योग्य माना गया।

उन्नत कर दिया गया है जिससे की एक पैन पर एक ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी हो सके।

2.4.10 चार से अधिक व्यवहारियों को प्रतिभूति

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बाध्यकारी पंजीयन जारी किए जाते समय ली जाने वाली प्रारम्भिक जमानत इस अधिनियम में पंजीकृत दो व्यवहारियों द्वारा दिए जाने वाले प्रतिभूति के रूप में होगी और यदि व्यवहारी ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रीय बचत पत्र या नकद के रूप में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की तीन वर्षीय बैंक-गारन्टी के रूप में जमानत देगा। परिपत्र दिनांक 24 मार्च 2009 के अनुसार एक अकेला पंजीकृत व्यवहारी दो से अधिक व्यवहारियों हेतु प्रतिभूति नहीं दे सकता है। इसके पश्चात, दिनांक 23 सितम्बर 2010 को जारी परिपत्र द्वारा इस सीमा को चार व्यवहारियों तक बढ़ा दिया गया।

विभाग ने राजविस्ता अथवा अन्य किसी विधि से ऐसा कोई सिस्टम विकसित नहीं किया जिससे की उपरोक्त मानदण्ड की पालना सुनिश्चित की जा सके। राजविस्ता पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा में पाया गया कि:

- 1,921 प्रकरणों में 241 व्यवहारियों ने प्रतिभूति प्रदान की। इनमें से प्रत्येक व्यवहारी ने चयनित वृत्तों में चार से अधिक व्यवहारियों हेतु, जो कि 5 से लेकर 29 तक थे, प्रतिभूतियाँ प्रदान की।
- 8,302 व्यवहारियों के प्रकरणों में, उन दोनों व्यवहारियों का या एक का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त हो गया था, जिन्होंने प्रतिभूति प्रदान की थी।

अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी और चूक होने पर प्रतिभूतिदाता इस स्थिति में नहीं होगें कि इन 10,223 व्यवहारियों के स्थान पर भुगतान कर सकें।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और उत्तर दिया (नवम्बर 2015) की राजविस्ता पर एक सिस्टम विकसित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की एक व्यवहारी चार से अधिक व्यवहारियों हेतु प्रतिभूति प्रदान न कर सके। यह भी बताया गया कि एक मोड्यूल विकसित किया जा रहा है जिससे कि प्रतिभूति प्रदान करने वाले व्यवहारियों का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त होने वाले प्रकरणों में निगरानी रखी जा सके।

2.4.11 वैट के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु व्यवहारियों की पहचान

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 11(6) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी जो पंजीयन का पात्र है और वह पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करता है, तो पंजीयन जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस व्यवहारी को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। अपंजीकृत व्यवहारियों का पता लगाने एवं कर दायरे में वृद्धि हेतु सर्वे एक महत्वपूर्ण साधन

है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने पात्र व्यवहारियों को कर दायरे में लाने हेतु सर्वे किये जाने के निर्देश (सितम्बर 2011) जारी किये थे।

2.4.11.1 उक्त निर्देशों की पालना का स्तर जांचने हेतु चयनित वृत्तों¹⁰ के 41 निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये सर्वे के सम्बन्ध में सूचनायें मांगी गयी। तथापि, 10 निर्धारण प्राधिकारियों ने बांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी और 26 निर्धारण प्राधिकारियों ने सूचित किया की कोई सर्वे नहीं किये गये थे। पांच निर्धारण प्राधिकारियों ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि में किये गये सर्वे के आधार पर 92 व्यवहारियों को पंजीकरण प्रदान किये। नमूना जांच में पाया गया कि 84 प्रतिशत निर्धारण प्राधिकारियों ने कर दायरा बढ़ाने हेतु कोई सर्वे नहीं किये।

2.4.11.2 अपंजीकृत व्यवहारियों का पता लगाने के लिये, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के विभागों से वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित की गयी और राजविस्टा पर उपलब्ध जानकारी से प्रति-सत्यापित की गयी। पैन का उपयोग सूचनाओं के प्रति-सत्यापन में किया गया। आगामी अनुच्छेदों में निष्कर्षों पर चर्चा की गयी है:

◎ खनन पट्टा धारकों का पंजीकरण नहीं होना

खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को खनन पट्टे जारी करता है। 14 खनन अभियन्ताओं/सहायक खनन अभियन्ताओं से एकत्रित सूचनाओं को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से प्रति-सत्यापित किया गया एवं यह पाया गया कि 142 खान मालिक/खनन पट्टा धारक राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पाये गये यद्यपि उनके द्वारा खनन किये गये खनिज का मूल्य वर्ष 2011-12 में पंजीकरण हेतु पात्रता सीमा से अधिक था। इन व्यवहारियों को कर दायरे में नहीं लाया जा सका और इस कारण खनिजों के टर्नओवर राशि ₹ 189.87 करोड़ पर कर राशि ₹ 9.49 करोड़ का आरोपण नहीं किया जा सका।

◎ आयातकों का पंजीकरण नहीं होना

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के विभागों से एकत्रित सूचनाओं को विभाग से प्राप्त सूचनाओं से प्रति-सत्यापित किये जाने पर पाया गया कि 390 आयातक राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पाये गये यद्यपि प्रत्येक व्यवहारी जो कि माल का आयात करता है का राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। इन आयातकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 306.07 करोड़ का माल आयात किया था। राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के अभाव में इन व्यवहारियों द्वारा माल के आयात किये गये कुल मूल्य पर राशि ₹ 6.05 करोड़ के कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

¹⁰ वृत्तः भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

ये निष्कर्ष केवल एक वर्ष जो कि 2011-12 है के आंकड़ों पर आधारित है, यदि अन्य वर्षों के टर्नओवर की जानकारी भी प्राप्त की जा सके तो वास्तविक राशि इससे ज्यादा हो सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे इन प्रकरणों की गहनता से जांच करें एवं विधिसम्मत कार्यवाही करें। ये निष्कर्ष इस आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि एक नियमित प्रणाली को विकसित किया जावे, जिसके द्वारा अन्य सरकारी विभागों से सूचनायें प्राप्त करके अथवा सर्वे किये जा कर, व्यवहारियों का पंजीकरण किया जावे।

सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (नवम्बर 2015) की आयकर विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के विभागों एवं विभाग के मध्य समन्वय हेतु रीजनल इकोनोमिक इन्टेलीजेन्स काउन्सिल का गठन किया गया है। इस काउन्सिल की बैठकों में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करापवंचना के प्रकरणों में कार्यवाही की जाती है।

आयातकों के मामलों में विभाग ने बताया की सीमाशुल्क विभाग से आयातकों की जो सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं उनमें आयातकों के गंतव्य/व्यवसाय स्थल की जानकारी नहीं होती है। यह भी बताया गया की व्यवहारी के पैन में दर्शाया गया पता राजस्थान का हो सकता है लेकिन वह अन्य राज्य में कार्यरत हो सकता है और इस कारण से आयात को राजस्थान की बिक्री नहीं मानी जा सकती है।

तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने अपंजीकृत व्यवहारियों की पहचान के लिये अन्य विभागों के पास उपलब्ध जानकारी को उपयोग में नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आयातकों जो कि राज्य में माल का आयात कर रहे थे, के व्यवसाय स्थल को सत्यापित किये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किये। इस प्रकार विभाग उन व्यवहारियों को पहचानने हेतु सचेत नहीं था जो कि संभवतया कर वंचना कर सकते हैं।

सरकार अन्य सरकारी विभागों से सूचनायें प्राप्त करके अथवा सर्वे किये जा कर, व्यवहारियों का पंजीकरण करने की एक नियमित प्रणाली को विकसित कर सकती है।

कर निर्धारण

2.4.12 विवरणियाँ प्रस्तुत न करने वाले व्यवहारियों पर निगरानी का अभाव

2.4.12.1 व्यवहारी जिन्होंने कर एकत्रित किया लेकिन विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की चयनित वृत्तों¹¹ से एकत्रित सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया की 11 प्रतिशत व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। ऐसे व्यवहारियों द्वारा करापवंचना की सम्भावनाओं को जांचने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया कि राजविस्टा के द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु एक रिपोर्ट तैयार करवायी

¹¹ आठ वृत्तों द्वारा उपलब्ध सूचना: भिवाड़ी-बी, भीलवाड़ा-विशेष, जयपुर-डी, जयपुर-विशेष राजस्थान, जोधपुर-ए, नागौर, पाली-विशेष और उदयपुर-बी। तीन वृत्तों से अनुपलब्ध सूचना: जयपुर-जे, जयपुर-एन और जयपुर-विशेष-III

जो कि ऐसे व्यवहारियों से अन्य पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा की गयी खरीद को दर्शाये। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट की संवीक्षा में पाया गया कि 6,776 व्यवहारियों ने राशि ₹ 4,201.46 करोड़ का माल विक्रय किया एवं ₹ 102.39 करोड़ का कर एकत्रित किया। तथापि, इन व्यवहारियों ने विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की।

चयनित चार वृत्तों¹² के 112 व्यवहारियों के संव्यवहार जो कि राजविस्टा पर उपलब्ध थे की संवीक्षा में पाया गया कि इन व्यवहारियों ने राशि ₹ 7.52 करोड़ का माल विक्रय किया एवं ₹ 41.66 लाख का कर एकत्रित किया लेकिन उनकी विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की। राजविस्टा पर उपलब्ध मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के अनुसार इन व्यवहारियों के विरुद्ध मांग कायम नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 41.66 लाख, ब्याज ₹ 17.50 लाख एवं शास्ति ₹ 83.32 लाख का आरोपण नहीं हो सका।

विभाग को राजस्व रिसाव को रोकने हेतु इन सभी प्रकरणों की जांच करनी चाहिये जिनमें कर ₹ 102.39 करोड़ की राशि निहित थी। इसके अतिरिक्त, राजविस्टा प्रणाली में ऐसा मोड्यूल नहीं है जिससे क्रेता व्यवहारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से इन व्यवहारियों के टर्नओवर की एक रिपोर्ट तैयार की जा सके।

सरकार ने स्वीकार किया एवं उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि एक मोड्यूल तैयार कर लिया गया है जिससे उन व्यवहारियों की पहचान की जा सके जिन्होंने माल की खरीद/बिक्री की है लेकिन विवरणी प्रस्तुत नहीं की या शून्य टर्नओवर के साथ प्रस्तुत की थी।

2.4.12.2 विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यवहारियों का निर्धारण नहीं किया जाना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 22 के अनुसार यदि कोई व्यवहारी अधिसूचित समयावधि में कर जमा कराने में अथवा विहित अवधि में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से उक्त अवधि का कर निर्धारण करेगा। तथापि इस धारा के अन्तर्गत कोई भी आदेश विवरणी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के नौ माह के पश्चात पारित नहीं किया जा सकेगा।

राजविस्टा पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, चयनित वृत्तों के 2,212 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के लिए उनकी वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. की संवीक्षा में पाया गया कि आठ वृत्तों¹³ के निर्धारण प्राधिकारियों ने 151 व्यवहारियों का निर्धारण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि इन 151 व्यवहारियों में से 11 व्यवहारियों ने राशि ₹ 60.95 लाख के माल की बिक्री पर 51 पंजीकृत व्यवहारियों से कर राशि ₹ 3.09 लाख एकत्रित किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.67 लाख का कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं हो सका।

¹² वृत्त: जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन और जयपुर-विशेष-III

¹³ वृत्त: भिवाड़ी-बी, भीलवाड़ा-विशेष, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

इन व्यवहारियों के निर्धारण नहीं किये जाने के कारण राजविस्टा पर उपलब्ध नहीं थे। ये सभी प्रकरण फरवरी 2014 में कालातीत/अवधिपार हो गये थे। परिणामतः इन प्रकरणों एवं अन्य वृत्तों में ऐसे ही प्रकरणों के कर निर्धारण नहीं किये जाने से करापवचंना और राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) की वर्ष 2011-12 हेतु सभी निर्धारण धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत पारित कर दिये गये हैं एवं जहाँ व्यवहारी ने वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी उनका निर्धारण तिमाही विवरणियों के आधार पर कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कर निर्धारणों की सूचना राजविस्टा पर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में उपलब्ध नहीं थी जो कि मांग जारी किये जाने पर निगरानी हेतु प्रमुख दस्तावेज है।

2.4.13 विवरणी के प्रारूप की अपर्याप्तता

वैट प्रणाली के अन्तर्गत कर के आरोपण एवं संग्रहण का आधार व्यवहारी द्वारा सही एवं पूर्ण विवरणी प्रस्तुत करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि विवरणियाँ इस प्रकार से विहित की जावे की सभी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें। लेखापरीक्षा ने वैट विवरणियों में कई कमियाँ पाईं जिनकी चर्चा नीचे की गयी हैं:

2.4.13.1 प्रपत्र वैट-10 में करमुक्त वस्तुओं के नाम से सम्बन्धित जानकारी का अभाव होना

राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची- I में करमुक्त वस्तुओं को 136 प्रविष्टियों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्रविष्टियाँ विभागीय वेबसाइट 'राजटेक्स' पर उपलब्ध हैं जो कि सभी के लिए सुलभ है। पारदर्शिता एवं कर के सही निर्धारण हेतु यह आवश्यक है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी में करमुक्त वस्तु का नाम उल्लेखित किया जावे।

यह पाया गया कि करयोग्य वस्तु का नाम दर्शाने हेतु कॉलम थे तथापि तिमाही विवरणी प्रपत्र वैट-10 में व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये करमुक्त माल का नाम दर्शाने हेतु कोई कॉलम नहीं बनाया गया। राजविस्टा पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान चयनित वृत्तों के 7,101 व्यवहारियों ने ₹ 37,601.02 करोड़ का माल करमुक्त माल के रूप में विक्रय किया था। वस्तुओं के नाम के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यवहारियों ने वस्तुओं को करमुक्त सही रूप से वर्गीकृत किया था।

चयनित वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध अन्य जानकारियों की संवीक्षा में पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा जिन वस्तुओं को करमुक्त दर्शाया गया था वे राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त नहीं थीं। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(i) राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-IVबी की प्रविष्टि संख्या 172 के अनुसार 'जूट या फाइबर आधारित कपड़े के बने हुये थैले और बोरे, जो पैकिंग के काम में आते हैं' पांच प्रतिशत की दर से करयोग्य थे। हालांकि, राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 63 के अनुसार 'पुराने जूट के बोरे और पुराने एचडीपीई के बोरे' कर आरोपण से मुक्त थे बशर्ते की विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में ये वस्तुये उल्लेखित हों।

विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो व्यवहारियों (मैसर्स एन.के.प्रोटिन्स लि. टिन 08561705747 तथा मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. टिन 08601650823) ने वर्ष 2011-12 की विवरणियों में करमुक्त वस्तुओं की ₹ 34.62 करोड़ की बिक्री घोषित की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय त्रुटिपूर्वक पुराना बारदाना (बोरे) को करमुक्त वस्तु मान लिया जो कि व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी ने इस टर्नओवर पर पांच प्रतिशत की दर से कर ₹ 1.73 करोड़ तथा ब्याज ₹ 72.66 लाख का आरोपण नहीं किया।

(ii) एक अन्य व्यवसायी (मैसर्स भारत पोटरीज लि. टिन 08371652938) ने वर्ष 2011-12 में ₹ 4.71 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री अनुसूची-I के अन्तर्गत करमुक्त घोषित की। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण करते समय इस माल पर कर आरोपित नहीं किया। राजविस्ट्य पर उपलब्ध व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की संवीक्षा में पाया गया कि व्यवहारी अनुसूची-I में वर्णित किसी करमुक्त वस्तु के व्यवसाय से सम्बद्ध नहीं था। तथापि वस्तु के नाम के अभाव में इस टर्नओवर पर आरोपणीय कर की गणना नहीं की जा सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि नामकरण की संगत प्रणाली (एच.एस.एन.) के अभाव में करमुक्त वस्तुओं के नाम का विवरण प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी बताया कि निर्धारण प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि सशर्त करमुक्त होने पर पंजीयन प्रमाण-पत्र में उन वस्तुओं को सत्यापित करें।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करमुक्त वस्तुओं के नाम राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I में पहले से ही दर्शाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सशर्त करमुक्त होने पर भी वस्तुओं के नाम के अभाव में निर्धारण प्राधिकारी करमुक्त टर्नओवर की सत्यता सुनिश्चित नहीं कर सकता है।

2.4.13.2 ऑयल कम्पनियों द्वारा प्राप्त आगत कर लाभ को सत्यापित करने हेतु आवश्यक विवरणों का प्रपत्र वैट-10 में अभाव

अधिसूचना दिनांक 10 नवम्बर 2008 के अनुसार, राज्य के भीतर जब ऑयल कम्पनियों के मध्य हाई एं लाईट डीजल ऑयल और पेट्रोल की बिक्री होती है तो क्रेता कम्पनी को ऐसी खरीद पर शुद्ध विक्रय मूल्य अथवा खरीद मूल्य जो भी कम हो के पांच प्रतिशत (चार प्रतिशत 6 जून 2010 तक) तक के आगत कर

लाभ राशि को अनुमत्य किया जावेगा। तथापि, विवरणी प्रपत्र वैट-10 में इन संव्यवहारों से सम्बन्धित क्रय मूल्य और शुद्ध विक्रय मूल्य को दर्शाने हेतु कोई कॉलम नहीं था। इन कम्पनियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान एक-दूसरे से माल की खरीद राशि ₹ 1,467.20 करोड़ पर ₹ 73.36 करोड़ का आगत कर लाभ की मांग की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने खरीद एवं ब्रिकी राशि का सत्यापन किये बिना ही मांग की गयी सम्पूर्ण आगत कर लाभ राशि को अनुमत्य कर दिया। इन विवरणों के बिना ऑयल कम्पनियों द्वारा मांग की गयी आगत कर लाभ की शुद्धता को लेखापरीक्षा द्वारा नहीं जांचा जा सका।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि राज्य में केवल तीन ऑयल कम्पनियों कार्य कर रही हैं और इन कम्पनियों के द्वारा किये गये क्रय/विक्रय और आगत कर लाभ की पूर्ण निगरानी की जा रही है। तथापि, इन कम्पनियों द्वारा मांग की गयी आगत कर लाभ की शुद्धता को जांचने हेतु नियमित क्रियाविधि नहीं पाई गई। उत्तर इसलिए भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवरणी में क्रय मूल्य और शुद्ध विक्रय मूल्य को दर्शाने वाले कॉलम के अभाव में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कम्पनियों से सूचनाएं मंगवाये बिना आगत कर लाभ की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2.4.13.3 अनुदानित मूल्य पर विक्रय से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं का प्रपत्र वैट-10 एवं वैट-10ए में अभाव

राज्य सरकार ने राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 में एक उप-धारा 3ए सम्मिलित (मार्च 2011) की थी। इस उप-धारा को सम्मिलित करने के उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण (वित्त विधेयक 2011-12) निम्नलिखित प्रकार से था:

‘कतिपय व्यापारों में माल का विक्रय किया जा रहा है और ऐसे विक्रयों पर क्रेता से कर वसूला जा रहा है किन्तु पश्चातवर्ती स्तर पर, क्रय करने वाले व्यवहारियों को विक्रेता क्रेडिट नेट या सब्सिडी आदि के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। ऐसे सहायता प्राप्त करने वाले व्यवहारी सहायता-प्राप्त दरों का माल विक्रय करने के पश्चात पूर्ववर्ती स्तर पर संदर्भ कर के प्रतिदाय का दावा करते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 में एक नयी उपधारा (3ए) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।’ तदनुसार, यदि कोई माल राज्य में खरीदा जाता है और इसके पश्चात सहायता-प्राप्त दरों पर विक्रय किया जाता है तो इस धारा के अन्तर्गत ऐसे माल पर देय आगत कर लाभ, ऐसे माल पर भुगतान किये जाने वाले आउटपुट कर से ज्यादा नहीं होगा।

इस प्रावधान की पालना सुनिश्चित करने हेतु विवरणी में दो सूचनाओं की आवश्यकता थी जैसे कि क्रेता को प्राप्त प्रोत्साहन/बट्टा/सहायता राशि और विक्रय की गई वस्तुओं का क्रय मूल्य। तथापि, विवरणी-प्रपत्रों जैसे कि वैट-10 एवं 10ए की संवीक्षा में पाया गया कि इन विवरणों को दर्शाने हेतु कोई कॉलम नहीं था। व्यवहारियों द्वारा पालना के स्तर को जांचने हेतु, वृत्त विशेष-राजस्थान, जयपुर में

पंजीकृत टायर विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारियों को वर्ष 2011-12 के लिये प्रोत्साहन/बट्टा/सहायता राशि हेतु जारी किये गये क्रेडिट नोट्स की सूचनाओं को एकत्रित किया गया तथा इन का प्रतिसत्यापन 55 क्रेता व्यवहारियों¹⁴ की राजविस्टा पर उपलब्ध वैट विवरणियों से किया गया। यह पाया गया कि 22 क्रेता व्यवहारियों ने माल सहायता-प्राप्त¹⁵ दर पर विक्रय किया था। तथापि इन व्यवहारियों ने धारा 18(3ए) के अनुसार राशि ₹ 1.17 करोड़ का रिवर्स कर अपनी विवरणियों में नहीं दर्शाया था।

राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 20 व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने कोई मांग कायम नहीं की। दो व्यवहारियों के निर्धारण राजविस्टा पर उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार वांछित सूचनायें विवरणियों में उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारण प्राधिकारी राशि ₹ 1.14 करोड़ का रिवर्स कर साथ ही शास्ति ₹ 2.29 करोड़ एवं ब्याज ₹ 48.06 लाख का आरोपण 20 व्यवहारियों पर नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त चार प्रकरणों में व्यवहारियों ने व्यापार खाता वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा धारा 18(3ए) का प्रभाव इन चार प्रकरणों में जांचा नहीं जा सका।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में विश्वास दिलाया की सूचनाओं को विवरणियों में प्राप्त किये जाने की सम्भावना को जांचा जावेगा।

2.4.14 विवरणियों में पूर्ण सूचनाओं के बिना डीम्ड कर निर्धारण

प्रत्येक व्यवहारी को अधिनियम के तहत अपने कर दायित्व का स्व: निर्धारण कर, विवरणी निर्धारित समय व प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्येक विवरणी आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जांच के अधीन होगी। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने निर्देश जारी किये (22 अप्रैल 2013) कि यदि किसी व्यवहारी ने अपनी विवरणी समय पर प्रस्तुत की है तथा अपना कर समय पर भुगतान कर दिया है तो विभाग द्वारा व्यवहारी का कर निर्धारण किया हुआ समझा जायेगा। फिर भी, यह अंतर्निहित है कि प्रत्येक व्यवहारी उसके द्वारा किये गये सभी संव्यवहारों के सम्बन्ध में सही एवं पूर्ण विवरणी प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों की व्यवहारियों तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए चयनित वृत्तों में उच्चतम टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 550 व्यवहारियों की वर्ष 2011-12 की वार्षिक विवरणियों की मापक जांच की गयी। यह पाया गया कि इन व्यवहारियों में से 295 व्यवहारी का डीम्ड निर्धारण हुआ। इन डीम्ड निर्धारण के प्रकरणों की जांच में पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा

¹⁴ क्रेता व्यवहारियों का चयन विक्रेता व्यवहारी से वर्ष 2011-12 के किसी भी तिमाही में सर्वाधिक माल क्रय करने के आधार पर किया गया।

¹⁵ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम था एवं व्यवहारी ने प्रोत्साहन/बट्टा/सहायता प्राप्त की थी।

विवरणियों में अपूर्ण सूचनायें दी गई थी, जैसे, 69 विवरणियों में व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया गया, 96 विवरणियों में उपयोग में लिये गये घोषणा प्रपत्रों का विवरण नहीं दिया गया, 20 विवरणियों में आँकड़ों में अन्तर पाया गया तथा 37 विवरणियों में व्यवसाय की प्रकृति नहीं दर्शायी गयी। इन कमियों के उपरान्त भी व्यवहारियों का डीम्ड निर्धारण हुआ। अतः इन प्रकरणों का निर्धारण उचित सुनवाई के बाद एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होना चाहिये था। यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने इन सभी प्रकरणों में डीम्ड कर निर्धारण मानते समय विवरणियों में अप्राप्त सूचनाओं की अनदेखी की। इसलिए आगत कर लाभ की अनियमित स्वीकृति एवं कर के कम आरोपण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में व्यवहारियों द्वारा सूचनाओं के प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानों की समीक्षा की गयी। यह पाया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक ने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी या प्राप्त किये गये सहित माल के बीजक वार क्रय/विक्रय तथा विक्रय या क्रय के अलावा माल के स्थानान्तरण/प्राप्ति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में एक अधिसूचना (29 अप्रैल 2014) जारी की। राजस्थान वैट अधिनियम/नियमों में समरूप प्रावधानों को लागू करना राजस्व के रिसाव को रोकने में विभाग की सहायता कर सकता है।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि 14 जुलाई 2014 से व्यापार खाते को वैट-10ए का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। यह भी बताया गया कि ऐसे प्रकरणों के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में, धारा 26 केवल अपूर्ण सूचनाओं के आधार पर पुनः निर्धारण के लिये कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती है।

उत्तर व्यवहारियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत किये जाने पर उनकी सही व पूर्ण जांच को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अपनाये गये उपायों को नहीं दर्शाता है।

2.4.15 व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिनियम की पालना को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित¹⁶ पंजीकृत व्यवहारियों के व्यवसाय की लेखापरीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान यदि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ सही नहीं पायी जाती हैं या किसी भी कर अपवंचन या परिवर्जन का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और व्यवहारी के जवाब को शामिल करते हुये उसके कर व अन्य दायित्वों का निर्धारण करेगा तथा ऐसे आदेश को मांग आदेश सहित जारी करने से पूर्व अपने से उच्च अधिकारी से अनुमोदित करायेगा।

¹⁶ आयुक्त वाणिज्यिक कर व्यवहारियों का चयन किसी भी मानदण्ड को लागू करके या चयन करने की रेण्डम प्रणाली या अन्य किसी की जिनके बारे में यह विश्वास किया जावे कि उनके व्यवसाय की विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता है।

यदि व्यवहारी जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी के दायित्व का निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक से करेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान वैट नियमों के नियम 47(3) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के समय पाई गयी कमियों, यदि कोई हो, को दर्शाते हुये एक 'लेखापरीक्षा रिपोर्ट' तैयार करेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों की जांच में निम्न कमियाँ पायी गयी:

2.4.15.1 सुचारू रूप से राजस्व वसूली को सुनिश्चित करने तथा व्यवहारियों द्वारा घोषित कर व देय कर के मध्य अन्तर को समाप्त करने के लिए व्यवसाय लेखापरीक्षा एवं इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27(6) के अनुसार, सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के पांच वर्ष पश्चात् व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए चयनित एवं लेखापरीक्षित व्यवहारियों की सम्पूर्ण स्थिति निम्न प्रकार थी:

व्यवसाय लेखापरीक्षा का वर्ष	पंजीकृत व्यवहारियों की कुल संख्या	मापदण्ड/कसौटी के अनुसार व्यवहारियों की संख्या जिनका चयन किया जाना था	चयनित व्यवहारियों की वास्तविक संख्या (कमी प्रतिशत में)	वर्ष 2014-15 तक किये गये व्यवसाय लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या	वास्तविक कमी (कमी प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2009-10	3,76,688	18,834	5,776(69)	2,570	3,206(55)
2010-11	4,09,323	20,466	7,313(64)	2,352	4,961(67)
2011-12	4,40,842	22,042	1,297(94)	827	470(36)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चयनित व्यवहारियों की लेखापरीक्षा करने में 36 से 67 प्रतिशत तक भारी कमी रही। व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा हेतु 3,206 निर्धारण प्रकरण कालातीत हो गये। इसके अतिरिक्त कम संख्या में व्यवसाय लेखापरीक्षा करने से निर्धारण प्राधिकारियों को इस बात की छूट मिलती है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए मामलों को चुने जो गलत परिपाटी को बढ़ावा दे सकती है।

व्यवसाय लेखापरीक्षा की संभाग-वार स्थिति की जांच में पाया गया कि:

- वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए पांच संभागों¹⁷ ने व्यवसाय लेखापरीक्षा हेतु किसी भी व्यवहारी का चयन नहीं किया;

¹⁷ संभाग: भीलवाडा, बीकानेर, जोधपुर, पाली और उदयपुर।

- वर्ष 2011-12 के लिये पांच संभागों ने किसी भी व्यवहारी का चयन नहीं किया, छः संभागों¹⁸ ने केवल 17 व्यवहारियों का चयन किया तथा दो संभागों¹⁹ ने 1,280 व्यवहारियों अर्थात् कुल चयन का 99 प्रतिशत का चयन किया। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि विभागीय अधिकारियों ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की। यथोच्च रूप से व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की सत्यता एवं राजस्व रिसाव की रोकथाम को सुनिश्चित नहीं किया गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया और उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान व्यवसाय लेखापरीक्षा मापदण्डों के अनुसार नहीं की जा सकी क्योंकि निर्धारण अधिकारियों का अधिकांश समय निर्धारण एवं आई.टी.सी. सत्यापन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में ही अवैत दो गया।

2.4.15.2 लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल एवं कारार बनाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक व अन्य पहलुओं को शामिल करते हुये विभाग द्वारा नौ वर्ष क्वार्टीट हो जाने के उपरान्त भी कोई लेखापरीक्षा मैन्युअल नहीं बनायी गयी। जबकि ऐसे मैन्युअल, वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश द्वारा बना लिये गये थे।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि व्यवसाय लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में समय-समय पर पत्रों व परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये तथा विस्तृत निर्देश 1 मई 2013 को जारी किये गये।

2.4.15.3 आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए कुल पंजीकृत व्यवहारियों के पांच प्रतिशत का चयन करने हेतु 2011, 2012 एवं 2013 में मापदण्ड निर्धारित किये गये। राजविस्ता पर विभाग के आँकड़ों की जांच में पाया गया कि मापदण्डों के अनुसार व्यवहारियों के चयन हेतु वांछित विवरण जैसे कि प्रोत्साहन/आस्थगन योजनाओं के लाभान्वित व्यवहारी, अपवंचना सम्भावित वस्तुये, व्यवहारी जिनके विरुद्ध कर के अपवंचन/अपवर्जन के मामले पाये गये आदि उपलब्ध नहीं थे। व्यवहारियों का चयन के लिए वांछित आँकड़ों के अभाव में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि सन्दर्भित वर्षों के दौरान विवरणी का औन्तलाइन प्रस्तुतीकरण अनिवार्य नहीं था तथा इस प्रकार राजविस्ता प्रणाली इस उद्देश्य के लिए पूर्णरूप से प्रभावी नहीं थी। यह भी बताया गया कि वर्तमान में प्रकरणों का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है।

¹⁸ संभाग: भौतिकाड़, बीकानेर, जयपुर-1, जोधपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर।

¹⁹ संभाग: अलवर और कोटा।

2.4.15.4 वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए व्यवसाय लेखापरीक्षा हेतु व्यवहारियों के चयन के लिए निर्धारित मापदण्डों की जांच में पाया गया कि सभी प्रकार के पंजीकृत व्यवहारियों का चयन करने के बजाय, चयन या तो कर का भुगतान करने वाले व्यवहारियों या विवरणियों प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यवहारियों में से किया गया। उन व्यवहारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिन्होंने शून्य टर्नओवर की विवरणियाँ प्रस्तुत की थीं।

राज्य में ऐसे व्यवहारियों द्वारा सम्भावित कर अपवंचन को जांचने के लिए विभाग को राजविस्टा के माध्यम से वर्ष 2011-12 के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया जिसमें अन्य पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा ऐसे व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया हो। इस रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि 1,440 पंजीकृत व्यवहारियों, जिन्होंने ₹ 176.37 करोड़ का माल बेचा और राशि ₹ 11.39 करोड़ का कर वसूल किया, ने अपनी विवरणियाँ शून्य टर्नओवर की प्रस्तुत की। राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. के अनुसार इन व्यवहारियों के विरुद्ध कोई माँग कायम नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.39 करोड़ के कर, ₹ 22.78 करोड़ की शास्ति तथा ₹ 4.78 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

इसके अतिरिक्त, राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों ने 145 पंजीकृत व्यवहारियों के विरुद्ध केवल ₹ 18 लाख की माँग कायम की जिन्होंने ₹ 971.52 करोड़ का माल बेचा तथा ₹ 12.03 करोड़ का कर एकत्रित किया था लेकिन उनकी विवरणियों में शून्य टर्नओवर दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 11.85 करोड़, शास्ति ₹ 23.71 करोड़ तथा ब्याज ₹ 4.98 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि व्यवहारी जिन्होंने शून्य टर्नओवर घोषित किया था की व्यवसाय लेखापरीक्षा करना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ऐसे प्रकरण प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा देखे जाते हैं। तथापि प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा देखे गये ऐसे प्रकरणों के परिणाम प्रेषित नहीं किये गये।

2.4.15.5 त्रुटिपूर्ण व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण

राजस्थान वैट अधिनियम, राज्य में 2006 से लागू किया गया। फिर भी, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27 के तहत व्यवहारियों की लेखापरीक्षा करने के लिए दिशा निर्देश देरी से जारी (1 मई 2013) किये। इसके उपरान्त विभाग द्वारा सूचित (जून 2015) किये अनुसार सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2013-14 के दौरान 1,818 व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण किये गये।

सूचना की जांच में पाया गया कि निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित 11 वृत्तों में से विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान पांच चयनित वृत्तों²⁰ में 336 व्यवहारियों की व्यवसाय लेखापरीक्षा की। इन व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदेशों को उपलब्ध

²⁰ वृत्तः भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन और जयपुर विशेष-गा

कराने हेतु कहे जाने पर विभाग चार चयनित वृत्तों²¹ के केवल 182 व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदेश ही उपलब्ध करा सका। विभाग द्वारा वृत्त विशेष-III, जयपुर के व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदेश उपलब्ध नहीं कराये गये। शेष छः वृत्तों²² ने वर्ष 2013-14 के दौरान व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण नहीं किये। इन व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारणों की जांच में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने 109 प्रकरणों में निर्दिष्ट प्रश्नावली की पूर्ति नहीं की; निर्धारण प्राधिकारियों ने 59 प्रकरणों में निर्दिष्ट चैक लिस्ट का पालन नहीं किया; 17 प्रकरणों में आयकर विवरणी का प्रतिसत्यापन नहीं किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारियों ने 23 प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा व्यवहारित वस्तुओं के नाम तक नहीं दर्शाये। 22 प्रकरणों में गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन ही नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त नौ प्रकरणों में व्यवसाय लेखापरीक्षा नहीं की गयी क्योंकि व्यवहारियों ने व्यवसाय बन्द कर दिया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि नियमित निर्धारण प्राधिकारियों ने ही व्यवसाय लेखापरीक्षा की एवं समय और अधिकारियों की कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा उचित ढंग से नहीं की गयी। यह भी कहा गया कि व्यवसाय लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अब प्रत्येक संभाग में दो लेखापरीक्षा वृत्त बनाये गये हैं और व्यवसाय लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.4.16 क्षेत्राधिकार के बिना व्यवहारियों का निर्धारण

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी आदेश (31 मार्च 2011) के अनुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एक करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवहारियों का निर्धारण कर सकता था। वर्ष 2011-12 के लिए राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना की जांच में पाया गया कि चयनित वृत्तों²³ के 22 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने ₹ एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 143 व्यवहारियों का निर्धारण कर दिया। इस प्रकार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने व्यवहारियों के निर्धारण हेतु क्षेत्राधिकार के बिना ही इनका निर्धारण कर दिया। निगरानी प्राधिकारी भी इस अनियमितता का पता नहीं लगा सके।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि उक्त सन्दर्भित प्रकरणों में से कुछ प्रकरणों की जांच की गई और पाया कि इनका निर्धारण सहायक आयुक्तों/वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा किया गया था तथा विसंगति पदोन्नत पद को नहीं दर्शाने के कारण हो सकती है।

²¹ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे और जयपुर-एन।

²² विशेष वृत्त: भीलवाडा, पाली और राजस्थान जयपुर; नियमित वृत्त: जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

²³ वृत्त: भिवाड़ी-बी (तीन स.वा.क.अ.), जयपुर-डी (पांच स.वा.क.अ.), जयपुर-जे (तीन स.वा.क.अ.), जयपुर-एन (दो स.वा.क.अ.), जोधपुर-ए (पांच स.वा.क.अ.), नागौर (तीन स.वा.क.अ.) और उदयपुर-बी (एक स.वा.क.अ.)।

2.4.17 लेखों की लेखापरीक्षा

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, ऐसा व्यवहारी जिसने धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 5 के अधीन कर अदा करने का विकल्प चुना है या कोई व्यवहारी या ऐसे व्यवहारियों का वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसका एक वर्ष में सकल टर्नओवर ₹ एक करोड़ से अधिक है, ऐसे वर्ष की लेखा पुस्तकें चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार²⁴ से उस वर्ष के अन्त में निर्धारित अवधि में लेखापरीक्षा करवाएगा।

तथापि, अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2008 द्वारा ऐसे व्यवहारियों को, जिन्होने निर्धारित दस्तावेजों सहित ई-रिटर्न प्रस्तुत की, लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षा कराने से मुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 द्वारा प्रत्येक व्यवहारी ई-रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी था। इन संशोधनों का प्रभाव यह था कि कोई भी व्यवहारी चार्टर्ड/लागत लेखाकार से अपनी लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा कराने के लिए दायी नहीं था।

इसलिए ₹ एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों की लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा कराने की धारा 73 का उद्देश्य को अप्रभावी कर दिया गया।

इस प्रकार न तो विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यवसाय लेखापरीक्षा की गयी और न ही चार्टर्ड/लागत लेखाकार द्वारा एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों की लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि प्रपत्र वैट-10ए को लगभग ऐसी सभी सूचनायें प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो वैट रिपोर्ट के प्रारूप में उपलब्ध थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वार्षिक विवरणी वैट-10ए में निर्दिष्ट व्यापार खाते में सूचनायें जैसे अनुसूची की प्रविष्टि संख्या जिसके अन्तर्गत विक्रय किया गया माल आता है, स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय, स्थायी सम्पत्तियों का पूँजीकरण जिन पर पूँजीगत माल के रूप में आगत कर लाभ का दावा किया गया, घोषणा प्रपत्र (वैट-15, सी प्रपत्र, एच प्रपत्र आदि) के विरुद्ध क्रय, नहीं होती है। इसलिए या तो वैट-10ए के प्रारूप को संशोधित करना चाहिये या वैट ऑडिट को आवश्यक बनाया जाना चाहिये।

आगत कर लाभ (आई.टी.सी.)

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को इस धारा में बताये गये प्रयोजनों हेतु राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल पर आगत कर लाभ इस हेतु निर्धारित तरीके से व सीमा तक दिया जायेगा तथा आगत कर लाभ का दावा मूल वैट बिल के आधार पर जमा

²⁴ (i) चार्टर्ड लेखाकार से आशय चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम नं. 38) एवं (ii) लागत लेखाकार से आशय लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 केन्द्रीय अधिनियम नं. 23)।

कराये गये कर पर स्वीकार किया जायेगा। राजस्थान वैट नियमों के नियम 19(5) के अनुसार व्यवहारियों द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रपत्र वैट-07ए में क्रय के विवरण तथा प्रपत्र वैट-08ए में विक्रय के विवरण सहित प्रस्तुत की जायेगी।

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यवहारी गलत आगत कर लाभ प्राप्त कर लेता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा और ऐसे व्यवहारी पर गलत आगत कर लाभ की राशि की दुगुनी पैनल्टी आरोपित करेगा। निर्धारण आदेशों तथा राजविस्ता पर उपलब्ध सूचनाओं की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः

2.4.18 बिना सत्यापन किये आगत कर लाभ दिया जाना

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अगस्त 2009 में निर्देश जारी किये कि आगत कर लाभ के दावे निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से छः माह के भीतर सत्यापित कराये जाने चाहिये।

2.4.18.1 चार वृत्तों²⁵ में चयनित 80 निर्धारणों में से 35 निर्धारणों की जांच में पाया गया कि नौ प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय आगत कर लाभ ₹ 27.19 करोड़ का दावा बाद में सत्यापन किये जाने की शर्त पर स्वीकार कर लिया गया। तथापि, दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन प्रकरणों में आगत कर लाभ का सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 26 प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश में आगत कर लाभ का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख किये बिना ही आगत कर लाभ ₹ 10.56 करोड़ का दावा स्वीकार किया गया। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आगत कर लाभ सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया।

2.4.18.2 वृत जयपुर-जे के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि एक व्यवहारी मैसर्स ओमेगा एन्टरप्राइजेज (टिन 08344101089) (क्रेता व्यवहारी) ने मैसर्स ऋषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लि. (टिन 08742200154) (विक्रेता व्यवहारी) से वर्ष 2010-11 व 2011-12 के दौरान ₹ 2.40 करोड़ की खरीद दर्शायी तथा ₹ 33.59 लाख के आगत कर लाभ का दावा किया। यह पाया गया कि विक्रेता व्यवहारी ने वसूल किया गया कर जमा नहीं कराया। इसलिये राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अनुसार क्रेता व्यवहारी आगत कर लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। इस प्रकरण में राजस्व पर सम्पूर्ण प्रभाव को जांचने के लिये, विक्रेता व्यवहारी द्वारा किये गये विक्रय को अन्य क्रेता व्यवहारियों द्वारा दावा की गई आगत कर लाभ से प्रतिसत्यापन किया गया।

प्रतिसत्यापन में पाया गया कि नौ क्रेता व्यवहारियों ने विक्रेता व्यवहारी (मैसर्स ऋषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लि.) से वर्ष 2010-11 व 2011-12 के दौरान की

²⁵ वृत्तः भीलवाडा विशेष, जयपुर-डी, जोधपुर-ए और उदयपुर-बी।

गई खरीद पर ₹ 84.39 लाख का आगत कर लाभ प्राप्त किया। फिर भी, इन क्रेता व्यवहारियों का निर्धारण करते समय आठ वृत्तों के निर्धारण प्राधिकारियों ने रिवर्स कर ₹ 84.39 लाख तथा ब्याज ₹ 42.34 लाख आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 59.56 लाख, रिवर्स कर राशि ₹ 1.18 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

यदि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के आगत कर लाभ सत्यापन सम्बन्धी निर्देशों की पालना की जाती तो व्यवहारियों द्वारा गलत दावा किये गये आगत कर लाभ के उक्त प्रकरणों को विभाग द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता था।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.19 पंजीयन निरस्त हुये व्यवहारियों से क्रय पर आगत कर लाभ की गलत स्वीकृति

ऐसे व्यवहारी जिनका पंजीयन निरस्त हो गया, से क्रय किये गये माल पर आगत कर लाभ के अनियमित दावे के लिए पैनल्टी से बचाव हेतु वेबसाइट ‘राजटेक्स’ राजस्थान वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवहारी के पंजीयन की स्थिति (क्रियाशील/निरस्त) को जांचने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनियमित आगत कर लाभ को जांचने के लिये निर्धारण प्राधिकारियों की सहायता के लिये ‘राजविस्टा’ पर भी एक मोड्यूल है। लेखापरीक्षा ने आगत कर लाभ के दावे एवं इसकी प्राप्ति की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिये राजविस्टा पर उपलब्ध आँकड़ों/सूचनाओं की जांच की। इसके परिणामों का विवेचन नीचे किया गया है:

2.4.19.1 यह पाया गया कि 10 चयनित वृत्तों²⁶ के 189 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 39.58 करोड़ का माल ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया जिनका पंजीयन संव्यवहारों की तिथि से पूर्व ही निरस्त हो गया था। इन व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 1.93 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया। इन क्रेता व्यवहारियों का विभाग द्वारा डीम्ड कर निर्धारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.93 करोड़ का आगत कर लाभ गलत दिया गया तथा शास्ति ₹ 3.87 करोड़ व ब्याज ₹ 81.24 लाख का अनारोपण हुआ।

2.4.19.2 स्क्रूटनी निर्धारण के 144 प्रकरणों में पाया गया कि व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 20.89 करोड़ का माल ऐसे व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया जिनका पंजीयन संव्यवहारों की तिथि से पूर्व ही निरस्त हो गया था। इन व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 1.44 करोड़ के आगत कर लाभ का

²⁶ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर, उदयपुर-बी, विशेष भीलवाडा, विशेष-जयपुर-III और विशेष-पाली।

दावा किया। फिर भी, इन क्रेता व्यवहारियों के स्कूटनी निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय चयनित वृत्तों के निर्धारण प्राधिकारियों ने इन अनियमितताओं का न तो पता लगाया न ही व्यवहारियों को विवरणियों को संशोधित करने के लिये कहा और न ही अनियमित आगत कर लाभ का दावा करने के लिये रिवर्स कर ₹ 1.44 करोड़ के अतिरिक्त शास्ति ₹ 2.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 60.58 लाख आरोपित किया।

2.4.19.3 यह पाया गया कि 117 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 22.44 करोड़ का माल ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय किया जिनका पंजीयन संब्यवहारों की तिथि से पूर्व ही निरस्त हो गया था। इन क्रेता व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 1.62 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अनियमित आगत कर लाभ के दावे पर रिवर्स कर आरोपित किया। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारियों ने अनियमित आगत कर लाभ दावे पर ली जाने वाली शास्ति ₹ 3.24 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

राजविस्टा पर सम्बन्धित मोड्यूल उपलब्ध होने के उपरान्त भी, निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों पर रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 14.78 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समाप्त सभा के दौरान बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.20 आगत कर लाभ का अनियमित दावा

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल को राज्य में विक्रय या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विक्रय हेतु, कर मुक्त माल से भिन्न माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग लेने और करमुक्त माल से भिन्न माल के निर्माण में पूँजीगत माल²⁷ के रूप में राज्य में प्रयुक्त किये जाने पर आगत कर लाभ देय होगा।

2.4.20.1 तिमाही विवरणी में आगत कर लाभ का दावा करते समय वस्तु का नाम दर्शने का प्रावधान था। फिर भी, यह पाया गया कि व्यवहारियों ने उस वस्तु के नाम का उल्लेख नहीं किया जिसके लिये आगत कर लाभ का दावा किया गया था। सूचना के अभाव में अयोग्य माल का आगत कर लाभ गलत रूप से लेने पर निर्धारण प्राधिकारी रिवर्स कर आरोपित नहीं कर सके। इसके प्रभाव को आंकने हेतु कुछ वस्तुओं जैसे जनरेटर सेट, अग्निशमन उपकरण एवं

²⁷ राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार 'पूँजीगत माल' से आशय मशीन और संयंत्र से है जिसमें पुर्जे तथा सहायक पुर्जे शामिल हैं जो कि निर्माण में काम आये, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय पत्र में अन्यथा अधिसूचित न किया जाये।

ट्रांसफार्म्स का प्रतिसत्यापन हेतु चयन किया गया जो न तो निर्माण में कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हुये और न ही पूंजीगत माल के रूप में। प्रतिसत्यापन हेतु इन वस्तुओं के 16 विक्रेता व्यवहारियों का चयन विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी सारांश एवं अन्य उपलब्ध सूचनाओं से किया गया। इन व्यवहारियों द्वारा वैट-08ए में दर्शाये गये विक्रय का क्रेता व्यवहारियों के वैट-07ए से मिलान किया गया। यह पाया गया कि 152 व्यवहारियों ने 2011-12 की अवधि के दौरान अयोग्य वस्तुओं के ₹ 9.84 करोड़ के क्रय पर ₹ 64.80 लाख के आगत कर लाभ का दावा किया। राजविस्ता पर उपलब्ध सूचना के अनुसार इन क्रेता व्यवहारियों के विरुद्ध कोई मांग कायम नहीं की गयी। इस प्रकार इन व्यवहारियों द्वारा दावा किये गये आगत कर लाभ ₹ 64.80 लाख को रिवर्स होना था तथा शास्ति ₹ 1.30 करोड़, ब्याज ₹ 27.22 लाख आरोपणीय था।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.20.2 चयनित वृत्तों के निर्धारण अभिलेखों एवं व्यवहारियों द्वारा लिये गये आगत कर लाभ के प्रति सत्यापन करने पर पाया गया कि सात व्यवहारियों ने अयोग्य वस्तुओं के लिये आगत कर लाभ का दावा किया जैसा कि आगामी तालिका में विवेचन किया गया है:

क्र. सं.	क्रेता व्यवहारी का नाम, टिन व वर्ष	वस्तु का नाम जिसके लिये आगत कर लाभ लिया गया	आक्षेपों की प्रकृति
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक टिन: 08059017658 वर्ष: 2010-12 वृत्त विशेष, उदयपुर	विस्फोटक	मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. भीलवाड़ा, टिन 08041002395 (वृत्त, विशेष भीलवाड़ा) ने व्यवहारी मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विस्फोटक का विक्रय किया। संव्यवहारों का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि क्रेता व्यवहारी ने अपनी विवरणियों में उक्त क्रय पर ₹ 5.16 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया। क्रेता व्यवहारी का व्यवसाय अलौह एवं मूल्यवान धातुओं के खनन, निर्माण व विक्रय का था। क्योंकि व्यवहारी द्वारा निर्मित माल में विस्फोटक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, अतः व्यवहारी को आगत कर लाभ देय नहीं था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 5.16 करोड़, ब्याज ₹ 2.51 करोड़ तथा शास्ति ₹ 10.32 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

2.	मैसर्स गोविन्द स्वीट्स प्रा.लि. टिन: 08434101961 वर्ष: 2010-12 वृत्त- जयपुर-जे	एयर कंडीशनर्स, जनरेटर सेट्स, ई.पी.ए.बी. एक्स. सिस्टम, अग्निशमन उपकरण, इत्यादि	व्यवहारी मिठाइयों का निर्माता एवं विक्रेता था। चूंकि उक्त क्रय किया गया माल मिठाइयों के निर्माण में प्रयुक्त हेतु नहीं था। अतः आगत कर लाभ देय नहीं था। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 4.86 लाख, ब्याज ₹ 2.33 लाख एवं शास्ति ₹ 9.73 लाख आरोपित नहीं किये।
3.	मैसर्स होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा.लि. टिन: 08134201066 वर्ष: 2011-12 वृत्त- भिवाड़ी-बी	जनरेटर सेट्स	व्यवहारी दोपहिया वाहनों का निर्माता एवं विक्रेता था। जनरेटर सेट व्यवहारी के लिए पूँजीगत माल नहीं थे और इसलिए निर्धारण प्राधिकारी ने जनरेटर सेट पर आगत कर लाभ को अस्वीकार कर दिया। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स कर ₹ 10.82 लाख के बजाय ₹ 6.50 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 4.33 लाख, ब्याज ₹ 1.82 लाख एवं शास्ति ₹ 21.64 लाख का कम आरोपण किया।
4.	(i) मैसर्स श्री बालाजी फूड्स टिन: 08302156940 (ii) मैसर्स आनन्द फ्लोर मिल्स, बस्सी टिन: 08504100129 (iii) मैसर्स राधा गोविन्द फूड प्रोडक्ट्स टिन: 08024100489 वर्ष: 2011-12 वृत्त- जयपुर-जे	गेहूँ	व्यवहारी गेहूँ के आटे के निर्माता थे। व्यवहारियों ने वर्ष 2010-11 के दौरान गेहूँ के क्रय पर ₹ 7.68 लाख का आगत कर लाभ लिया जिसे बाद में वर्ष 2011-12 के दौरान कर मुक्त माल जो कि गेहूँ के आटे के निर्माण में प्रयुक्त किया। इस प्रकार व्यवहारियों को आगत कर लाभ अनुमत्य नहीं था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 7.68 लाख, ब्याज ₹ 3.69 लाख एवं शास्ति ₹ 15.36 लाख का आरोपण नहीं किया।
5.	मैसर्स परम प्रोडक्ट्स प्रा.लि. टिन: 08211650892 वर्ष: 2011-12 वृत्त- जयपुर विशेष- III	रबर रिंग	व्यवहारी पाईप एवं फिटिंग्स का निर्माता व विक्रेता था। व्यवहारी ने रबर रिंग खरीदे तथा 14 प्रतिशत की दर से ₹ 3.29 लाख का आगत कर लाभ प्राप्त किया। फिर भी, व्यवहारी ने 14 प्रतिशत की दर से कोई माल नहीं बेचा। रबर रिंग अन्तिम उत्पाद है तथा पाईप के निर्माण में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा लिया गया आगत कर लाभ अनुमत्य नहीं था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 3.29 लाख, ब्याज ₹ 1.38 लाख और शास्ति ₹ 6.58 लाख का आरोपण नहीं किया।

उक्त प्रकरण दर्शाते हैं कि व्यवहारियों ने अस्वीकार्य माल पर आगत कर लाभ लिया। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी छः प्रकरणों में अनियमिता का पता नहीं लगा सके तथा एक प्रकरण में निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स कर की सही राशि आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति राशि ₹ 18.82 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.21 प्रतिदाय

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 53 के अनुसार यदि कोई राशि किसी व्यवहारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लौटाने योग्य है तो ऐसी राशि के जमा होने का समुचित सत्यापन किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी को लौटाने योग्य राशि का प्रतिदाय करेगा।

2.4.22 वैट प्रतिदायों में वृद्धि

वर्षवार वैट प्राप्तियां एवं प्रतिदाय निम्नानुसार थे:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वैट प्राप्तियां	वैट प्रतिदाय
2009-10	9,436.29	4.50
2010-11	11,638.74	1.24
2011-12	14,371.53	14.47
2012-13	16,887.47	88.94
2013-14	19,490.41	323.37

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वैट प्राप्तियों में केवल 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी इसी अवधि के दौरान वैट प्रतिदायों में 7,086 प्रतिशत की चेतावनी के स्तर की वृद्धि हुई।

प्रतिदायों में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई असामान्य वृद्धि के कारणों का विभाग द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया। विभाग द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा भी प्रतिदायों में असामान्य वृद्धि के कारणों को नहीं जांच सका।

कर का आरोपण

2.4.23 छूट हुआ टर्नओवर

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से एकत्र वर्ष 2011-12 की सूचनाओं को राजविस्टा पर उपलब्ध आंकड़ों से प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 100 पंजीकृत व्यवहारियों ने माल के पुनःआयात सम्बन्धी अपने संव्यवहारों को या तो दर्शाया ही नहीं या संव्यवहारों की कम राशि दर्शायी। निष्कर्षों का विवेचन निम्न प्रकार है:

2.4.23.1 अद्घासी पंजीकृत व्यवहारियों ने ₹ 112.84 करोड़ का माल पुनःआयात किया। तथापि, इन व्यवहारियों ने संव्यवहारों को वार्षिक विवरणियों के साथ प्रस्तुत अपने व्यापार खातों में नहीं दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप छूटे हुए टर्नओवर पर कर ₹ 1.13 करोड़, ब्याज ₹ 47.39 लाख एवं शास्ति ₹ 2.26 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

2.4.23.2 बारह पंजीकृत व्यवहारियों ने ₹ 54.40 करोड़ के माल का पुनःआयात किया। तथापि, इन व्यवहारियों ने अपनी वार्षिक विवरणियों में केवल ₹ 9.90 करोड़ की माल वापसी दर्शायी। इसके परिणामस्वरूप छूटे हुए टर्नओवर पर कर ₹ 44.50 लाख, ब्याज ₹ 18.69 लाख एवं शास्ति ₹ 89 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि तीन व्यवहारियों के पुनःआयात के आंकड़ों की प्रतिकरापवंचन टीम द्वारा जांच करायी गयी एवं यह पाया गया कि समस्त पुनःआयात माल को लेखापुस्तकों में दर्शाया गया था और इस प्रकार स्टॉक में शामिल कर लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन मापक जांच प्रकरणों में व्यवहारियों ने अपनी वार्षिक विवरणियों जो कि निर्धारण का आधार है, में पुनःआयात सम्बन्धी संव्यवहारों को या तो दर्शाया ही नहीं था या संव्यवहारों की कम राशि दर्शायी थी।

2.4.24 पंजीयन निरस्तीकरण के समय माल का अन्तिम स्टॉक

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 17(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका इस अधिनियम के तहत पंजीयन निरस्त हो गया हो, वह ऐसे निरस्तीकरण की तिथि को स्टॉक में बचे कर योग्य माल तथा पूँजीगत माल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर चुकायेगा।

वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों²⁸ में 2,014 व्यवहारियों ने अप्रैल 2011 या इसके बाद की तिथि से पंजीयन निरस्त करवाया। विवरणियों की प्रस्तुति, पंजीयन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं अन्तिम विवरणी के अनुसार टर्नओवर

²⁸ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर उदयपुर-बी।

के बारे में सूचना चाही गयी लेकिन वांछित सूचना किसी भी वृत्त द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अनुपालना के स्तर को जांचने हेतु 1,532 व्यवहारियों जिनका पंजीयन 31 मार्च 2012 या 1 अप्रैल 2012 से निरस्त किया गया था, का चयन किया गया। राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना की जांच में पाया गया कि इन 1,532 व्यवहारियों में से 1,247 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के लिये अपनी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थीं तथा 18 व्यवहारियों ने अपनी वार्षिक विवरणियों के साथ व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, इन प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कोई मांग कायम नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, सात प्रकरणों में यद्यपि व्यवहारियों ने अन्तिम स्टॉक घोषित किया था परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों ने कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित नहीं की।

यह पाया गया कि ऐसे प्रकरणों में व्यवसाय बन्द करने के समय स्टॉक में रहे माल/पूँजीगत माल पर कर के आरोपण सम्बन्धी राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में व्यवसाय बन्द करने के समय स्टॉक में रहे माल को बाद में बेचने की सम्भावना के कारण कर के भुगतान नहीं होने से सरकार को राजस्व की हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.4.25 कर की गलत दर लगाना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माल की बिक्री पर इस अधिनियम की अनुसूचियों में वर्णित दर से कर देय है। इसके अतिरिक्त राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करते हुए अनुसूची-ग में वर्णित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा किये जाने वाले विक्रय या क्रय को अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों पर या बिना शर्त कर मुक्त घोषित कर सकती है। अनुपालना के स्तर को जांचने हेतु दो वस्तुओं अर्थात् पके हुआ भोजन एवं पूँजीगत माल का चयन किया गया जिसके लिये सशर्त करमुक्त दी गयी थी। मापक जांच के परिणामों का वर्णन इस प्रकार है:

2.4.25.1 पके हुए भोजन पर कर दर 14 प्रतिशत थी। तथापि, राज्य सरकार ने दिनांक 9 मार्च 2010 की अधिसूचना से तीन सितारा श्रेणी से कम के भोजनालयों एवं होटलों को पकाये व परोसे गये भोजन के विक्रय पर पांच प्रतिशत की दर से अधिक के कर के भुगतान को माफ कर दिया।

राज्य आबकारी विभाग से तीन सितारा एवं इससे अधिक की श्रेणी के होटल या हैरिटेज होटल (बी-श्रेणी) के रूप में बार लाइसेन्स रखने वाले होटलों की सूचना प्राप्त की गयी। इन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये प्रस्तुत की गयी विवरणियों की जांच में पाया गया कि 11 व्यवहारियों ने पके हुए भोजन पर सही कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत दर से कर का भुगतान किया।

इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 4.39 करोड़, ब्याज ₹ 2.02 करोड़ एवं शास्ति ₹ 8.77 करोड़ का कम भुगतान हुआ। राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन प्रकरणों के कर निर्धारण के समय कोई मांग कायम नहीं की।

सचिव, वित्त (राजस्व) ने समाप्त सभा के दौरान बताया कि होटलों को श्रेणी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।

2.4.25.2 राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2008 से पंजीकृत निर्माता व्यवहारी के द्वारा पूँजीगत माल, इसके पार्ट्स एवं एसेसरीज के क्रय पर पांच प्रतिशत की दर से अधिक के कर के भुगतान को इस शर्त पर माफ किया कि राज्य का ऐसा क्रेता व्यवहारी राज्य के विक्रेता व्यवहारी को एक निर्धारित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(i) चयनित वृत्तों²⁹ के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पांच व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान क्रेता व्यवहारियों से निर्धारित घोषणा प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही ₹ 1.97 करोड़ मूल्य के प्लान्ट एवं मशीनरी को पूँजीगत माल के रूप में बेचा। निर्धारण प्राधिकारियों ने, कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सही कर दर जो कि 14 प्रतिशत थी आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 17.69 लाख, ब्याज ₹ 7.43 लाख एवं शास्ति ₹ 35.39 लाख का कम आरोपण हुआ।

(ii) जनरेटर सेट्स विद्युत उत्पादन के उपयोग में आते हैं। इस प्रकार विक्रेता व्यवहारी जनरेटर सेट्स को घोषणा प्रपत्र पर पूँजीगत माल के रूप में नहीं बेच सकता है। वृत्त भिवाड़ी-बी के निर्धारण अभिलेखों की जांच में देखा गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स होण्डा मोटर साइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा. लि. टिन 08134201066) ने विक्रेता व्यवहारी (मैसर्स सुधीर पावर प्रोजेक्ट्स लि. टिन 08401764617) से पांच प्रतिशत की कर दर पर जनरेटर सेट्स खरीदे। विक्रेता व्यवहारी की राजविस्टा पर उपलब्ध विवरणियों का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि विक्रेता व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 के दौरान जनरेटर सेट्स का ₹ 1.93 करोड़ का विक्रय पूँजीगत माल के रूप में पांच प्रतिशत की दर से किया। राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. की आगे जांच करने पर पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी (वृत्त-बी, जयपुर) ने कम दर से कर वसूल करने पर विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध मांग कायम नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 17.41 लाख, ब्याज ₹ 7.31 लाख एवं शास्ति ₹ 34.82 लाख का कम भुगतान हुआ।

उपरोक्त आक्षेप दर्शाते हैं कि विभाग ने क्रेता व्यवहारियों द्वारा रियायती दर पर माल खरीदने के लिये जारी किये घोषणा प्रपत्रों³⁰ के दुरुपयोग को जांचने के लिये

²⁹ वृत्त: भिवाड़ी-बी और उदयपुर-बी।

³⁰ क्रेता व्यवहारी रियायती दर पर पूँजीगत माल की खरीद हेतु बिना विभाग की अनुमति के स्वयं द्वारा मुद्रित घोषणा पत्र जारी कर सकता है।

प्रभावी तन्त्र विकसित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, क्रेता व्यवहारी द्वारा घोषणा प्रपत्रों का दुरूपयोग किये जाने पर शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में राजस्थान वैट अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

2.4.26 कर से अनियमित छूट देना

राजस्थान वैट नियमों के नियम 21(1) के अनुसार जो व्यवहारी राज्य में किसी अन्य व्यवहारी को माल के विक्रय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है तो वह वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आयुक्त, वाणिज्यिक कर यदि संतुष्ट हो जाये तो ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर ऐसे घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ा सकता है। प्रावधान यह भी किया गया कि 30 सितम्बर 2012 तक सम्पूरित किये गये निर्धारणों के लिये व्यवहारी घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र 30 जून 2013 तक प्रस्तुत कर सकते थे।

चयनित वृत्तों³¹ के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि आठ व्यवहारियों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के बाद घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2013-14 में मांग ₹ 1.15 करोड़ की कमी की गयी। यह पाया गया कि उक्त घोषणा प्रपत्र उपरोक्त नियम के विपरीत स्वीकार किये गये। इसके परिणामस्वरूप मांग में ₹ 1.15 करोड़ की अनियमित कमी हुई।

राज्य सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि नियमों को फिर से 9 मार्च 2015 को निमानुसार संशोधित कर दिया गया ‘यह भी प्रावधान किया जाता है कि 30 सितम्बर 2014 तक संपूरित किये गये निर्धारणों के लिये व्यवहारी घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र 30 जून 2015 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।’ उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत किये घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र मान्य थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि समयावधि में वृद्धि के लिये संशोधन 9 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी अधिसूचना से पूर्व कायम की गयी मांग में कमी करने के लिये अधिकृत नहीं थे। इस प्रकार घोषणा प्रपत्रों को स्वीकार करना गलत था। इसे फिर से विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सचिव, वित्त (राजस्व) ने विभाग को घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये।

2.4.27 ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 55 के अनुसार यदि कोई व्यवहारी उसके द्वारा देय राशि को निर्दिष्ट समयावधि में भुगतान करने में चूक करता है तो वह ऐसी

³¹ वृत्त: भीलवाडा-विशेष, जयपुर-विशेष-गा, जयपुर-जे और उदयपुर-बी।

राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान के लिये निर्धारित तिथि के अगले दिन से भुगतान किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिये ब्याज के भुगतान के लिये दायी होगा।

चयनित वृत्तों³² के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 408 प्रकरणों में व्यवहारियों ने मांग राशि ₹ 1.15 करोड़ को 3 से 232 माह की देरी से जमा कराया। यह पाया गया कि न तो व्यवहारियों ने मांग जमा कराते समय ब्याज जमा कराया और न ही निर्धारण प्राधिकारियों ने आगामी वर्ष के डी.सी.आर. में प्रविष्टियां करते समय विलम्ब से जमा मांग पर ब्याज मांगा। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 49.55 लाख की मांग कायम नहीं हुई।

2.4.28 आयातित माल परिवहन के साथ लेकर चलने हेतु वांछित घोषणा प्रपत्रों की निगरानी नहीं किया जाना

राजस्थान वैट नियमों के नियम 53 के अनुसार कोई पंजीकृत व्यवहारी, (i) जो राज्य के बाहर कहीं से भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर योग्य माल विक्रय हेतु आयात करता है या (ii) जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर योग्य माल जो उसे राज्य के बाहर कहीं से भी भेजा गया हो या शाखा अन्तरण/डिपो अन्तरण/स्टॉक अन्तरण के रूप में प्राप्त करता है या (iii) जो राज्य के बाहर से उपयोग, उपभोग या बिक्री से भिन्न उद्देश्य के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर योग्य माल लाने, आयात करने का इरादा रखता है या अन्यथा प्राप्त करता है; तो प्रपत्र वैट-47 में स्थाही से लिखकर पूर्ण रूप से भरा हुआ एक घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रपत्र में कीमत, प्रयोग की दिनांक एवं माह इस हेतु प्रपत्र में दी गयी जगह पर छिद्रित किया गया हो। घोषणा प्रपत्र का प्रतिपर्ण व्यवहारी द्वारा अपने पास रखा जायेगा तथा उसके उन भागों को जिस पर 'मूल' एवं 'डुप्लीकेट' अंकित है उन्हें माल परिवहन के समय साथ रखना होगा। पंजीकृत व्यवहारी माल के आयात का विवरण प्रपत्र वैट-48 में प्रपत्र वैट-47 के डुप्लीकेट भाग के साथ प्रस्तुत करेगा और यदि प्रपत्र वैट-47 का मूल भाग किसी अधिकारी द्वारा नहीं रखा गया है तो उसे भी प्रपत्र वैट-47 के डुप्लीकेट भाग सहित निर्धारण प्राधिकारी को विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा।

चयनित वृत्तों³³ के 22 व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध एवं उपयोग किये गये 284 वैट-47 प्रपत्रों की जांच में पाया गया कि व्यवहारियों ने निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार अपूर्ण प्रपत्र प्रस्तुत किये:

³² वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन और उदयपुर-बी।

³³ वृत्त: भिवाड़ी-बी (छ: व्यवहारी), जयपुर-जे (छ: व्यवहारी), जयपुर विशेष-III (पांच व्यवहारी) और पाली-विशेष (पांच व्यवहारी)।

क्र. सं.	कमियों का विवरण	व्यवहारियों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या
1.	प्रेषक द्वारा विवरण नहीं भरा जाना	22	174
2.	परिवहनकर्ता द्वारा विवरण नहीं भरा जाना	19	98
3.	व्यवहारियों द्वारा मूल्यांक को छिद्रित नहीं करना	22	254
4.	व्यवहारियों द्वारा प्रपत्रों के उपयोग की तिथि को छिद्रित नहीं करना	22	254

कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने या जांचने की दृष्टि से आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा राज्य में 63 स्थानों पर चैक पोस्ट स्थापित की गयी थी। तथापि, 1 मई 2008 से चैक पोस्टों को हटा दिया गया। चैक पोस्टों के नहीं होने से माल के अनधिकृत आवागमन को जांचने हेतु प्रपत्र वैट-47 ही एक मात्र नियन्त्रक विद्यमान है। उक्त वैट-47 प्रपत्रों में राशि ₹ 38.08 करोड़ का माल का आवागमन घोषित किया गया। तथापि, उपरोक्त कमियों के कारण व्यवहारियों द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करने/कम दर्ज करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि 1 जुलाई 2015 से वर्ष 2014-15 या किसी आगामी वर्ष में ₹ 25 लाख के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों के लिये आधिकारिक वेबसाइट से वैट-47ए जनरेट करना अनिवार्य कर दिया गया। इसलिये कोई भी खाली या अपूर्ण प्रपत्र जनरेट नहीं किया जा सकता है।

विभाग को राजस्व के किसी भी रिसाव को रोकने के लिये 1 जुलाई 2015 से पूर्व उपयोग में लिये गये घोषणा प्रपत्रों की निगरानी करनी चाहिए तथा उपयोग में लिये गये वैट-47 प्रपत्र सहित प्रपत्र वैट-48 में विवरण के प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.29 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

आन्तरिक नियन्त्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को उचित रूप से लागू करने के प्रति आश्वासन देना है। निगरानी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये सतत् एवं प्रभावी निगरानी तन्त्र आवश्यक है। प्रभावी कर प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिये आयुक्त, वाणिज्यिक कर निर्धारणों के लिये क्षेत्राधिकार, विवरणियों की जांच, आगत कर लाभ का सत्यापन, व्यवसाय की लेखापरीक्षा आदि के सम्बन्ध में फील्ड इकाइयों को निर्देश जारी करता है। तथापि, फील्ड इकाइयों द्वारा ऐसे निर्देशों की पालना नहीं करना जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी अनुपालना की निगरानी नहीं रखना कमजोर नियन्त्रण तन्त्र के परिचायक है। इसके अतिरिक्त, निम्न कमियां पायी गयी:

2.4.29.1 राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्येक विवरणी, सत्यता के प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के अधीन होगी और यदि उसमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी त्रुटि को सुधारने के लिये व्यवहारी को निर्धारित प्रारूप में एक नोटिस जारी करेगा।

चयनित वृत्तों में पाया गया कि व्यवहारियों को जारी नोटिसों की पालना पर निगरानी हेतु किसी भी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। ऐसे रजिस्टरों के अभाव में यह सुनिश्चित करना कठिन था कि व्यवहारियों द्वारा इनकी पालना कर ली गयी तथा अनुपालना नहीं किये जाने के प्रकरण में, यदि कोई हो तो, दण्डात्मक कार्यवाही की गयी।

इसके अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारियों को जब भी पारित निर्धारणों में त्रुटि का पता चलता है तो वे संशोधन पूर्व नोटिस जारी करते हैं। विभाग में निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे नोटिसों पर कोई कार्यवाही कर ली गयी। इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यवहारियों द्वारा जिन्होंने नोटिसों की पालना नहीं की, करवंचना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सचिव, वित्त (राजस्व) ने समापन सभा के दौरान विभाग को सभी नोटिसों को ऑनलाइन सिस्टम से जारी करने के निर्देश दिये।

2.4.29.2 आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने एक परिपत्र (3 जनवरी 2008) जारी किया और निर्धारित प्रारूप में डी.सी.आर. संधारित करने हेतु निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश दिये। वृत्त जयपुर-जे के पांच निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संधारित डी.सी.आर. की जांच में पाया गया कि इन निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण आदेशों की प्रविष्टियां करते समय डी.सी.आर. (2012-13 एवं 2013-14) के 52 क्रम संख्याओं को रिक्त छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, इन निर्धारण प्राधिकारियों ने 30 निर्धारण आदेशों की प्रविष्टियां करने में उप क्रमांक का उपयोग करते हुए एक क्रम संख्या को दो बार प्रयुक्त किया। ये अनियमितताये डी.सी.आर. की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि वर्तमान में डी.सी.आर. राजविस्ता पर संधारित किये जा रहे हैं।

2.4.29.3 यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बकाया मांगों की सभी प्रविष्टियों को चालू वर्ष के डी.सी.आर. में अग्रेषित कर दिया गया था, की निगरानी के लिये कोई नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी। वृत्त जयपुर-जे एवं जयपुर-एन के डी.सी.आर. (वर्ष 2013-14 व 2014-15) की मापक जांच में पाया गया कि दो निर्धारण प्राधिकारियों³⁴ द्वारा 28 प्रकरणों में बकाया मांग ₹ 3.96 लाख को आगामी वर्ष के डी.सी.आर. में अग्रेषित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप डी.सी.आर. से मांग राशि ₹ 3.96 लाख विलोपित हो गयी।

³⁴ वृत्त: जयपुर-जे, स.वा.क.अ. घट-गा और जयपुर-एन स.वा.क.अ. घट-गा

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि वर्तमान में डी.सी.आर. राजविस्टा पर संधारित किये जा रहे हैं।

2.4.29.4 राजस्थान वैट अधिनियम में अवार्डर द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती, इसे समय पर सरकारी खाते में जमा कराने के प्रावधान हैं तथा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन होने के मामले में अवार्डर पर शास्ति के प्रावधान भी हैं। यह पाया गया कि वर्ष 2013 तक मासिक विवरणों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु न तो कोई नियन्त्रक रजिस्टर और न ही अवार्डरों की अलग-अलग पत्रावलियां विहित की गयी थीं। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण प्राधिकारियों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी कि अवार्डरों ने स्त्रोत पर कर की सही कटौती की एवं इसे समय पर जमा कराया। बाद में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अवार्डरों के दायित्व की निगरानी हेतु निर्धारित रजिस्टर संधारित करने के लिये निर्देश (19 जुलाई 2013) जारी किये। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर, चयनित वृत्तों³⁵ ने निर्धारित रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। इसलिये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन वृत्तों द्वारा रजिस्टर संधारित किये गये या निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किस प्रकार से अवार्डरों के दायित्व को सुनिश्चित किया गया।

2.4.30 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वैट राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। कर का किसी भी प्रकार का रिसाव सरकार के राजस्व एवं इसकी बजट सन्तुलन की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिये, कर प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये वैट के पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण के लिये एक मजबूत तन्त्र होना आवश्यक है। विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किये हैं जैसे व्यवहारियों द्वारा विवरणियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना एवं उनका निर्धारण करना, आई.टी. मॉड्यूल द्वारा आगत कर लाभ के दावों का सत्यापन आदि। फिर भी, निम्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

- पंजीयन के लिये दायी व्यवहारी का पता लगाने के लिये विभाग में तन्त्र अपर्याप्त था। सरकार को चाहिए कि कर योग्य खनिज के प्रत्येक खनन पट्टाधारी के बाध्यकारी पंजीयन हेतु राजस्थान वैट अधिनियम में प्रावधान शामिल करे तथा आयातकों को आसानी से पहचाने हेतु 'बिल ऑफ एन्ट्री फार्म' में आयातक व्यवहारी के टिन के लिये एक कॉलम जोड़ने के लिये कन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध करें। सरकार को पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यवहारियों को कर के दायरे में लाने हेतु विभाग में/अन्य विभागों के पास उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में लाने के लिये एक प्रणाली विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए।

³⁵ वृत्त: भीलवाडा विशेष, भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, जयपुर-विशेष-III, पाली विशेष, नागौर और उदयपुर-बी।

- ④ व्यवहारियों के सही कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक ब्यौरा लेने के लिये विवरणियों के प्रारूप अपर्याप्त थे। इसके अतिरिक्त व्यवहारियों ने अपूर्ण विवरणियां दी या विवरणियों में विरोधाभाषी सूचनायें प्रस्तुत की थी। विवरणियों की जांच एवं निगरानी से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना कमज़ोर थी। सरकार को विवरणियों के प्रारूप में संशोधन पर विचार करना चाहिए ताकि उन्हें राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों के और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। सरकार को राजविस्टा के तन्त्र को यह सुनिश्चित करने हेतु बेहतर बनाने पर विचार करना चाहिए कि अपूर्ण विवरणियां स्वीकार ही नहीं हैं। राजविस्टा में जब तक यह परिवर्तन नहीं किया जावे तब तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अपूर्ण विवरणियों की जांच के लिये निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए।
- ⑤ राजस्थान वैट अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना का अभाव पाया गया। बहुत से व्यवहारियों ने, जिन्होंने कर वसूल कर लिया था, या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की या शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की। सरकार को ऐसे व्यवहारियों द्वारा, करवंचना को जांचने के लिये राजविस्टा पर मॉड्यूल्स बनाने पर विचार करना चाहिए जिन्होंने शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की या विवरणियां प्रस्तुत नहीं की। व्यवहारियों द्वारा क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, क्रेडिट/डेबिट नोट्स का बीजक वार विवरण को अपलोड करने के लिये प्रावधानों को वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान वैट नियमों में सम्मिलित करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।
- ⑥ व्यवसाय लेखापरीक्षा कर-प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी उपेक्षित रहा क्योंकि चयनित प्रकरणों की व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में 67 प्रतिशत तक की कमी रही तथा 3,206 प्रकरण कालातीत हो गये। सरकार को राजस्व रिसाव को रोकने के लिये व्यवसाय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। व्यवसाय लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिये व्यवसाय लेखापरीक्षा मैन्युअल बनाने पर भी विचार करना चाहिए।

इन सिफारिशों पर भी समापन सभा के दौरान विचार विमर्श किया गया। सचिव, वित्त (राजस्व) ने उपयुक्त परीक्षण के बाद सिफारिशों को अमल में लाने का आश्वासन दिया।

2.5 शास्ति का अनारोपण

'केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956' की धारा 10ए के साथ पठित धारा 10(डी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रय किये गये माल का धारा 8(3) के क्लाज (बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में असफल रहता है तो वह प्राधिकारी जो उसे इस अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करता है, समुचित अवसर प्रदान करने के बाद शास्ति आरोपित कर सकेगा जो इस माल के राज्य के अन्दर की गई बिक्री पर कर राशि से डेढ़ गुनी से अधिक नहीं होगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत 'बी' उदयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जुलाई 2014) कि एक व्यवहारी (मैसर्स दि लैक पैलेस होटल एण्ड मोटल्स प्रा. लि.) जो होटल व्यवसाय करता है, ने वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में सी प्रपत्र के समर्थन में ₹ 139.58 लाख के इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुएं, फर्नीचर, लिफ्ट व बाथ फीटिंग उपसाधन इत्यादि अन्य राज्य से क्रय किये। यह माल धारा 8 की उपधारा (3) के क्लाज (बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया। इसलिए व्यवहारी इस माल पर 14 प्रतिशत की दर से देय कर का डेढ़ गुना शास्ति ₹ 29.31 लाख चुकाने के लिये दायी था। निर्धारण प्राधिकारी ने इस व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2013 व मार्च 2014) शास्ति आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2015)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि वैट एवं केन्द्रीय विक्रय कर की ₹ 60.29 लाख की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 6.03 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.6 पेट्रोलियम व्यवहारियों को प्रशमन योजना में गलत लाभ देना

राज्य सरकार ने राजस्थान वैट अधिनियम 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 9 मार्च 2007 को पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा बिक्री वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिए प्रशमन योजना जारी की जिसके तहत लुब्रिकेन्ट, पीला कपड़ा और फैन बैल्ट विक्रय करने वाले व्यवहारियों को कर के स्थान पर प्रशमन राशि के भुगतान का विकल्प दिया गया। अनुच्छेद 5.04(ii) के अनुसार यदि व्यवहारी निर्धारित समय में प्रशमन राशि जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो योजना का लाभ तब ही स्वीकृत किया जा सकता है, जब वह योजना के तहत सम्पूर्ण बकाया राशि राजस्थान वैट अधिनियम में अधिसूचित दर से ब्याज के साथ जमा करा देगा। इसके अतिरिक्त यदि वह देय तिथि से तीन माह के भीतर देय किश्त जमा कराता है तो उसे देय प्रशमन राशि का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क भी जमा कराना होगा। यदि बकाया राशि उपरोक्त तीन माह के बाद और सम्बन्धित

वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है तो विलम्ब शुल्क देय राशि का 50 प्रतिशत होगा और इसके बाद वह योजना में लाभ के योग्य नहीं होगा।

सरकार ने अधिसूचना दिनांक 21 जून 2012 द्वारा अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2007 में संशोधन कर के उन व्यवहारियों को भी योजना का लाभ अनुमत्य कर दिया जो कि प्रशमन राशि या विलम्ब शुल्क या ब्याज सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च से पहले जमा कराने में तो असमर्थ रहे थे किन्तु जिन्होंने अपने टर्नओवर की सूचना 31 मार्च 2011 से पहले निर्धारण प्राधिकारी को दे दी थी। संशोधन के अनुसार ऐसे चूककर्ता व्यवहारी प्रशमन योजना का लाभ ले सकते थे, यदि वे योजना के अन्तर्गत देय सम्पूर्ण राशि राजस्थान वैट अधिनियम में अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित जमा कराने के साथ अतिरिक्त विलम्ब शुल्क जो कि देय प्रशमन राशि का 100 प्रतिशत था, 15 जुलाई 2012 तक जमा करा देते हैं।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'सी' भीलवाडा के अवधि 2011-12 से 2013-14 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जून 2014) में पाया कि पांच व्यवहारियों ने जिन्होंने पैट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु पंजीकृत व्यवहारियों हेतु प्रशमन योजना को चुना था ने निर्दिष्ट अवधि तक निर्धारित प्रशमन राशि एवं विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया था। योजना की शर्त की पालना नहीं करने से ये व्यवहारी योजना के अन्तर्गत लाभ के योग्य नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने राजस्थान वैट अधिनियम के तहत व्यवहारियों के नियमित कर निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अन्तर कर ₹ 13.19 लाख एवं ब्याज ₹ 5.57 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2015)। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि कर ₹ 13.19 लाख, ब्याज ₹ 7.14 लाख की मांग कायम की गयी एवं ₹ 10.62 लाख की वसूली हो चुकी है। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.7 प्रवेश कर का अनारोपण

राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 8 मार्च 2006 एवं 9 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया।

आठ वाणिज्यिक कर कार्यालयों³⁶ के प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों की वैट कर निर्धारण अभिलेखों के साथ मापक जांच (जून 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) में पाया गया कि 16 व्यवहारियों ने 2009-10 से 2012-13 के दौरान

³⁶ वा.क.अ.: विशेष पाली, सीकर, 'बी' अजमेर, (डब्ल्यू.टी.) भरतपुर, 'बी' उदयपुर, विशेष-VII जयपुर, विशेष-II भिवाड़ी एवं 'सी' जयपुर।

₹ 35.71 करोड़ का माल व्यापार में उपभोग या प्रयोग के लिए खरीदा, जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था। तथापि इन व्यवहारियों ने कोई प्रवेश कर नहीं चुकाया। प्रवेश कर आरोपण हेतु कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी इन व्यवहारियों द्वारा किये गये क्रय को वैट विवरणियों के संलग्नकों (प्रपत्र वैट-47, सी फार्म, ऑडिट रिपोर्ट एवं प्रपत्र वैट-10ए) में दर्शायी खरीद से मिलान करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर ₹ 1.21 करोड़ एवं ब्याज ₹ 45.41 लाख (मार्च 2014 तक) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य), तथा सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2015)। सरकार ने उत्तर दिया कि (अगस्त 2015) कि ₹ 1.60 करोड़ (प्रवेश कर ₹ 71.02 लाख, ब्याज ₹ 32.53 लाख एवं शास्ति ₹ 56.65 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 49.35 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

अध्याय-III

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

अध्याय-III: वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों व इनके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती हैं एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियाँ, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनायें जो कि राज्य परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं, से विनियमित होती हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित हैं जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है जो अनुमोदित योजना, एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु इयू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल इयू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशत में
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30
2014-15	4	51	55	45	10	18.18

यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त में, अवधि 2014-15 तक के 13,039 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1992-93 से 2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेद	8,485	729	823	957	893	1,152	13,039

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अवधि 2009-10 तक के 8,485 अनुच्छेद बकाया थे। बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेद इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान 28 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में लेखापरीक्षा को 7,470 प्रकरणों, में ₹ 33.48 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला। ये प्रकरण मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के उपाय' पर एक अनुच्छेद	1	9.51
2.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क की अवसूली/कम वसूली।	3,934	10.64
3.	कर, मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना।	3,513	12.90
4.	अन्य अनियमिततायें	22	0.43
योग		7,470	33.48

वर्ष के दौरान, विभाग ने 6,004 प्रकरणों में ₹ 14.72 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 5.08 करोड़ के 1,766 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2014-15 के दौरान, 2,291 प्रकरणों में ₹ 5.03 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 1.25 करोड़ के 421 प्रकरण वर्ष 2014-15 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

'परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के उपाय' पर एक अनुच्छेद जिसमें निहित राजस्व राशि ₹ 9.51 करोड़ तथा कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 26.15 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 3.4 से 3.9 में चर्चा की गयी है।

3.4 परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के उपाय

3.4.1 परिचय

देश में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन गतिविधियों में सुधार करने एवं सभी स्तरों पर सरकार द्वारा किए जा रहे नीतिगत पहलू को रूप देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई (15 मार्च 2010)। सड़क सुरक्षा नीति में अन्य बातों के साथ सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता, सुरक्षित सड़क आधारभूत सुविधायें, सुरक्षित वाहन, सुरक्षित वाहन चालक, सड़क सुरक्षा कानूनों को लागू करने इत्यादि को सुनिश्चित किया जाना सम्मिलित किया गया।

राज्य में यद्यपि अभी तक कोई सड़क सुरक्षा नीति नहीं बनाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये कार्ययोजना तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया (18 मार्च 2010)। समिति द्वारा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना तैयार की गई जिसे अनुपालना हेतु सम्बन्धित विभागों को भेजी गयी (16 अगस्त 2010)।

यद्यपि कार्ययोजना को निर्धारित समयावधि में लागू करने की सम्बन्धित विभागों¹ की संयुक्त जिम्मेदारी थी, जिसमें परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु योजनायें एवं कार्यक्रम तैयार करने तथा इनके लागू करने पर निगरानी रखने के लिये जिम्मेदार था। कार्ययोजना में परिवहन विभाग से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु जिनकी

¹ वित्त, पुलिस, लोक-निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गैर सरकारी संस्थाएं इत्यादि।

अनुपालना निर्धारित समयावधि में सही तौर पर में सुनिश्चित नहीं की गई, निम्न प्रकार थी:

क्र. सं.	कार्ययोजना	समयावधि
(अ)	अल्पकालीन कार्ययोजना	
1.	चालक लाईसेन्स जारी करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।	2 माह
2.	दो पहिया वाहन चालकों के लिये सम्पूर्ण राज्य में हेलमेट पहनना अनिवार्य करना; नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच हेतु विभाग के उड़नदस्तों को ब्रेथ ऐनेलाईजर उपलब्ध करवाना।	6 माह
3.	भार वाहनों में ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति को सख्ती से रोकना; वाहन चलाते समय मोबाईल के उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना; दुर्घटना के कारणों की जांच करना।	निरन्तर
(ब)	दीर्घकालीन कार्ययोजना	
1.	सड़क सुरक्षा के उपायों हेतु सड़क सुरक्षा फण्ड बनाना; मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135 के अन्तर्गत दुर्घटना के कारणों की जांच हेतु स्कीम बनाने के लिए विभाग को अधिक सुसंगठित करना।	1 वर्ष
2.	अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित कर संग्रहण केन्द्रों पर कम्प्यूटराईज्ड तौल यन्त्र एवं चैकिंग प्लाजा स्थापित करना; संभाग एवं जिला स्तर पर आवासीय मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करना; सभी उड़नदस्तों को वाहनों की जांच के लिये ब्रेथ ऐनेलाईजर, इन्टरसेप्टर, स्पीड रडार गन आदि आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना; राजमार्गों पर वाहन चालकों के आराम एवं स्वास्थ्य लाभ के लिये उच्च मार्ग सुविधा केन्द्र स्थापित करना।	2 वर्ष

3.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र

सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के क्रियान्वयन में विभाग की कार्यकुशलता तथा प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा उपायों की लेखापरीक्षा की गई। हमने प्रोबेबिलीटी प्रोपोर्शन टू साईज सैम्प्लिंग (पीपीएस) के आधार पर राज्य के 33 जिलों में से आठ जिलों² (25 प्रतिशत) का चयन किया। लेखापरीक्षा के दौरान पांच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रा.प.अ.) एवं तीन जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) कार्यालयों के 2011-12 से 2013-14 के अभिलेखों की मापक जांच की गई।

² प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: बीकानेर, दौसा, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: बांसवाड़ा, झुनझुनू एवं राजसमन्द।

3.4.3 राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व कारणों की प्रवृत्ति

2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एवं इसके परिणामस्वरूप हताहतों की संख्या के साथ-साथ पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के तथ्यात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

(संख्या में)

वर्ष	राज्य सांख्यिकी			राष्ट्रीय सांख्यिकी		
	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	जनहानि	घायल	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	जनहानि	घायल
2011	23,245	9,232	28,666	4,97,686	1,42,485	5,11,394
2012	22,969	9,528	28,135	4,90,383	1,38,258	5,09,667
2013	23,592	9,724	27,424	4,86,476	1,37,572	4,94,893
योग	69,806	28,484	84,225	14,74,545	4,18,315	15,15,954

स्रोत: भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मन्त्रालय एवं परिवहन विभाग का सांख्यिकी सार।

उपरोक्त से यह पता चलता है कि राज्य में 69,806 सड़क दुर्घटनाओं में 28,484 व्यक्तियों की जनहानि हुई, जो कि दुर्घटनाओं में जनहानि के राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक था। राज्य में जनहानि अनुपात 2.45 दुर्घटनाओं में एक था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जनहानि अनुपात 3.52 दुर्घटनाओं में एक था। सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(संख्या में)

वर्ष	चालक की गलती	यात्री की गलती	सड़क की खराब स्थिति	खराब मौसम	वाहन में यांत्रिकी खराबी	पशु/पशु गाड़ियां	अन्य	योग
2011	22,576	5	282	14	16	-	352	23,245
2012	21,939	16	209	30	28	4	743	22,969
2013	22,120	-	203	76	72	14	1,107	23,592
योग	66,635	21	694	120	116	18	2,202	69,806

स्रोत: विभाग का सांख्यिकी सार।

उपरोक्त से यह पता चलता है कि 95 प्रतिशत से अधिक सड़क दुर्घटनायें वाहन चालक की गलती के कारण हुई थी, जो कि वाहन चालकों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की आवश्यकता को बताता है।

आठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों की मापक जांच में पाया गया कि प्रवर्तन उपायों एवं कार्ययोजना की पालना के साथ-साथ

सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक अन्य सुधारात्मक उपायों में कई कमियां थीं, जिनका आगे के पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.4 अल्पकालीन कार्ययोजना

3.4.4.1 दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 8.28 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर कोई भी दो पहिया मोटर वाहन को सम्मिलित करते हुए मोटर साइकिल चलाते अथवा पीछे की सीट पर सवारी करते समय, सड़क दुर्घटना में सिर की चोट से सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक टोपी अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरों के मानकों को पूरा करने वाला हेलमेट पहनना चाहिए। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई 2002 द्वारा पीछे की सीट पर सवारी करने वालों एवं पगड़ीधारी सिक्ख चालकों को तथा जिला मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य की अन्य नगर पालिका सीमाओं के मामलों में उक्त नियमों में छूट प्रदान की थी। जबकि सड़क सुरक्षा नीति से सम्बन्धित सरकार की कार्ययोजना के अनुसार छः माह में सम्पूर्ण राज्य में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाना था।

चयनित इकाइयों में, जिला स्तरीय यातायात प्रबन्धन समिति³ (टी.एम.सी.) की बैठकों से सम्बन्धित पत्रावलियों की समीक्षा में, पाया गया कि दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाने से सम्बन्धित कार्ययोजना पर बार-बार विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य के खण्ड मुख्यालयों की नगरपालिका सीमाओं से भिन्न क्षेत्रों में पीछे बैठने वाली सवारियों को शिथिलता एवं राजस्थान राज्य की समस्त नगरपालिकाओं की सीमाओं से भिन्न क्षेत्रों को छूट प्रदान की थी (1 अप्रैल 2015)। हालांकि अन्त में सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 की अधिसूचना को विखण्डित करते हुए उक्त नियम के प्रावधानों को सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया (28 अक्टूबर 2015)। राज्य में हेलमेट पहनना अनिवार्य किये जाने से सम्बन्धित कार्ययोजना के क्रियान्वयन में देरी विभाग/सरकार की शिथिलता को दर्शाता है।

दुर्घटनाओं में सम्मिलित वाहनों से सम्बन्धित आँकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि लगभग 22 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में दो पहिया वाहन शामिल थे लेकिन चयनित इकाइयों में मापक जांच किये गये चालानों में दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने से सम्बन्धित एक भी चालान विभाग द्वारा नहीं बनाया गया।

³ राज्य सरकार द्वारा धारा 215(3) के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य करने के लिए 28 जून 2008 को प्रत्येक जिले में बनाई गई।

3.4.4.2 सड़क सुरक्षा सपाह मनकर जनसाधारण में सतर्कता उत्पन्न करना

सम्पूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। राजस्थान में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक, साईंकिल रैली, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगितायें, वाद-विवाद प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अवधि 2011-14 के दौरान सम्बन्धित यातायात प्रबन्धन समिति एवं विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किये गये, लेकिन विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों को इस हेतु कोई फण्ड/राशि आवंटित नहीं की गयी सिवाय वर्ष 2012-13 के जब चार⁴ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को ₹ 10.50 लाख का आवंटन किया गया।

कुछ कल्याण संस्थाओं/और सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को लोगों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता लाने के लिये ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, स्थानीय भाषा में फिल्म, इंटरेक्टिव गेम्स, प्रश्नोत्तरी, लोक संगीत इत्यादि विकासित करने के लिये कहा गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 12 एन.जी.ओ. द्वारा इन गतिविधियों पर सरकार द्वारा उपलब्ध धन में से ₹ 30.08 लाख व्यय किये गये।

3.4.4.3 वाहन प्रवर्तन मॉड्यूल का क्रियान्वयन नहीं होना

वाहनों/वाहन चालकों के विरुद्ध अपराधों/अपराधियों के इतिहास का संधारण/पुनरावृत्ति से सम्बन्धित प्रवर्तन गतिविधियों का मानवीय रूप से संधारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नेशनल इन्फोरमेशन सेंटर (एन.आई.सी.) द्वारा वाहन पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी के स्वचालित प्रबन्धन के लिये वाहन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। प्रवर्तन कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के लिये वाहन सॉफ्टवेयर में प्रवर्तन मॉड्यूल डिजाइन किया गया। वाहन सॉफ्टवेयर के प्रवर्तन मॉड्यूल में वाहनों से सम्बन्धित अपराधों को प्रतिदिन कम्प्यूटर डाटाबेस में डालना था। यह कम्प्यूटर डाटाबेस बार-बार अपराध करने वाले वाहन चालकों की पहचान एवं ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये राज्य एवं राष्ट्रीय रजिस्टर में साझा किया जा जाना था।

चयनित कार्यालयों की मापक जांच में पाया गया कि यद्यपि वाहन सॉफ्टवेयर सभी कार्यालयों में कार्य कर रहा था लेकिन प्रवर्तन मॉड्यूल क्रियाशील नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर कार्यालय में अपराध करने वाले वाहनों के विरुद्ध बनाये गये चालान एवं लगाये गये/वसूल किये गये जुमनि से

⁴ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: चित्तोड़गढ़ और जयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: भरतपुर और धारलपुर।

सम्बन्धित ऑफलाईन प्रविष्टियां बाद में वाहन के मॉड्यूल में की जा रही थी। लेकिन इस प्रकार की प्रविष्टियां अन्य चयनित कार्यालयों में नहीं की जा रही थीं।

3.4.4.4 वाहनों की संयुक्त जांच

विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में समय-समय पर परिवहन विभाग, पुलिस एवं जिला प्रशासन के संयुक्त दलों द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाये जाते हैं ताकि यात्री वाहनों के अवैध संचालन को रोका जा सके। संयुक्त जांच दलों के वर्ष 2011-12 से 2013-14 के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि जांच किये गये कुल वाहनों में से लगभग 86 प्रतिशत वाहन ट्रक थे जबकि सड़क दुर्घटनाओं में इनकी भागीदारी 20 प्रतिशत से भी कम थी। सड़क दुर्घटनाओं में कार/जीपों की भागीदारी लगभग 28 प्रतिशत थी जबकि इन वाहनों की जांच 3.99 से 5.20 प्रतिशत के मध्य थी जो कि यात्री वाहनों की जांच पर कम ध्यान को प्रकट करती है।

3.4.4.5 वाहनों में ओवरलोडिंग

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113(3)(बी) के अनुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित भार क्षमता से अधिक भार को लेकर कोई भी व्यक्ति, किसी भी वाहन अथवा ट्रेलर को सार्वजनिक स्थान पर न तो चलायेगा न कारण बनेगा, न ही चलाने की अनुमति देगा।

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान कुल जांच किये गये वाहनों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि ओवरलोडिंग वाहनों के संचालन में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, जैसा कि नीचे दर्शाये गये विवरण से प्रकट होता है:

वर्ष	कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या	जांचे गये वाहनों की संख्या	जांचे गये वाहनों का प्रतिशत	ओवरलोड वाहनों के चालानों की संख्या	ओवरलोड वाहनों से प्राप्त प्रशमन राशि	
					कुल प्रशमन राशि (₹ करोड़ में)	प्रति चालान प्रशमन राशि (₹ में)
2010-11	79,87,355	36,13,662	45.24	1,55,801	114.96	7,379
2011-12	89,85,568	30,63,995	34.10	1,43,324	86.94	6,066
2012-13	1,00,72,035	26,41,555	26.23	1,42,717	89.78	6,291
2013-14	1,11,84,430	21,44,742	19.18	1,38,495	91.80	6,628

स्रोत: विभाग का सांख्यिकी सार।

वाहनों की जांच में उड़नदस्तों की दक्षता

मोटर वाहन नियमों की अनुपालन हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग में 265 उड़नदस्ते थे (48 प्रवर्तन उड़नदस्तों सहित)। विभाग में 23 जुलाई 2012 से अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के अधीन पृथक से एक प्रवर्तन विंग स्थापित

की गई। प्रवर्तन विंग के अधिकारियों का मुख्य कार्य सड़क पर वाहनों की जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की अनुपालन सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान उड़नदस्तों द्वारा जांच किये गये एवं बनाये गये चालानों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति रही। यद्यपि राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2013-14 में 40.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि के दौरान राज्य में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या में से उड़नदस्तों द्वारा जांच किये गये वाहनों की संख्या 45.24 प्रतिशत से घटकर 19.18 प्रतिशत रह गयी।

विभाग द्वारा सूचित किया गया कि 31 मार्च 2014 को 265 स्वीकृत उड़नदस्तों के विरुद्ध केवल 158 उड़नदस्ते ही कार्यरत थे। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विभाग को प्रवर्तन गतिविधियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ओवरलोडिंग की न्यूनतम जुर्माना राशि में सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 में ओवरलोडिंग के लिये न्यूनतम जुर्माना राशि ₹ 2,000 के साथ अधिक भार के लिये राशि ₹ 1,000 प्रति टन के प्रभार बसूली तथा अधिक भार को ऑफ-लोडिंग करने का प्रावधान है।

यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2010 में उपरोक्त प्रावधानों को, तीन टन तक ₹ 500, तीन टन से दस टन तक ₹ 1,000 प्रति टन एवं दस टन से अधिक भार पर ₹ 1,500 प्रति टन से, प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रति चालान जुर्माना राशि जो 2010-11 में ₹ 7,379 थी घटकर 2013-14 में ₹ 6,628 रह गयी।

इस प्रकार निवारक प्रभाव की धारणा से लगाये गये न्यूनतम एवं अतिरिक्त जुर्माना राशि में वर्ष 2010 में कमी कर दी गयी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम जुर्माना राशि ₹ 2,000 हटाने के कारण 2011-14 के दौरान राज्य सरकार को ओवरलोडिंग वाहनों के 4,24,536 चालानों में राशि ₹ 84.91 करोड़ से बंचित रहना पड़ा।

ओवरलोड वाहनों को माल उतारे बिना जाने देना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 114 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 8.3 के अनुसार यदि कोई भार वाहन अथवा ट्रेलर, प्रतिबन्धों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ड्राईवर को निर्देश दिया जाना चाहिये कि वह अधिक भार को स्वयं के जोखिम पर वाहन से उतारे तथा तब तक वाहन अथवा ट्रेलर को उस स्थान से नहीं हटाये जब तक अधिक भार को कम नहीं कर दिया जाये।

यह देखा गया कि ओवरलोडेड वाहनों से अधिक भार को नहीं उतारा जा रहा था क्योंकि चयनित इकाइयों के मापक जांच किये गये चालानों में ऑफ-लोड करने का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं पाया गया। विभाग के सांख्यिकी ऑफिसों से यह

पता चलता है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ऑफ-लोड करवाये गये वाहनों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. स.	वर्ष	चालानों की संख्या	ऑफ-लोड किये गये वाहनों की संख्या	बिना ऑफ-लोड के मुक्त वाहनों की संख्या	
				वाहनों की संख्या	प्रतिशतता
1.	2011-12	1,43,324	74,769	68,555	47.83
2.	2012-13	1,42,717	72,571	70,146	49.15
3.	2013-14	1,38,495	65,842	72,653	52.46

स्रोत: विभाग का सांख्यिकी सार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लगभग 50 प्रतिशत ओवरलोडेड भार वाहनों को अधिक भार को उतारे बिना जाने दिया गया क्योंकि विभाग द्वारा अधिक भार को ऑफ-लोडिंग करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचता है अपितु यह सड़क उपयोग करने वालों के जीवन को भी खतरे में डालता है।

खनन गतिविधियों में शामिल ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव

हमने सात⁵ चयनित जिलों में खनन विभाग से माह मार्च 2014 के दौरान खनन गतिविधियों में लगे वाहनों की सूचना एकत्रित की। हमने प्रति जिले में अधिकतम सकल भार के 100 वाहनों का चयन किया। इन वाहनों के कुल भार का पंजीयन अभिलेखों में उल्लेखित पंजीकृत भार क्षमता से तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि सभी चयनित वाहन ओवरलोडेड थे, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा इन वाहनों के अधिक भार को ऑफ-लोड करवाये जाने एवं जुर्माना राशि की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ये ओवरलोडेड वाहन यातायात के साथ-साथ मानव जीवन के लिये भी खतरनाक हैं। यदि विभाग द्वारा इन वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती तो केवल 700 ओवरलोडेड वाहनों से ही राशि ₹ 2.25 करोड़⁶ की प्रशमन राशि/जुर्माने की वसूली हो सकती थी। अतः सम्पूर्ण राज्य में खनन गतिविधियों में शामिल ओवरलोडेड भार वाहनों से भारी राजस्व की प्राप्ति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.4.4.6 दुर्घटनाओं के कारणों की जांच

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135 में राज्य सरकार को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच हेतु योजनाएं बनाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सरकार की कार्ययोजना के अनुसार, विभाग को प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की जांच, इसकी रिपोर्ट एवं सड़क दुर्घटनाओं की

⁵ बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, जयपुर, झुनझुनू, राजसमन्द एवं उदयपुर।

⁶ यह राशि नोटिफिकेशन दिनांक 22 जुलाई 2010 के अनुसार बनती है।

पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपाय तलाश किये जाने थे। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया। विभाग द्वारा बताया गया (जून 2015) कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135 के तहत कोई योजना अभी तक नहीं बनायी गयी है।

यह भी पाया गया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरों पर नियन्त्रण के मापदण्ड हेतु जिला पुलिस के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं बनायी थी। यद्यपि चयनित इकाइयों में सड़क सुरक्षा कार्ययोजना की क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित विभागों की भागीदारी के साथ यातायात प्रबन्धन समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं लेकिन प्रभावी समन्वय के लिये न तो कोई सूचना थी और न ही कोई तंत्र था।

3.4.4.7 मासिक प्रगति प्रतिवेदन में विसंगतियाँ

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किये गये कार्यों की मासिक समीक्षा हेतु 36 अनिवार्य तालिकाओं का एक मासिक प्रगति प्रतिवेदन परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है। चयनित इकाइयों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित दो तालिकाओं की मापक जांच में पाया गया कि:

- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किये गये सड़क सुरक्षा सम्बन्धित उपायों हेतु तालिका संख्या 35 निर्धारित है। यह तालिका सभी चयनित इकाइयों में रिक्त पायी गयी। मासिक प्रगति प्रतिवेदन में पंचायत से जिला स्तर तक आयोजित बैठकें, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, वाहन चालकों की आंखों की जांच, ड्राईविंग ट्रैक पर टेस्ट, स्कूल वाहनों की जांच इत्यादि से सम्बन्धित कोई सूचनाएं नहीं भेजी गई। इस प्रकार, मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किये गये सड़क सुरक्षा सम्बन्धित उपायों की सूचना की जानकारी नहीं दी गयी।
- जिले में सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित तालिका संख्या 34 भी रिक्त पायी गयी। जिला पुलिस से सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करने की कोई व्यवस्था प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी स्तर पर नहीं पायी गई। जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं की सूचना के अभाव में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को चिन्हित करने या उनके समाधान करने की स्थिति में नहीं थे।

3.4.5 दीर्घकालीन कार्ययोजना

3.4.5.1 सड़क सुरक्षा के लिये धनराशि का आवंटन एवं उपयोग

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में ₹ 10.00 करोड़ के प्रारम्भिक अंशदान से एक सड़क सुरक्षा फण्ड बनाने की घोषणा की गयी। यह फण्ड राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद (एस.आर.एस.सी.) द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों हेतु लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति हेतु बनाया गया था। इस फण्ड का उपयोग मुख्यतः सम्बन्धित विभागों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित उन कार्यों के लिये किया जाना था जिनके लिये नियमित बजट में प्रावधान नहीं था अथवा बजट की कमी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 से पूर्व तक सड़क सुरक्षा उपायों हेतु कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान सड़क सुरक्षा फण्ड के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ₹ 500.08 लाख का आवंटन किया गया, सड़क सुरक्षा उपायों के लिये विभाग द्वारा क्रमशः ₹ 75.79 लाख एवं ₹ 24.28 लाख का व्यय किया गया तथा शेष राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई थी उस पर उपयोग किये बिना समर्पित कर दी गई। विभाग द्वारा बताया गया (जून 2015) कि समय पर आवंटन नहीं होने के कारण बजट समर्पित किया गया। स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कुछ समय पूर्व ही आवंटित करने के कारण बहुत से सड़क सुरक्षा उपाय जैसे ई-चालान, यातायात पुलिस का आधुनिकीकरण, सड़क सुरक्षा के लिये ओरियेन्टेशन कार्यक्रम इत्यादि प्रभावित हुए।

3.4.5.2 कम्प्यूटराईज्ड तौल यंत्र की स्थापना का अभाव

सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार की कार्ययोजना के अनुसार ओवरलोड भार वाहनों पर सख्ती से रोकथाम के लिये अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित कर संग्रहण केन्द्रों पर कम्प्यूटराईज्ड तौल यंत्र स्थापित किये जाने थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं चालानों की समीक्षा में पाया गया कि ओवरलोड वाहनों की पहचान हेतु विभाग द्वारा न तो कम्प्यूटराईज्ड तौल यंत्र स्थापित किये गये एवं न ही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को पोर्टेबल तौल यंत्र उपलब्ध कराये गये। यह भी पाया गया कि ओवरलोड वाहनों के चालान बनाये गये एवं जुर्माना वसूल किया गया लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था कि वाहनों का भार मापा गया था क्योंकि ओवरलोड वाहनों के 2,400 मापक जांच किये गये चालानों में से 1,697 चालानों में वजन का प्रमाण जैसे तौल यंत्र की पर्ची अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाये गये। ओवरलोड वाहनों के वजन की जांच के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मानवीय रूप से ही ओवरलोड की पुष्टि करने के उपरान्त उन्हें जाने के अनुमति दे दी गई। विभाग ने बताया (जून 2015) कि 16 कर संग्रहण केन्द्रों पर कम्प्यूटराईज्ड तौल यंत्र स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

3.4.5.3 वाहन चालक लाईसेन्स

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वाहन चालक लाईसेन्स नहीं हो तब तक वह व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता। वाहन चालक लाईसेन्स के सम्बन्ध में पाई गयी कमियां नीचे दर्शायी गयी हैं:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 9(3) के अनुसार किसी भी आवेदक को वाहन चालक लाईसेन्स जारी नहीं किया जावेगा जब तक कि वह केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा को लाईसेन्स प्राधिकारी की सन्तुष्टि के साथ पास नहीं कर ले। इस प्रकार की परीक्षा के मानदण्ड केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 15 में निर्धारित किये गये हैं। विभाग के आदेश दिनांक 2 फरवरी 2009 के अनुसार यह परीक्षा अनिवार्य रूप से ड्राईविंग ट्रैक पर ली जानी थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में पाया गया कि 51 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में से 21 कार्यालयों में ड्राईविंग ट्रैक नहीं थे (फरवरी 2015), जो स्पष्टतया वाहन चालक लाईसेन्स जारी करने से पूर्व ली जाने वाली परीक्षा के लिये वांछित आधारभूत सुविधाओं के अभाव को दर्शाता है।
- सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार की कार्ययोजना के अनुसार राज्य में कुशल वाहन चालक तैयार करने के उद्देश्य से वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु जिला एवं सम्भाग स्तर पर मार्च 2013 तक आवासीय वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी थी। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की समीक्षा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना में यह पाया गया कि केवल दो स्थानों अजमेर एवं उदयपुर में ही आवासीय वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये थे। दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी सभी सम्भाग एवं जिला स्तर पर यह योजना लागू नहीं की गई।
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 180 एवं 181 के अनुसार अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने एवं बिना वैध लाईसेन्स के वाहन चलाने पर तीन महीने तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा। 5,200 मापक जांच किये गये चालानों में से बिना वैध वाहन चालक लाईसेन्स के अपराध से सम्बन्धित 180 चालानों में पाया गया कि वाहन को केवल जुर्माना लगा कर मुक्त कर दिया गया। जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को खतरे में डालने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3.4.5.4 उड़नदस्तों के पास उपकरणों की उपलब्धता का अभाव

सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार की कार्ययोजना के अनुसार नशे में वाहन चलाने वाले एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जानी थी। नशे में अथवा किसी नशीली वस्तु के प्रभाव में वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा

185 के अन्तर्गत दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर वाहन की निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा से अधिक या कम गति पर वाहन नहीं चला सकता अथवा वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता। राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि सड़क अथवा पुल की प्रकृति के कारण अथवा जनता की सुरक्षा अथवा सुविधा के हित में मोटर वाहनों की गति पर पाबन्दी लगाना आवश्यक है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अथवा उचित स्थान पर यातायात संकेतक अथवा चिन्ह लगाकर, किसी वाहन अथवा वाहनों की श्रेणी के लिए अधिकतम/न्यूनतम गति सीमा, जो वह उचित समझें, निर्धारित कर सकता है।

वाहन चलाते समय सीट बैल्ट के उपयोग नहीं करने, मोबाईल फोन का उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, लेन तोड़ने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने इत्यादि की पहचान के लिए विभाग द्वारा इन्टरसेप्टर एवं नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच के लिए ब्रेथ एनेलाईजर का उपयोग किया जाता है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2015) के अनुसार 5⁷ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों एवं 10⁸ जिला परिवहन अधिकारियों को क्रमशः पांच इन्टरसेप्टर और 17 ब्रेथ एनेलाईजर उपलब्ध करवाये गये जबकि, सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर, दौसा, कोटा एवं उदयपुर ने बताया कि उनके क्षेत्राधिकार में ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, यह जांच का विषय है।

इस प्रकार, नशे में वाहन चलाने, अधिक गति सीमा से सम्बन्धित सड़क सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन हेतु उड़नदस्तों के पास आवश्यक उपकरणों का अभाव था।

3.4.5.5 फिटनेस प्रमाण-पत्र

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन वाहन तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जावेगा जब तक वह निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2-ए के अनुसार एक परिवहन वाहन यदि वह पुनः पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसके प्रथम पंजीकरण की तिथि के 15 वर्ष पश्चात वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जावेगा। मोटर वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में पाई गई कमियां अग्रलिखित पैराग्राफों में दर्शायी गयी हैं:

⁷ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, सीकर एवं जिला परिवहन अधिकारी: बाड़मेर में प्रत्येक को एक इन्टरसेप्टर।

⁸ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: बीकानेर (2), जोधपुर (2), अलवर (2), उदयपुर (2), सीकर (2), पाली (1), कोटा (2), दौसा (1), अजमेर (1) एवं जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा (2)

- परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण का अभाव

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार नये परिवहन वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिए वैध होगा अन्यथा यह ₹ 100 के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जावेगा।

राज्य में वाहनों के पंजीकरण एवं इनकी यांत्रिक फिटनेस के विश्लेषण के दौरान पाया गया कि 15 वर्ष में परिवहन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों में से 2011-12 से 2013-14 के दौरान 7,25,854 वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(संख्या में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1.	गत 2 से 15 वर्ष के दौरान पंजीकृत परिवहन वाहन जिनकी फिटनेस वर्ष के दौरान बकाया हो गई।	4,13,933	4,58,002	5,09,580	13,81,515
2.	वर्ष के दौरान जारी कुल फिटनेस प्रमाण-पत्र।	2,96,859	3,06,501	2,64,510	8,67,870
3.	वर्ष के दौरान जारी नये वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र।	71,666	76,613	63,930	2,12,209
4.	वर्ष के दौरान पुराने वाहनों के नवीनीकृत फिटनेस प्रमाण-पत्र (2-3)।	2,25,193	2,29,888	2,00,580	6,55,661
5.	पुराने वाहन जिनकी फिटनेस वर्ष के दौरान ड्यू होने के बाद भी नवीनीकरण नहीं हुई (1-4)।	1,88,740	2,28,114	3,09,000	7,25,854
6.	₹ 100 प्रति वाहन की दर से अप्राप्त न्यूनतम फिटनेस शुल्क।	1,88,74,000	2,28,11,400	3,09,00,000	7,25,85,400

स्रोत: विभाग का सांख्यिकी सार।

उपरोक्त से यह प्रदर्शित होता है कि परिवहन वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त किये संचालित थे एवं यह मानव जीवन एवं यातायात के लिये खतरनाक थे। इसके परिणामस्वरूप फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹ 7.26 करोड़ की अप्राप्ति भी रही।

- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी स्तर पर फिटनेस जांच केन्द्रों की स्थापना का अभाव

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के नीचे दिये उपबन्ध के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण केवल निर्धारित परीक्षण जो निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।

यह पाया गया कि चयनित इकाइयों में विभाग द्वारा कोई फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि वाहनों की समुचित यांत्रिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट परीक्षण हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी स्तर पर कोई उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके परिणामस्वरूप बिना समुचित फिटनेस के वाहनों का संचालन हो रहा था। विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना (जून 2015) के अनुसार वाहन फिटनेस जांच केन्द्र नियमन योजना-2011 के अन्तर्गत कोटा में एवं उदयपुर में दो निजी फिटनेस जांच केन्द्रों को फिटनेस जांच हेतु प्राधिकृत किया गया था।

3.4.6 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मार्च 2010 में मंजूरी दी गयी। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के उपाय बढ़ाने हेतु कार्य योजना तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। सरकार द्वारा पूर्व की अधिसूचना को विखण्डित करते हुये सम्पूर्ण राज्य में हेलमेट पहनने की अनिवार्यता 28 अक्टूबर 2015 को लागू किया। परिवहन विभाग द्वारा कार्य योजना के क्रियान्वयन में कई कमियां ध्यान में आयी। विभाग को निम्न बिन्दुओं पर अपना ध्यान देना चाहिए:

- 51 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में से 21 कार्यालयों में ड्राईविंग ट्रैक, जिस पर चालक लाईसेन्स जारी करने से पूर्व परीक्षा होती है उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, कुशल वाहन चालक तैयार करने के उद्देश्य से सम्भाग स्तर और जिला स्तर पर आवासीय वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करना चाहिए था।

सरकार को चालक लाईसेन्स प्रक्रिया को सुटूँड़ करना चाहिए तथा चालकों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए। आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिये 'चालक परीक्षण ट्रैक' स्थापित किये जाने चाहिए।

- विभाग के वार्षिक बजट में सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपायों हेतु प्रर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं करवायी गयी जिससे पता चलता है कि विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।

सरकार को पर्याप्त राशि आवंटित करनी चाहिए ताकि दृश्य और श्रवण माध्यम एवं अन्य तरीकों से लोगों में जागरूकता लायी जा सके।

- प्रवर्तन वाहन सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल जो कि अपराध प्रकरणों की पहचान करते हेतु बनाया गया था, क्रियान्वित नहीं था।

सरकार को सभी ग्रामेशक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों पर वाहन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे कि विगत में किये गये अपराधों की आसानी से पहचान कर बार-बार अपराध करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा सके।

- प्रोटोशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से एवं नशे में वाहन चलाने वालों को पहचान करने हेतु पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं करवाना।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, नियमित गति सीमा से तेज वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से एवं नशे में वाहन चलाने इत्यादि की पहचान के लिये उड़नदस्तों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए।

- पिछले 15 वर्षों की अवधि में परिवहन श्रेणी में पंजीकृत 7,25,824 वाहनों का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ। चयनित इकाइयों में विभाग द्वारा कोई फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। वाहनों की समुचित यांत्रिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये गये थे।

सरकार को वाहन डाटाबेस की प्रबन्धन सूचना प्रणाली के आधार पर वाहन के स्वामियों जिनके पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं हैं को नोटिस/एस.एस. से सूचित करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी स्तर पर फिटनेस केन्द्र स्थापित करने हेतु तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

- विभाग द्वारा अन्तर्राजीय सीमाओं पर स्थित कर संग्रहण के लिए पर ओवरलोड भार वाहनों को पहचान हेतु कम्प्यूटर तौल यन्त्र स्थापित नहीं किये गये थे। सरकार को कम्प्यूटर तौल यन्त्र स्थापित कर ओवरलोड भार वाहनों की कड़ाई से रोकथाम करनी चाहिए। ओवरलोड वाहनों, अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक आयाम और अन्यायिक सवारी वाहनों के विरुद्ध सख्त कायवाही करनी चाहिए।

3.5 गैर परिवहन वाहनों से एकबारीय कर की अवसूली/कम वसूली

अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2010 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2012 के अनुसार एकबारीय कर सभी गैर परिवहन वाहनों पर जो राज्य में रखे गये हैं अथवा जिनका उपयोग हो रहा है पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से आरोपित कर वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार देय कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय है।

13 प्रादेशिक परिवहन/जिला परिवहन कार्यालयों⁹ के वर्ष 2012-13 से 2013-14 के अभिलेखों की मापक जांच (सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के मध्य) में यह देखा गया कि 108 गैर परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एकबारीय कर और अधिभार वाहन स्वामियों द्वारा या तो जमा नहीं कराया गया अथवा कम जमा कराया गया। इसके परिणामस्वरूप एकबारीय कर व अधिभार की राशि ₹ 1.18 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

इसको ध्यान में लाये जाने पर (सितम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य), सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि 14 वाहनों के सम्बन्ध में राशि ₹ 62.29 लाख वसूलनीय नहीं है क्योंकि ये वाहन अपनी गति सीमा की वजह से संनिर्माण उपस्कर वाहन की श्रेणी में आते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निमार्णकर्ता की अधिकृत वेबसाईट पर वाहन की गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक बतायी गयी है और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 2(सीए) के नीचे दिये स्पष्टीकरण के अनुसार यदि वाहन की अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घण्टा से कम है तो वह संनिर्माण उपस्कर वाहन की श्रेणी में माना जा सकता है। इसलिए इन वाहनों से आक्षेपित राशि वसूलनीय है।

3.6 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का सम्पूर्ण भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में तीन समान किश्तों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, कर पर 10 प्रतिशत अधिभार भी देय है।

10 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों¹⁰, के वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) कि 312 परिवहन वाहनों के स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का

⁹ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय: चित्तौड़गढ़, पाली; जिला परिवहन कार्यालय: बारां और कोटपुतली।

¹⁰ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय: जोधपुर, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय: बाड़मेर, ब्यावर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, श्रीगंगानगर और राजसमन्द।

भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था। स्वामियों ने द्वितीय और/तृतीय किश्तों का भुगतान या तो नहीं किया अथवा देय राशि से कम किया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 1.35 करोड़ की अवसूली रही।

इसको ध्यान में लाये जाने पर (सितम्बर 2014 से जून 2015 के मध्य) सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि 37 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 12.41 लाख वसूल किये जा चुके हैं। शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.7 शासकीय धन का गबन

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जी.एफ. एण्ड ए.आर.) के नियम 7 और 27 के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी का यह देखने का कर्तव्य है कि सरकार की बकाया का सही एवं शीघ्रतापूर्वक निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन किया जाकर उन्हें शीघ्र ही कोषागार में जमा करवाया जाये। इसके अतिरिक्त नियम 48(5) के अनुसार जब सरकारी कर्मचारी की अभिरक्षा से सरकारी धन राशि को कोषागार या बैंक में जमा करवाया जाता है तो ऐसा भुगतान करने वाला कार्यालय अध्यक्ष कोषागार की या बैंक की रसीद से रोकड़ पुस्तिका में की गयी प्रविष्टियों का मिलान करेगा तथा उसके बाद उसे अनुप्रमाणित करने से पूर्व इसका समाधान करेगा कि राशि वास्तव में कोषागार या बैंक में जमा करा दी गयी है। परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश नम्बर 34/2004 दिनांक 3 जुलाई 2004 के अनुसार यदि वाहनों के पंजीयन से प्राप्त कर एवं फीस की कम वसूली की गयी है अथवा राजकोष में कम राशि जमा करायी गयी है तो अन्तर की राशि मय शास्ति/ब्याज के डीलर को जमा करानी होगी। सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 50 दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये देय राशि का 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति निर्धारित की है।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय आदेश 45/2002 दिनांक 9 अक्टूबर 2002 और 50/2002 दिनांक 23 अक्टूबर 2002 के अनुसार कार्यालय द्वारा एकत्रित राशि अगले दिन आवश्यक रूप से सरकारी खाते में जमा करा दी जानी चाहिए।

3.7.1(i) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी श्रीगंगानगर की अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की रोकड़ पुस्तिका, बैंक राजस्व संग्रहण पंजिका और टी.वाई.-11 की समीक्षा में पाया गया (मार्च 2015) कि रोकड़ पुस्तिका में सरकारी धन को प्राप्त किया जाना एवं बैंक में जमा कराया जाना दर्शाया गया था। जबकि वास्तव में ये राशियाँ रोकड़िया द्वारा 1 से 191 दिन की देरी से जमा करवायी गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.74 करोड़ का अस्थाई गबन हुआ जिस पर ₹ 11.26 लाख की शास्ति वसूलनीय है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि जो विलम्ब से जमा कराई गई	विलम्ब की अवधि	शास्ति 1.5 प्रतिशत प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए
1.	2011-12	3,25,02,480	2 से 32 दिन	3,05,785
2.	2012-13	1,51,59,700	11 से 30 दिन	1,02,150
3.	2013-14	6,96,91,310	1 से 191 दिन	7,18,466
योग		11,73,53,490		11,26,401

(ii) अवधि मार्च 2011 से मार्च 2014 की रोकड़ पुस्तिका की मापक जांच में पाया गया कि रोकड़ पुस्तिका का पूरा प्रारम्भिक शेष निर्धारित अवधि में बैंक में जमा नहीं कराया गया। बड़ी राशि बिना किसी कारण के रोककर आंशिक राशि अगले दिन जमा करवायी गयी। परिणामस्वरूप ₹ 16.63 करोड़ एक से पांच दिन के विलम्ब से जमा करवाये गये जिस पर ₹ 24.95 लाख की शास्ति बनती है।

समान प्रकृति का आक्षेप निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि अप्रैल 2010 से मार्च 2011 में लिया गया था जिसमें ₹ 21.66 करोड़ के विलम्ब से जमा कराने तथा ₹ 32.50 लाख ब्याज की हानि का मामला विभाग के ध्यान में लाया गया था फिर भी, इस प्रकार की अनियमितता का रहना यह प्रकट करता है कि विभाग द्वारा कोई उपयुक्त उपाय नहीं किया गया।

इस प्रकार, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली और नियमों और प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण सरकारी धन को विलम्ब से जमा कराने के कारण अवधि अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 68.71 लाख की हानि हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया (मार्च 2015 एवं जून 2015 के मध्य)। सरकार ने बताया (अगस्त 2015) कि चूककर्ता से ₹ 11.26 लाख की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.7.2 जिला परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगर के अवधि 2011-12 से 2013-14 की रोकड़ पुस्तिका, बैंक राजस्व संग्रहण पंजिका और टी.वाई.-11 की मापक जांच में यह पाया गया (मार्च 2015) कि रोकड़िया द्वारा रोकड़ पुस्तिका के अनुसार ₹ 32.74 लाख एकत्रित किया गया किन्तु उस राशि को कोषालय में जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार जिला परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण धन को कोषालय से बाहर रखा गया और सरकारी धन ₹ 32.74 लाख का गबन हुआ। बैंक में जमा नहीं करायी गयी राशियों का संक्षिप्त विवरण

निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	संग्रहण की दिनांक	रोकड़ पुस्तिका पृष्ठ संख्या	राशि (₹ में)	टिप्पणी
1.	31.10.2011	54	20,35,000	जिला परिवहन अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया गया।
2.	2.11.2011	54	7,96,000	जिला परिवहन अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया गया।
3.	25.10.2012	40	4,43,100	कोई टिप्पणी नहीं।
योग			32,74,100	

मामला विभाग को बताया गया (मार्च 2015 और अप्रैल 2015 के मध्य) और सरकार को प्रतिवेदित (मार्च 2015 और जून 2015 के मध्य) किया गया। विभाग ने अवगत कराया गया (अगस्त 2015) कि रोकड़िया ने पूर्व में ही ₹ 12.74 लाख अलग-अलग दिनांक में जमा करा दिये गये थे जो कि भूलवश रोकड़ पुस्तिका में दर्ज होने से रह गये थे। यह भी अवगत कराया कि ₹ 20 लाख मार्च 2015 के अन्तिम सप्ताह में जमा करा दिये गये हैं।

इससे पता चलता है कि राशि लेखापरीक्षा द्वारा 12 मार्च 2015 को ध्यान में लाये जाने के बाद जमा करायी गयी। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जमा कराये गये चालानों की समीक्षा में पाया गया कि ₹ 4.43 लाख 16 अक्टूबर 2012 को पूर्व में ही जमा करा दिये गये जिनकी प्राप्ति रोकड़ पुस्तिका में बाद में 25 अक्टूबर 2012 को दर्शायी गयी थी। इससे यह दर्शात होता है कि चालान किसी ओर संव्यवहारों का था। रोकड़ पुस्तिका में संव्यवहारों को दर्ज नहीं करना, रोकड़ शेष का रोकड़ पुस्तिका के अनुसार शेष के साथ मिलान की प्रणाली में गम्भीर कमी को दर्शाता है।

3.8 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरवाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, कर पर पांच प्रतिशत अधिभार भी देय है।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों¹¹ एवं 16 जिला परिवहन कार्यालयों¹² के 2011-12 से 2013-14 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य

¹¹ अलवर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर।

¹² बाड़मेर, बांस, ब्यावर, बूंदी, डीडवाना, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झन्दूनु, करौली, कोटपूतली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सिरोही, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर।

सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया (मई 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य) कि 5,538 वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्य को स्थानान्तरित कर दिये गये। कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 18.05 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम जहां अनियमितता पायी गयी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भार वाहन	1,547	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	3.04	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अलवर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-बाड़मेर, बारां, ब्यावर, बूदी, डीडवाना, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनु, करौली, कोटपूतली, राजसमन्द, सिरोही, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	2,103	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	3.85	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अलवर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-बाड़मेर, बारां, ब्यावर, बूदी, डीडवाना, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनु, करौली, कोटपूतली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सिरोही, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	81	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	2.13	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अलवर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-बाड़मेर, ब्यावर, बूदी, और झुन्झुनु।
4.	मंजिली वाहन	575	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	3.90	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अलवर, अजमेर, जोधपुर, और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-बाड़मेर, बारां, डीडवाना, जयपुर, जालौर, झुन्झुनु, करौली, राजसमन्द, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर।
5.	संलग्नक भार वाहन	441	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	1.42	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय- ब्यावर, डीडवाना, झुन्झुनु, कोटपूतली, राजसमन्द, सिरोही, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर।
6.	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	97	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	1.19	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अलवर, जोधपुर, और बीकानेर; जिला परिवहन कार्यालय- जयपुर, झुन्झुनु, करौली, कोटपूतली, और श्रीगंगानगर।

7.	डम्पर/टिप्पर	694	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	2.52	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अलवर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-बाड़मेर, बारंग, ब्यावर, डीडवाना, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनु, कोटपूतली, राजसमन्द, सिरोही, और सवाईमाधोपुर।
	योग	5,538		18.05	

प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने पर (जून 2014 से जून 2015 के मध्य) सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि 900 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.24 करोड़ की वसूली कर ली गयी और 67 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.30 करोड़, एकमुश्त कर आदि जमा कराने के कारण वसूलनीय नहीं थे। बकाया प्रकरणों में वसूली की प्रगति की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2015)।

3.9 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर और अधिभार का कम आरोपण

राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2008 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजिली वाहनों पर विशेष पथकर, बेड़े के समस्त वाहनों जिसका उपयोग मंजिली वाहनों के रूप में हुआ है या उपयोग हेतु रखे जाते हैं, की चेसिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त, 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, देय कर पर निर्धारित दर से अधिभार भी देय है। मासिक कर प्रत्येक माह के 14वें दिन या उससे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर के वर्ष 2013-14 के मासिक प्रतिवेदनों की समीक्षा में पाया (अक्टूबर और नवम्बर 2014 के मध्य) गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित 1,738 मंजिली वाहनों पर विशेष पथकर, वाहनों की स्थिति, माह में कुल जारी व समर्पित पंजीकरणों की संख्या का मिलान उस माह में कर हेतु उपलब्ध वाहनों की स्थिति से न करने के कारण, नहीं लगाया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.56 करोड़ के विशेष पथकर व अधिभार की अवसूली रही।

ध्यान में लाये जाने पर (अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य), सरकार ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में, जारी नये पंजीयन प्रमाण-पत्र, निरस्त पंजीयन प्रमाण-पत्र और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में उपलब्ध वाहनों की संशोधित स्थिति प्रस्तुत की। हालांकि वाहनों की संख्या में अन्तर रहने के कारण नहीं बताये गये। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित स्थिति का मिलान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से नहीं हुआ।

अध्याय-IV

भू-राजस्व

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, रूपान्तरण प्रभार तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग, सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है तथा यह भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों का प्रबन्धन करता है। राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व से सम्बन्धित न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल के पास है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलेक्टर, उपखण्ड स्तर पर 289 उपखण्ड अधिकारी और तहसील स्तर पर 314 तहसीलदार हैं। राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्यूटरीकरण के लिए राजस्व मण्डल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकरण का भी कार्य करता है।

भूमि के आवंटन एवं अन्य सम्बन्धित मामले राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से शासित होते हैं।

4.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

राजस्व मण्डल के वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा के 14 दल थे। अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए ड्यू इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिए कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2010-11	172	570	742	707	35	5
2011-12	35	624	659	589	70	11
2012-13	70	672	742	670	72	10
2013-14	72	672	744	586	158	21
2014-15	158	672	830	551	279	34

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

वर्ष के अन्त में लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई तथा लेखापरीक्षा से बची इकाइयों की संख्या वर्ष 2010-11 के अन्त में पांच प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 के अन्त में 34 प्रतिशत रही।

विभाग ने अवगत कराया कि आम चुनाव में स्टाफ के पदस्थापन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों की कमी के कारण लेखापरीक्षा में इकाइयाँ बकाया रहीं।

यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त में 20,090 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेद	9,085	953	1,418	2,125	2,775	3,734	20,090

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के अवधि 2009-10 तक के 9,085 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में बकाया थे। अनुच्छेदों के निस्तारण की धीमी गति का कारण विभिन्न संवर्गों में पदों की रिक्तता बताया गया।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाई गई बकाया आपत्तियों की शीघ्र अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 10 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में 1,092 प्रकरणों में राशि ₹ 7.70 करोड़ की अवसूली तथा अन्य अनियमिततायें पाई गई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्य सरकार के विभागों से प्रीमियम और किराए की अवसूली/कम वसूली	11	5.34
2.	खातेदारों ¹ से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	839	1.85
3.	अन्य अनियमिततायें	242	0.51
योग		1,092	7.70

वर्ष 2014-15 के दौरान, विभाग ने 916 प्रकरणों में ₹ 12.41 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जो पूर्व के वर्षों में उठाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान 264 प्रकरणों में ₹ 5.53 करोड़ वसूल किए जो पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

राज्य सरकार को एक ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी होने के बाद विभाग द्वारा राज्य सरकार को भूमि मूल्य ₹ 2.43 करोड़ का प्रत्यावर्तन भी किया गया।

₹ 2.30 करोड़ के कुछ निर्दर्शी प्रकरणों का उल्लेख अनुच्छेद 4.4 से 4.6 में किया गया है।

¹ खातेदार राजकीय भूमि पर किरायेदार होते हैं जिन्हें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दी जाती है।

4.4 | आवंटित तथा समर्पित भूमि के बाजार मूल्य में अन्तर की अवसूली

4.4.1 राज्य सरकार द्वारा मैसर्स जे.के. सीमेन्ट वर्क्स को भूमि आवंटन की स्वीकृति (अक्टूबर 2012) इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि कम्पनी राज्य पक्ष में समतुल्य भूमि समर्पित करेगी। यदि चारागाह भूमि की एवज में कम्पनी द्वारा समर्पित की जाने वाली निजी भूमि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि की डीएलसी दरों में यदि कोई अन्तर हो तो भुगतान/समायोजन किया जावेगा। सम्बन्धित डीएलसी दरों के फुट नोट तीन के अनुसार, खनन एवं खनन सम्भावित भूमियों के लिये ग्राम की कृषि भूमि की उच्चतम दर की दो गुना दर देय होगी। जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (सितम्बर 2014) कि मैसर्स जे.के. सीमेन्ट वर्क्स को राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1959 के तहत कम्पनी द्वारा समर्पित 9-13 बीघा खातेदारी भूमि² की एवज में ग्राम मांगरोल में स्थित 9-13 बीघा चारागाह भूमि आवंटित की गयी (अक्टूबर 2012)। यह पाया गया कि डीएलसी दर के अनुसार कम्पनी द्वारा समर्पित भूमि की कीमत ₹ 19.46 लाख³ बनती है जो विभाग द्वारा आवंटित भूमि की कीमत से कम थी। चूंकि विभाग द्वारा आवंटित भूमि खनन प्रयोजन के लिये आवंटित की गयी थी, डीएलसी दर के अनुसार भूमि की कीमत ₹ 86.48 लाख⁴ आती थी। डीएलसी दर के अनुसार कम बाजार मूल्य की समर्पित भूमि को स्वीकार करने के कारण ₹ 67.02 लाख राजस्व की वसूली अपेक्षित थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2015)।

4.4.2 राज्य सरकार द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को भूमि के एक टुकड़े के आवंटन की स्वीकृति (जुलाई 2012) इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि कम्पनी राज्य सरकार के पक्ष में उसी ग्राम में चारागाह भूमि के समतुल्य भूमि समर्पित करेगी।

जिला कलेक्टर, राजसमन्द के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (दिसम्बर 2014) कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को स्मेलिंग एण्ड पॉवर प्लांट उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम मेहन्दुरिया, तहसील रेलमगरा स्थित 53-13 बीघा चारागाह भूमि 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गयी (मार्च 2013)। कम्पनी द्वारा ग्राम मेहन्दुरिया तथा कटिया का खेड़ा में स्थित 53-13 बीघा खातेदारी भूमि समर्पित की गयी।

आगे, यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा समर्पित भूमि राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति (जुलाई 2012) की शर्तों के अनुसार नहीं थी, जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा

² खातेदारी भूमि राजकीय भूमि होती है जो विशिष्ट रूप से कृषि प्रयोजन हेतु दी जाती है।

³ 9-13 बीघा भूमि दर ₹ 2,01,628 प्रति बीघा पर = ₹ 19,45,710

⁴ 9-13 बीघा भूमि दर ₹ 4,48,063 प्रति बीघा × 2 पर = ₹ 86,47,616

उसी ग्राम की समतुल्य भूमि का समर्पण अपेक्षित था। इसके अलावा, कम्पनी को आवंटित भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी द्वारा निर्धारित दर पर ₹ 135.73 लाख⁵ था जबकि कम्पनी द्वारा समर्पित भूमि का बाजार मूल्य ₹ 65.66 लाख⁶ था। विभिन्न ग्रामों में कम बाजार मूल्य की समर्पित भूमि स्वीकार किये जाने के कारण राजस्व ₹ 70.07 लाख की हानि हुई।

जिला कलेक्टर ने बताया (जून 2015) कि अन्तर राशि की मांग कायमी की जा चुकी है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2015)।

4.5 रूपान्तरण प्रभारों की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के लिये निर्धारित दरों पर प्रीमियम प्रभार्य होगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिये रूपान्तरण प्रभार ₹ पांच प्रति वर्गमीटर अथवा कृषि भूमि के लिये निर्धारित डीएलसी दर का पांच प्रतिशत अथवा पंजीबद्ध विक्रय विलेख, यदि कोई हो, में अंकित कृषि भूमि के क्रय मूल्य का पांच प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो से प्रभार्य होगा।

आगे, नियम 13 के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये बिना अनुमति के उपयोग कर लिया गया हो तो रूपान्तरण प्रभारों के चार गुना जमा कराकर मामले के नियमन के लिये आवेदन कर सकता है।

4.5.1 कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (सितम्बर 2014) कि एक मामले में नौ खसरा⁷ नम्बरों की 1.67 लाख वर्गमीटर खातेदारी भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग भू-रूपान्तरण की अनुमति प्राप्त किये बिना कर लिया गया। विभाग द्वारा एक खसरा जिसका क्षेत्रफल 0.40 लाख वर्गमीटर था, के भू-उपयोग परिवर्तन के लिये प्रीमियम एवं पैनल्टी ₹ 31.40 लाख वसूल किये गये जबकि नौ खसरों में फैली 1.67 लाख वर्गमीटर के सम्पूर्ण क्षेत्र पर ₹ 73.29 लाख वसूली योग्य थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.89 लाख प्रीमियम तथा पैनल्टी की कम वसूली हुई।

⁵ 53-13 बीघा भूमि मेहन्दुरिया-ए के लिये दर ₹ 2.53 लाख प्रति बीघा से = ₹ 135.73 लाख

⁶ ग्राम मेहन्दुरिया स्थित 28-14 बीघा के लिये मेहन्दुरिया-बी की प्रति बीघा दर ₹ 1,51,800 प्रति बीघा की दर से = ₹ 43,56,660

ग्राम कटिया का खेड़ा की 24-19 बीघा भूमि के लिये ₹ 88,550 प्रति बीघा की दर से
= ₹ 22,09,322

कुल = ₹ 65,65,982

⁷ क्षेत्र-पुस्तक मानचित्र के इण्डेक्स का एक प्रकार, सामान्यतः खसरा से जाना जाता है जहां फसल के बारे में सम्पूर्ण तथ्य दर्ज होते हैं।

कलेक्टर द्वारा बताया गया (जून 2015) कि कम्पनी द्वारा जिस खसरा में अनधिकृत निर्माण कराया गया उसके लिये रूपान्तरण प्रभारों की वसूली की गयी तथा लेखापरीक्षा आक्षेप सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये होने से नियमानुसार नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रूपान्तरण आदेश सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये था जिसके लिये राज्य सरकार ने रूपान्तरण आदेश जारी होने से पूर्व राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होलिडंग एक्ट, 1973 के लागू होने से छूट की अनुमति दी थी। इस प्रकार, पैनल्टी सम्पूर्ण क्षेत्र पर लगायी जानी चाहिए थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2015)।

4.5.2 कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की मापक जांच में यह भी पाया गया (सितम्बर 2014) कि 8 जनवरी 2014 को तहसील निम्बाहेड़ा में 1.37 लाख वर्गमीटर खातेदारी भूमि मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रा.लि. के पक्ष में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गयी।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा डीएलसी द्वारा निर्धारित कृषि भूमि की दर के पांच प्रतिशत की दर लागू करते हुए ₹ नौ प्रति वर्गमीटर पर प्रीमियम की त्रुटिपूर्ण दर से गणना की गयी जबकि यह पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित क्रय मूल्य ₹ 3.39 करोड़ के पांच प्रतिशत से गणना की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, कुल प्रीमियम ₹ 16.94 लाख वसूली योग्य था।

यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा प्रीमियम ₹ 12.34 लाख की गणना कर उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये हकदारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ₹ 6.17 लाख छूट प्रदान करते हुए केवल ₹ 6.17 लाख वसूल किये गये जबकि यह हकदारी प्रमाण-पत्र रूपान्तरित भूमि से अलग किसी अन्य भूमि के लिये दिया गया था। इस प्रकार, प्रीमियम की त्रुटिपूर्ण गणना तथा छूट की अनियमित अनुमति के कारण प्रीमियम ₹ 10.77 लाख की कम वसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2015)।

4.5.3 कलेक्टर (भू-अभिलेख) उदयपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (मई 2014 तथा नवम्बर 2014 के मध्य) कि 49 मामलों में, त्रुटिपूर्ण डीएलसी दरों अथवा डीएलसी दरों के नहीं लगाने के कारण कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के लिये विभाग द्वारा ₹ 55.56 लाख के स्थान पर ₹ 27.54 लाख प्रीमियम की गणना की गयी। इस प्रकार, रूपान्तरण

प्रभार ₹ 28.02 लाख कम वसूल हुए, जैसा कि निम्न प्रकार वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई/प्रकरणों की संख्या	आरोपणीय रूपान्तरण प्रभार	आरोपित रूपान्तरण प्रभार	कम आरोपित रूपान्तरण प्रभार	टिप्पणी
1.	कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा/13	15.49	10.61	4.88	आवासीय कॉलोनी के चार मामले, आवासीय प्रयोजनार्थ दो मामले, औद्योगिक के छः तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एक मामला
2.	कलेक्ट्रेट चित्तौड़गढ़/35	29.99	14.69	15.30	आवासीय कॉलोनी के तीन मामले, आवासीय प्रयोजनार्थ 10 मामले, औद्योगिक के 15 तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सात मामले
3.	कलेक्ट्रेट उदयपुर/1	10.08	2.24	7.84	आवासीय प्रयोजनार्थ एक मामला
कुल	49	55.56	27.54	28.02	

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च तथा अप्रैल 2015); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2015)। यद्यपि जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा द्वारा बताया गया (जून 2015 तथा जुलाई 2015) कि तीन मामलों में राशि ₹ 0.37 लाख वसूल किये गये।

4.6 सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव

दिनांक 20 जुलाई 1963 को अधिसूचित लोकोपयोगी भवनों के लिये अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों के आवंटन की शर्तों के क्लॉज 3(3) के अनुसार, भवन जिसके लिये भूमि आवंटित की गयी थी, का निर्माण कब्जा हस्तान्तरण की दिनांक से छः माह के भीतर प्रारम्भ किया जावेगा। आवंटी दो वर्षों के भीतर भवन निर्माण पूरा कर उसी उद्देश्य के लिये उपयोग में लेने के लिये जिम्मेदार होगा जिसके लिये भूमि का आवंटन किया गया है। क्लॉज 3 में वर्णित किन्हीं शर्तों के उल्लंघन की दशा में आवंटन की शर्तों के क्लॉज 3(7) के अनुसार भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी। राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 7 के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य के लिये आवंटित भूमि पर दो वर्ष की अवधि में उद्योग की स्थापना करनी होगी, जिसके अभाव में भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी, बशर्ते कि वैध कारणों से आवंटन प्राधिकारियों द्वारा दो वर्ष की अवधि विस्तार नहीं दिया गया हो।

जिला कलेक्टर, उदयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2014) कि ग्राम उमरड़ा में स्थित 4,600 वर्गमीटर राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिये वर्ष 1997 में फाईन फ्लोरोकैम, मादड़ी पुरोहितान, उदयपुर को आवंटित की गयी। यह पाया गया कि भूमि निर्धारित अवधि में उपयोग में नहीं ली गयी। तथापि, भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित करने की कोई कार्यवाही करने में प्राधिकारी विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, राशि ₹ 11.97 लाख⁸ की भूमि अनुपयोजित रही तथा लक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2015)।

⁸ ₹ 260.12 प्रति वर्गमीटर की दर पर 4,600 वर्गमीटर भूमि = ₹ 11,96,552

अध्याय-V

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियाँ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय होता है।

राज्य सरकार के स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में नीति के निर्धारण, मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख हैं। प्रशासनिक एवं प्रवर्तन मामलों में दो अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा, एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर को प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 18 वृत्तों में विभाजित किया गया है, जिनके मुखिया उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) होते हैं राज्य में 33 जिला पंजीयक, 114 उप पंजीयक एवं 409 पदेन उप पंजीयक¹ हैं।

5.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा में शेष रही इकाइयों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ*	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये डियू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिये कुल डियू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2010-11	-	369	369	132	237	64.22
2011-12	-	369	369	149	220	59.62
2012-13	-	369	369	183	186	50.40
2013-14	-	369	369	117	252	68.29
2014-15	-	523	523	16	507	96.94

स्रोत: महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

*लेखापरीक्षा गत लेखापरीक्षा के माह से वर्तमान लेखापरीक्षा अन्तिम माह तक सम्पन्न होती है।

¹ तत्स्थान पर पदस्थापित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने में 50.40 प्रतिशत से 96.94 प्रतिशत कमी रही। विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में कमी का कारण लेखापरीक्षा दलों के अन्य विभागीय कार्यों में अपवर्तन बताया गया।

यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 10,353 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेद	6,411	859	941	1,187	827	128	10,353

स्रोत: महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों के अन्य विभागीय कार्यों की ओर विपथन के कारण वर्ष दर वर्ष बकाया अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि रही। इन अनुच्छेदों पर कार्यवाही समय व्यतीत होने के साथ कठिन होती जावेगी। इसलिए, इन पर सरकार द्वारा शीघ्र तथा पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह को मजबूत करना चाहिए, जिससे राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण में कमियों का समय पर पता लगाकर सही किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 242 इकाइयों के अधिलेखों की मापक जांच में 6,732 प्रकरणों में ₹ 200.28 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति का पता लगा, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	1,464.	23.55
2.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण	3,306	110.11
3.	अन्य अनियमितायें	1,962	66.62
योग		6,732	200.28

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग द्वारा 2,995 प्रकरणों से सम्बन्धित ₹ 51.56 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिनमें से ₹ 23.72 करोड़ के 735 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान 2,273 प्रकरणों में ₹ 4.75 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 0.23 करोड़ के 90 प्रकरण वर्ष 2014-15 के तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निर्दर्शी प्रकरण, जिनमें ₹ 51.65 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुच्छेद 5.4 से 5.13 में चर्चा की गई है।

5.4 अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज का अनारोपण/कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित हस्तान्तरण लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार वसीयती पत्रों से भिन्न लेख्यपत्र जिनका अभिप्राय ₹ 100 और उससे अधिक के मूल्य की अचल सम्पत्ति में या के लिये, वर्तमान में या भविष्य में चाहे नियमित हो या आकस्मिक, कोई अधिकार, स्वत्व या हित बताने, घोषित, निर्दिष्ट, सीमित या समाप्त करता हो, का पंजीयन अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2008 के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास (यूआईटी), रीको, नगर पालिका, नगर परिषद अथवा नगर निगम द्वारा निष्पादित अचल सम्पत्ति के लेख्यपत्र पर प्रभार्य मुद्रांक कर में कमी की गयी। मुद्रांक कर, पूर्व भू-उपयोग एवं परिवर्तित भू-उपयोग के आधार पर निकाली गयी भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर पर प्रभार्य था। अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के द्वारा उक्त अधिसूचना को अधिष्ठित करते हुए यह प्रावधान किया गया कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या अन्य किसी सुसंगत नियमों के अधीन जारी भू-उपयोग के आदेश पर प्रभार्य मुद्रांक कर घटाया जायेगा और प्रत्येक मामले में ₹ 500 की न्यूनतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, भू-उपयोग परिवर्तन के लिये प्रभारों या फीस की रकम पर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा। आगे, यह स्पष्ट किया गया कि अधिसूचना के प्रावधान, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी सभी रूपान्तरण आदेशों पर भी लागू होंगे।

5.4.1 उप पंजीयक जयपुर-III के अभिलेखों तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से एकत्रित सूचना की मापक जांच में पाया गया (नवम्बर 2014) कि मैसर्स जय ड्रिंक्स प्रा.लि. (जेडीपीएल) के पक्ष में 72,967 वर्गमीटर (कुल क्षेत्र 74,147 वर्गमीटर माइनस 1,180 वर्गमीटर सङ्केत के लिये समर्पित भूमि) का एक वाणिज्यिक पट्टा विलेख (दस्तावेज संख्या 6195 दिनांक 6 जून 2013) पंजीबद्ध किया गया। पट्टा विलेख तथा जमाबन्दी² की जांच में प्रकट हुआ कि प्रारम्भ में दिनांक 23 अप्रैल 1965 एवं 19 अक्टूबर 1965 को औद्योगिक प्रयोजन के लिये लीज आधार पर 99 वर्ष के लिये ग्राम झालाना डंगर स्थित 205.40 बोघा भूमि (5.19 लाख वर्गमीटर निजी खातेदारी³ समेत) का आवंटन मैसर्स कैपस्टन मीटर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (सीएमसी) को किया गया। तत्पश्चात् उक्त भूमि में से सीएमसी द्वारा राजस्थान सरकार की अनुमति से उसी प्रयोजन के लिये दिनांक

² जमाबन्दी एक राजस्व अभिलेख है जिसमें उन किरायेदारों के नाम वर्णित होते हैं जिनसे भू-राजस्व लिया जाना होता है।

³ निजी खातेदारी भूमि का अर्थ जमाबन्दी के अनुसार खातेदार द्वारा धारित कृषि भूमि से है।

1 अप्रैल 1966 से प्रभावी 98 वर्ष के लिये 45 एकड़ (1.82 लाख वर्गमीटर) का उपपट्टा जेडीपीएल के पक्ष में निष्पादित किया गया।

जेडीपीएल द्वारा सीएमसी की ओर से 74,147 वर्गमीटर भूमि (69,431 वर्गमीटर निजी खातेदारी तथा 4,716 वर्गमीटर राजकीय भूमि) का औद्योगिक से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। 72,967 वर्गमीटर भूमि के रूपान्तरण की अनुमति सीएमसी के पक्ष में दी गयी। तथापि, पट्टा राज्य सरकार (यूडीएच विभाग) के निर्देश पर जेडीपीएल के पक्ष में जारी किया गया तथा 1,180 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक सड़क के लिये समर्पित हुई। उप पंजीयक जयपुर-III द्वारा हस्तान्तरण की दर से राशि ₹ 71.99 करोड़ (₹ 41.66 करोड़ रूपान्तरण प्रभार तथा ₹ 30.33 करोड़ राजकीय भूमि की कीमत) पर मुद्रांक कर प्रभारित किया गया जिसे आवेदक द्वारा वाणिज्यिक पट्टे के लिये जमा कराया गया। तथापि, रूपान्तरण प्रभार पर 10 प्रतिशत मुद्रांक कर के साथ-साथ राजकीय भूमि की कीमत एवं भुगतान किये गये अन्य प्रभारों (पट्टा राशि) पर पांच प्रतिशत के कन्वैन्स की दर पर मुद्रांक कर प्रभारित होना चाहिए था। यह राशि ₹ 6.25 करोड़ सरचार्ज सहित आती थी जबकि सरचार्ज सहित राशि ₹ 3.96 करोड़ मुद्रांक कर का भुगतान किया गया। इस प्रकार मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 2.29 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

यह भी पाया गया कि 69,431 वर्गमीटर भूमि सीएमसी से सम्बन्धित थी तथा भू-उपयोग परिवर्तन के लिये आवेदन पत्र सीएमसी की तरफ से प्रस्तुत किया गया, यद्यपि पट्टा जेडीपीएल को जारी हुआ। उपलब्ध अभिलेखों से लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि पूर्व में सीएमसी को निष्पादित पट्टा विलेख निरस्त किया गया अथवा जेडीपीएल को पट्टा जारी होने से पूर्व प्रतिफल की प्राप्ति पर भूमि सीएमसी द्वारा जेडीपीएल को हस्तान्तरित की गयी जिस पर कन्वैन्स की दर पर मुद्रांक कर बनता है। भूमि की कीमत ₹ 531.41 करोड़ थी जिस पर मुद्रांक कर ₹ 29.23 करोड़⁴ वसूल किये जाने चाहिए थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2015) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराया गया।

5.4.2 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 37(4) के अनुसार लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को, निरीक्षण के दौरान या अन्यथा, पता लगता है कि ऐसा लेख्यपत्र या उसकी प्रति से यह प्रकट हो या उप-धारा (1) में वर्णित व्यक्ति को उक्त से यह पता लगता है कि लेख्यपत्र पूर्ण मुद्रांकित नहीं कराया है तो ऐसा व्यक्ति उस प्रकरण को कलेक्टर को भेजेगा। इस सम्बन्ध में

⁴ डीएलसी दर ₹ 69,580 प्रति वर्गमीटर से बाजार मूल्य ₹ 5,31,41,09,878 पर पांच प्रतिशत से प्रभार्य मुद्रांक कर (कॉर्नर प्लाट का 10 प्रतिशत अतिरिक्त) तथा सरचार्ज ₹ 29,22,76,043 (₹ 26,57,05,494 मुद्रांक कर एवं ₹ 2,65,70,549 सरचार्ज)।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा परिपत्र दिनांक 2 नवम्बर 2010 भी जारी किया गया।

लोक कार्यालयों⁵ तथा 33 जिलों में से छः जिलों⁶ के विभागीय कार्यालयों के अवधि 2008-09 व 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा तथा मई 2014 तथा मार्च 2015 के दौरान सम्पादित नियमित लेखापरीक्षा में पाया गया कि 212 मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये गये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 203 मामलों में, लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी द्वारा धारा 37(4) के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 5.07 करोड़ का अनारोपण रहा तथा नौ मामलों में मुद्रांक कर ₹ 1.32 करोड़ का कम आरोपण रहा जैसा कि नीचे वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लोक कार्यालय का नाम	भू-उपयोग परिवर्तन		मामलों की संख्या	भूगतान किया गया रूपान्तरण प्रभार	प्रभार्य मुद्रांक कर @ रूपान्तरण प्रभारों का 10% (+) सरचार्ज	लिया गया मुद्रांक कर/ सरचार्ज	मामलों की संख्या	मुद्रांक कर/ सरचार्ज का अनारोपण	मामलों की संख्या	मुद्रांक कर/ सरचार्ज का कम आरोपण	बसूली योग्य राशि
		से	को									
1.	रीको	औद्योगिक	वाणिज्यिक	27	4,457.70	486.03	138.63	20	222.75	7	124.65	347.40
2.	नगर निगम	आवासीय	वाणिज्यिक/ मिश्रित उपयोग	136	2,725.60	229.94	0	136	229.94	0	0	229.94
3.	नगर निगम	आवासीय	संस्थानिक (अस्पताल)	1	32.60	3.59	0	1	3.59	0	0	3.59
4.	जेडीए/ एडीए ⁷	आवासीय	वाणिज्यिक/ मिश्रित उपयोग	9	108.41	11.92	0	7	4.21	2	7.71	11.92
5.	जेडीए/ एडीए	औद्योगिक	आवासीय	2	178.89	19.68	11.96	2	7.72	0	0	7.72
6.	जेडीए/ एडीए	औद्योगिक	वाणिज्यिक	1	12.10	1.33	0	1	1.33	0	0	1.33
7.	यूआईटी	आवासीय	वाणिज्यिक	35	309.44	34.03	0	35	34.03	0	0	34.03
8.	यूआईटी	आवासीय	औद्योगिक	1	35.10	3.86	0	1	3.86	0	0	3.86
योग				212	7,859.84	790.38	150.59	203	507.43	9	132.36	639.79

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि 44 मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये जा चुके हैं; दो मामलों में

⁵ राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 1997 से नगर निगम, यूआईटी, विकास प्राधिकरण व रीको तथा अन्य प्राधिकारों को लोक कार्यालय घोषित किया गया।

⁶ अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर।

⁷ अजमेर विकास प्राधिकरण।

उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के निर्णयोपरान्त वसूली शेष है; 53 मामलों में नोटिस जारी किये गये तथा 76 मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) से जवाब अपेक्षित है। चार मामलों में बताया गया कि दस्तावेज पूर्व में ही पंजीबद्ध थे तथा 32 मामलों में वसूली कर ली गयी। एक मामले में सरकार ने निर्णय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

5.5 विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5(ई) के अनुसार, किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण अथवा विकास अथवा विक्रय अथवा हस्तान्तरण (चाहे किसी भी तरीके से) के लिये अनुबन्ध या अनुबन्ध का नियम पत्र, यदि किसी प्रवर्तक अथवा विकासकर्ता, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जावे, को प्राधिकार या शक्ति देने से सम्बन्धित हो, पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स के रूप में प्रभार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2013 से अधिसूचना के जारी होने की तिथि से सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभारित होगा।

5.5.1 गलत वर्गीकरण तथा अवमूल्यांकन

5.5.1.1 गलत वर्गीकरण

पाँच उप पंजीयकों⁸ के अभिलेखों की मापक जांच में 19 दस्तावेजों के वर्णन में यह पाया गया (जुलाई 2014 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य) कि इन दस्तावेजों को विकास अनुबन्ध का नाम दिया गया था तथा उप पंजीयकों द्वारा उन्हें उनके शीर्षक के अनुसार पंजीबद्ध किया गया इस तथ्य के बावजूद कि विकासकर्ताओं द्वारा या तो मालिकों से प्रतिफल मूल्य प्राप्त किया गया अथवा विकासकर्ताओं को भूमि, तहखाना एवं खुला क्षेत्र के साथ निश्चित प्रतिशत हिस्सा हस्तान्तरित किया गया। विकासकर्ता, मालिकों के हस्तक्षेप के बिना अपने हिस्से को विक्रय कर सकते थे।

⁸ जयपुर-II, जयपुर-VI, कोटकासिम, नीमराना तथा टपूकड़ा।

विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमिता की प्रकृति	दस्तावेजों की संख्या (उप पंजीयकों की संख्या)	प्रभार्य मुद्रांक कर व सरचार्ज	लिया गया मुद्रांक कर व. सरचार्ज	मुद्रांक कर व सरचार्ज का कम आरोपण
1.	भूमि, तहखाना, खुला क्षेत्र के साथ निर्मित क्षेत्र में निश्चित प्रतिशत हिस्सा का हस्तान्तरण हुआ	10(2)	0.49	0.21	0.28
2.	प्रतिफल राशि प्राप्त की; प्रतिफल के रूप में विला व फ्लैट प्राप्त; भूतल से अन्य तलों तक संयुक्त मालिकाना	9(5)	5.28	0.63	4.65
योग		19(7)	5.77	0.84	4.93

इस प्रकार, इन दस्तावेजों को कन्वैन्स माना जाना चाहिए था तथा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 के अनुसार बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य होना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 4.93 करोड़ का कम आरोपण रहा।

5.5.1.2 अवमूल्यांकन

चार उप पंजीयकों⁹ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (सितम्बर 2014 तथा नवम्बर 2014 के मध्य) कि आठ विकास अनुबन्धों में, आवासीय भवन/ मिश्रित उद्देश्य के लिये निर्माण हेतु किये गये अनुबन्धों के तथ्य के बावजूद डीएलसी दर के त्रुटिपूर्ण प्रयोग के कारण सम्पत्तियों का बाजार मूल्य कम आंका गया, परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 31.77 लाख का कम आरोपण हुआ।

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क कुल ₹ 5.25 करोड़ का कम आरोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि 14 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये; दो मामलों में नोटिस जारी किये गये; आठ मामलों में तथ्यात्मक स्थिति की मांग की गयी; दो निर्णित मामलों में वसूली बकाया है तथा एक मामला विचाराधीन है।

⁹ उदयपुर-I, तिजारा, बहरोड़ तथा नीमराना।

5.5.2 मुद्रांक कर का अनारोपण/कम आरोपण

5.5.2.1 उप पंजीयक भीलवाड़ा, जयपुर-II, उदयपुर-I तथा उदयपुर-II के अभिलेखों की मापक जांच में छः विक्रय विलेखों के वर्णन में यह पाया गया (जुलाई 2014 तथा अक्टूबर 2014 के मध्य) कि प्लॉटों/कृषि भूमि पर आवासीय/वाणिज्यिक भवन विकसित करने के लिये सम्पत्ति के मालिकों तथा विकासकर्ताओं के मध्य विकास अनुबन्ध निष्पादित हुए। इन विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज राशि ₹ 83.23 लाख का अनारोपण रहा।

5.5.2.2 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई) के अनुसार, जब बिना प्रतिफल प्राप्त किये अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिये, मुख्यायारनामा निम्न को दिया गया हो तो;

- (i) निष्पादक के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, प्रपुत्र अथवा प्रपुत्री के मामले में, मुद्रांक कर ₹ 2,000 प्रभार्य होगा;
- (ii) अन्य किसी व्यक्ति के मामले में, मुख्यायारनामा में अंकित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई) के अनुसार किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण अथवा विकास अथवा विक्रय अथवा हस्तान्तरण (चाहे किसी भी तरीके से) के लिये किसी प्रवर्तक अथवा विकासकर्ता जिसे किसी भी नाम से पुकारा जावे, को मुख्यायारनामा देने पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स के रूप में मुद्रांक कर प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक परबतसर के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (अगस्त 2014) कि एकीकृत आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिये दिनांक 16 अप्रैल 2012 को एक मुख्यायारनामा पंजीबद्ध हुआ। उप पंजीयक द्वारा आर्टिकल 44(ईई)(ii) के तहत अचल सम्पत्ति को बिना प्रतिफल प्राप्ति के विक्रय करने के लिये दिया गया मुख्यायारनामा के रूप में दस्तावेज को गलत वर्गीकृत करते हुए बाजार मूल्य ₹ 22.24 लाख पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.49 लाख प्रभारित किये गये। दस्तावेज आर्टिकल 44(ईई) के अन्तर्गत वर्गीकृत होना चाहिए था जिस पर ₹ 1.12 लाख¹⁰ मुद्रांक कर प्रभार्य था। इसके अलावा, दस्तावेज के वर्णन से पाया गया कि उक्त उद्देश्य के लिये पक्षकारों के मध्य विकास अनुबन्ध भी निष्पादित हुआ था। तथापि, विकास अनुबन्ध पर मुद्रांक कर ₹ 6.04 लाख¹¹ के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज कुल ₹ 6.67 लाख¹² का अनारोपण/कम आरोपण रहा।

¹⁰ बाजार मूल्य ₹ 22,23,971 पर 5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य मुद्रांक कर = ₹ 1,12,318
बाजार मूल्य ₹ 22,23,971 पर 2 प्रतिशत की दर से प्रभारित मुद्रांक कर = ₹ 48,930

मुद्रांक कर का अन्तर = ₹ 63,388.....अ

¹¹ ₹ 5,48,64,591 के वर्तमान बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से प्रभार्य मुद्रांक कर = ₹ 5,48,646 मुद्रांक कर + ₹ 54,864 सरचार्ज = ₹ 6,03,510.....ब

¹² कुल अ + ब = ₹ 6,66,898

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2014 तथा नवम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि छः दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये तथा शेष एक मामले में प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

5.6 साझेदारी फर्मों को अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 43(1)(सी), जो दिनांक 26 मार्च 2012 को शामिल किया गया, के अनुसार, साझेदारी के लेख्यपत्र के मामले में जहां अचल सम्पत्ति के रूप में हिस्सा अंशदान लाया गया हो, मुद्रांक कर ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स के रूप में प्रभार्य होगा।

11 उप पंजीयकों¹³ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (जुलाई 2014 तथा जनवरी 2015 के मध्य) कि साझेदारी फर्मों/कम्पनियों तथा क्रेता के मध्य 20 विक्रय विलेखों का निष्पादन हुआ जहां व्यक्तियों द्वारा पूँजी अंशदान अथवा अपने हिस्से के प्रतिफल के रूप में साझेदारी फर्म को सम्पूर्ण भूमि का अंशदान किया गया। इस प्रकार, मुद्रांक कर एवं सरचार्ज प्रभार्य था परन्तु उप पंजीयकों द्वारा साझेदारी फर्मों द्वारा विक्रय विलेखों के पंजीयन के समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया तथा बाजार मूल्य ₹ 54.59 करोड़ पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 3.00 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2014 तथा फरवरी 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2015 तथा जून 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि 14 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये; एक दस्तावेज में वसूली के लिये नोटिस जारी किया गया तथा शेष पांच मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के निर्णयानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

¹³ जयपुर-II, सवाईमाधोपुर, भिवाड़ी, बड़गाँव, श्रीमाधोपुर, उदयपुर-I, उदयपुर-II, झुनझुनु, जोधपुर-III, सीकर तथा जयपुर-I।

5.7 शर्तों के उल्लंघन पर प्रदत्त मुद्रांक कर छूट की अवसूली

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स), 2010 के क्लॉज 5 के अनुसार एक उद्यमी जिसे हकदारी प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, भूमि के पट्टे अथवा क्रय के लिये निष्पादित लेख्यपत्रों पर देय मुद्रांक कर पर 50 प्रतिशत छूट का हकदार होगा। योजना के क्लॉज 3 के अनुसार योजना नवीन उद्यमों एवं रूग्ण औद्योगिक उद्यमों के पुनरुत्थान एवं विद्यमान उद्यमों को आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण/विविधीकरण के लिये किये गये निवेश पर इस शर्त के साथ लागू होगी कि उद्यमों द्वारा योजना की सक्रिय अवधि के दौरान व्यावसायिक उत्पादन अथवा प्रचालन शुरू कर दिया जावेगा।

योजना के परिशिष्ट-I में योजना के तहत आर्थिक सहायता और/या छूट के लाभ के लिये अपात्र उद्यमों की सूची शामिल है। इसमें रूग्ण औद्योगिक उद्यमों को छोड़कर स्थल पर विद्यमान उद्यम पर स्थापित उद्यम शामिल है। क्लॉज 8(डी) के अनुसार जहां वाणिज्यिक कर/उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच अथवा निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि उद्यम जिसने योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लाभ के लिये पात्र नहीं है, उपयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी को रेफरेन्स किया जायेगा। रेफरेन्स की प्रमाणिकता से सन्तुष्ट होने पर कमेटी लाभ की वापसी तथा उपयोगित लाभ की 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वसूली पर यथोचित निर्णय लेगी।

उप पंजीयक बहरोड़, सांभर तथा जयपुर-III के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (अगस्त 2014 तथा नवम्बर 2014) कि तीन मामलों में क्रेताओं द्वारा मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त किया गया परन्तु वे या तो शर्तों/अपेक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहे अथवा ऐसे लाभ के लिये पात्र नहीं

थे, विवरण निम्न प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप पंजीयक का नाम	पक्षकार का नाम (दस्तावेज संख्या)	मुद्रांक कर व सरचार्ज की राशि	टिप्पणी
1.	बहरोड़	मैसर्स सिद्धि मल्टी ट्रेड प्रा. लि. (4308/26.7.2013)	103.99	क्रेता ने रुग्ण औद्योगिक इकाई को चलाने के लिये क्रय किया परन्तु भूमि का कुछ हिस्सा बेच दिया तथा शेष भूमि पर रुग्ण इकाई चलाये बिना विकास अनुबन्ध निष्पादित कर लिया।
2.	जयपुर-III	मैसर्स वैराइटी क्राफ्ट एक्सपोर्ट (7750/19.7.2013)	6.32	क्रेता ने स्थापित उद्यम (रुग्ण औद्योगिक इकाई नहीं) नवीन निवेश के लिये क्रय किया तथा इस प्रकार योजना के परिशिष्ट-I तथा क्लॉज 3 के तहत मुद्रांक कर में छूट मांग के लिये योग्य नहीं था।
3.	सांभर	मैसर्स ओशिया स्टील प्रा. लि. (2561/4.1.2012)	12.03	क्रेता ने इकाई स्थापित किये बिना दिनांक 19 जून 2013 को भूमि विक्रय कर दी।
योग		122.34		

इस प्रकार, योजना में वर्णित शर्तों के उल्लंघन अथवा पात्रता के अभाव के कारण लाभार्थी मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.22 करोड़ वापसी के लिये दायी थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि सभी दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये।

5.8 सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित हस्तान्तरण लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरों अथवा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों, इनमें से जो उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगा।

आठ उप पंजीयकों¹⁴ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (मई 2014 तथा फरवरी 2015 के मध्य) कि सम्पत्तियों का बाजार मूल्य कम आंका गया इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी सम्पत्तियां वाणिज्यिक/सांस्थानिक/आवासीय प्रयोजनार्थ क्रय की गयी थी अथवा ऐसी जगह पर अवस्थित थी जहां डीएलसी की उच्च दरें लागू थी। उप पंजीयकों द्वारा सम्पत्तियों की अवस्थिति अथवा विवरण के आधार पर सर्वोपयुक्त लागू होने योग्य दरों के स्थान पर निम्न दरों पर इन दस्तावेजों के द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप 15 मामलों में राशि ₹ 1.59 करोड़ मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2014 तथा जनवरी 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि पांच दस्तावेजों में उपमहानीरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये; नौ दस्तावेजों में वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा शेष एक मामले में ₹ 0.59 लाख की वसूली की गयी।

5.9 सम्पत्तियों के मूल्यांकन में दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू करने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.9.1 औद्योगिक प्रयोजन

विभागीय परिपत्र 1/2009 से प्रावधान किया गया कि दस्तावेज के निष्पादन के समय औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग अथवा परिवर्तन के मामले में मूल्यांकन औद्योगिक दर से किया जायेगा तथा रीको क्षेत्र से बाहर स्थित भूमि के मामले में डीएलसी द्वारा निर्धारित औद्योगिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा तथा यदि डीएलसी द्वारा दरें निर्धारित नहीं की गयी हैं तो मूल्यांकन समीपस्थ रीको क्षेत्र में लागू आरक्षित मूल्य अथवा डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों, जो भी अधिक हो, पर किया जायेगा।

उप पंजीयक संचार, असनावर, चाकसू तथा कोलायत के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (अक्टूबर 2014 तथा दिसम्बर 2014) कि औद्योगिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये कृषि भूमि के क्रय करने के लिये अवधि मई 2012 तथा मार्च 2014 के मध्य 21 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए। यह पाया गया कि भूमियाँ रीको क्षेत्र से पांच किमी से दूर अवस्थित थीं तथा इसलिये परिपत्र 1/2009 के प्रावधान के अनुसार औद्योगिक दर से मुद्रांक कर प्रभार्य था परन्तु उप पंजीयकों द्वारा भूमियों का मूल्यांकन कृषि तथा आवासीय दर पर किया गया। उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 116 लाख के बजाय ₹ 71.34 लाख प्रभारित किये परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 44.66 लाख की कम वसूली हुई।

¹⁴ कुरावड, उदयपुर-II, चौमू, टपूकड़ा, लूणी, निवाई, जयपुर-I तथा फलौदी।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया (नवम्बर 2014) कि उप पंजीयक श्रीमाधोपुर द्वारा तीन दस्तावेजों में औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के मूल्यांकन में निम्न दर लागू की गयी। मूल्यांकन में गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.42 लाख मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 50.08 लाख मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि 18 दस्तावेजों में वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा छः दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज किये गये।

5.9.2 कम्पनियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्रय सम्पत्तियाँ

5.9.2 कम्पनियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्रय सम्पत्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 में उल्लेख किया गया था कि सांस्थानिक प्रयोजनों जिसके लिये डीएलसी द्वारा दरें अनुशंसित नहीं की गयी हैं, के लिये भूमि के हस्तान्तरण के लेख्यपत्र पर दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल राशि अथवा आवासीय भूमि की दरों के 1.5 गुना, जो भी अधिक हो, से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 में अधिसूचना दिनांक 8 मई 2012 से प्रतिस्थापित नियम 58 के अनुसार सांस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरें आवासीय भूमि की दर के 1.5 गुण के बराबर होगी।

अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8 मई 2012 में प्रावधान किया गया कि कम्पनियों अथवा साझेदारी फर्मों द्वारा औद्योगिक, पर्यटन, आवासीय अथवा वाणिज्यिक से भिन्न प्रयोजनों के लिये क्रय कृषि भूमि की दरें इस शर्त के साथ उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर की 1.5 गुणा होगी कि ये दरें वहीं पर लागू होंगी जहां ऐसी भूमि की दरें डीएलसी द्वारा अनुशंसित नहीं की गयी हों अथवा डीएलसी द्वारा उन्हीं के लिये अनुशंसित दरें निर्धारित दरों से कम हों।

उप पंजीयक नसीराबाद, वैर तथा कानोड़ के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (जुलाई 2014 तथा अगस्त 2014) कि अवधि सितम्बर 2011 तथा जुलाई 2013 के मध्य निष्पादित छः विक्रय विलेखों में भूमियाँ कम्पनियों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्रय की गयी थी। उप पंजीयकों द्वारा सम्पत्तियों का बाजार मूल्य प्रचलित प्रावधान के अनुसार आवासीय दर के 1.5 गुण के स्थान पर दस्तावेजों में दरायानुसार/कृषि दर पर निर्धारित किया गया जैसा कि आगे विवरण दिया गया है:

(₹ लाख में)

उप पंजीयक का नाम	अधिसूचना जिसके प्रावधान का उल्लंघन हुआ	प्रकरणों की संख्या	अपनाया गया मूल्य	अपनाये जाने योग्य बाजार मूल्य यानि डीएलसी द्वारा निर्धारित दर तथा आवासीय दर का 1.5 गुणा	आरोपित मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क	आरोपणीय मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क	कम वसूली	कारण
नसीराबाद तथा वैर	9 मार्च 2011	3	13.05	190.61	0.81	11.57	10.76	1. आवासीय दर के 1.5 गुणा पर मूल्यांकन के स्थान पर दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल राशि पर मुद्रांक कर की गणना की गयी। 2. आवासीय दर के 1.5 गुणा पर मूल्यांकन के स्थान पर कृषि दर पर बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर की गणना की गयी।
कानोड़	8 मई 2012	3	9.34	650.15	0.61	37.19	36.58	आवासीय दर के 1.5 गुणा पर मूल्यांकन के स्थान पर कृषि दर पर बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर की गणना की गयी।
योग	6	22.39	840.76	1.42	48.76	47.34		

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 47.34 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014 तथा सितम्बर 2014 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि तीन दस्तावेजों में प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज कराये गये; दो दस्तावेजों में वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा शेष एक दस्तावेज में राशि वसूली की गयी।

5.10 विक्रय के लिये किये गये अनुबन्ध के साथ ही कब्जा हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2(xi) में कन्वैन्स को परिभाषित किया गया है कि विक्रय पर कन्वैन्स कहलायेगा जिसके द्वारा किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य सम्पत्ति अथवा कोई सम्पदा अथवा किसी सम्पत्ति में हित हस्तान्तरित हों अथवा किसी अन्य व्यक्ति में निहीत हों। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 के अनुसार अचल सम्पत्ति के कन्वैन्स पर मुद्रांक कर बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5(सी) के अनुसार अचल सम्पत्ति के क्रय या विक्रय के

अनुबन्ध, जहां कब्जा नहीं दिया गया हो अथवा देने की सहमति नहीं हो, पर मुद्रांक सम्पत्ति के कुल प्रतिफल के तीन प्रतिशत से प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक नाथद्वारा के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (जनवरी 2015) कि एक दस्तावेज (संख्या 1349 दिनांक 24 अप्रैल 2013) कृषि आधारित व्यापार इकाई के उद्देश्य के लिये संपरिवर्तित भूमि के लिये कब्जा रहित विक्रय अनुबन्ध के रूप में पंजीबद्ध हुआ जिस पर उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज में वर्णित राशि ₹ 29.50 लाख पर ₹ 1.27 लाख मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क प्रभारित किये गये। दस्तावेज के वर्णन में पाया गया कि भूमि के भौतिक कब्जे के हस्तान्तरण के समय सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गयी थी। इस प्रकार, दस्तावेज पूर्णतः कन्वैन्स की श्रेणी में आता था। दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं था कि भूमि प्रारम्भ में कृषि प्रोसेसिंग के लिये संपरिवर्तित हुई थी अथवा फसल विपणन के लिये। इसलिये लेखापरीक्षा द्वारा कृषि प्लॉट के लिये लागू दरों पर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया गया जिस पर ₹ 26.29 लाख मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क प्रभार्य था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.02 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज कराया गया।

5.11 बन्धक पत्र को ऋण अनुबन्ध के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 1994 से उल्लेखित किया गया कि अकृषि प्रयोजनों के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक अथवा को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित बन्धक पत्र पर प्रभार्य मुद्रांक कर ऋण राशि का एक प्रतिशत अथवा ₹100, जो भी अधिक हो, तक घटाया जायेगा।

उप पंजीयक जोधपुर-I, उदयपुर-II तथा किशनगढ़ (अजमेर) के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य) कि चार मामलों में दस्तावेजों का शीर्षक बन्धक पत्र था जिसमें ऋणियों द्वारा उनकी सम्पत्तियों को बैंक/ऋणप्रदाता कम्पनी के पक्ष में उनके द्वारा लिये गये ऋण की सुरक्षा के तौर पर इस शर्त पर बन्धक रखा गया कि ऋण राशि के भुगतान में चूक के मामले में, ऋणप्रदाता बन्धक रखी सम्पत्तियों को बेचने हेतु मुक्त होंगे। इन मामलों में बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 20.18 लाख प्रभार्य होने चाहिए थे परन्तु उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों को ऋण अनुबन्ध मानते हुए बाजार मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 2.02 लाख प्रभारित किये गये। एक अन्य मामले में जिसमें दस्तावेज का शीर्षक डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड था, उप पंजीयक द्वारा 0.10 प्रतिशत की दर पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 0.37 लाख प्रभारित यह मानते हुए किये कि

दस्तावेज ऋण अनुबन्ध का है न कि बन्धक पत्र, जिस पर बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 3.74 लाख प्रभारित होने चाहिए थे, क्योंकि दस्तावेज के वर्णन के अनुसार ऋणी द्वारा उसकी सम्पत्ति को बैंक/ऋणप्रदाता कम्पनी के पक्ष में उसके द्वारा लिये गये ऋण की सुरक्षा के तौर पर इस शर्त पर बन्धक रखा गया कि ऋण राशि के भुगतान में चूक के मामले में, ऋणप्रदाता बन्धक रखी सम्पत्ति को बेचने हेतु मुक्त होंगे। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 21.53 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2014 तथा जनवरी 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि सभी पांच मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये थे।

5.12 फार्म हाऊसों के रूप में पंजीबद्ध सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम 1 में प्रावधान है कि भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरों अथवा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों, जो भी उच्चतर हो, पर निर्धारित होगा। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा दिनांक 31 मार्च 2011 को जारी परिपत्र 5/2011 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार फार्म हाऊस के लिये जारी पट्टा अकृषि प्रयोजन का होने के कारण उनके पुनः हस्तान्तरण के मामले में आवासीय दर से मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

उप पंजीयक उदयपुर-I, उदयपुर-II तथा बड़गाँव के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (सितम्बर 2014) कि 13 मामलों में कृषि भूमि फार्म हाऊसों में संपरिवर्तन के बाद विक्रय की गयी। संवीक्षा में यह पाया गया कि उप पंजीयकों द्वारा आठ मामलों में भूमि का मूल्यांकन उनके क्षेत्र के आवासीय दर के 35 प्रतिशत पर तथा पांच मामलों में प्रतिफल राशि पर किया गया। तथापि, उक्त प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए था क्योंकि परिपत्र 5/2011 के अनुसार महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित दरें डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों से उच्चतर थीं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 23.30 लाख¹⁵ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015)। सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2015) कि 10 दस्तावेजों में प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज कराये गये तथा तीन दस्तावेजों में ₹ 2.74 लाख वसूल किये गये।

¹⁵ ₹ 630.40 लाख मूल्यांकन पर प्रभार्य मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क = ₹ 37.77 लाख

₹ 230.61 लाख मूल्यांकन पर प्रभारित मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क = ₹ 14.47 लाख

कम आरोपित मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क = ₹ 23.30 लाख

5.13 दान विलेख के अवमूल्यांकन तथा रियायती मुद्रांक कर का लाभ दिये जाने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 31 के अनुसार दान के लेख्यपत्र पर सम्पत्ति जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर कन्वैन्स के रूप में प्रभार्य होगा। अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि अधिसूचना में उल्लेखित सम्बन्धियों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेखों पर मुद्रांक कर 2.5 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।

अन्य अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 संशोधित किये गये तथा उल्लेखित किया कि सांस्थानिक प्रयोजनों जिसके लिये डीएलसी द्वारा दरें अनुशंसित नहीं की गयी हों, के लिये भूमि के हस्तान्तरण के लेख्यपत्र पर दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल राशि अथवा आवासीय भूमि की दरों के 1.5 गुणा जो भी अधिक हो, से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक अटरू (बारां) के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (नवम्बर 2014) कि एक दान विलेख के द्वारा दो बीघा भूमि इण्डियन एजूकेशन सोसाइटी, चारदाना को कॉलेज स्तर की शिक्षा प्रसार के लिये दी गयी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क आरोपण के लिये कुल मूल्य ₹ 5.75 लाख पर मूल्यांकन किया गया यद्यपि हस्तान्तरित भूमि को कॉलेज चलाने के लिये उपयोग में लिया जाना था। उप पंजीयक द्वारा भूमि के मूल्यांकन में उस क्षेत्र की आवासीय दर के 1.5 गुणा के स्थान पर ₹ 2.87 लाख प्रति बीघा कृषि दर लागू की गई। भूमि का मूल्यांकन ₹ 196.26 लाख होना चाहिये था जिस पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 11.29 लाख प्रभार्य था।

यह भी पाया गया अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार उल्लेखित व्यक्ति के पक्ष में दान के रूप में दी गई भूमि मानते हुए उप पंजीयक द्वारा ₹ 5.75 लाख पर त्रुटिपूर्ण छूट ₹ 0.15 लाख अनुमत्य करते हुए केवल मुद्रांक कर ₹ 0.21 लाख प्रभारित किये गये। भूमि न तो विनिर्दिष्ट व्यक्ति को दान दी गई थी और न ही कृषि उद्देश्य के लिये दी गई थी। इस प्रकार, गलत मूल्यांकन तथा रियायती मुद्रांक कर का लाभ दिये जाने के कारण मुद्रांक कर ₹ 11.08 लाख¹⁶ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2015)। सरकार ने जवाब में बताया (जुलाई 2015) कि उप पंजीयक द्वारा वसूली के लिये नोटिस जारी कर दिया गया।

¹⁶ 34,432 वर्गफुट के लिये डीएलसी दर ₹ 570 प्रति वर्गफुट (1.5×380 प्रति वर्गफुट) से बाजार मूल्य ₹ 1,96,26,240 पर पांच प्रतिशत से प्रभार्य मुद्रांक कर = ₹ 11,29,443 (₹ 9,81,312 मु.क. + 98,131 सरचार्ज + 50,000 पं.श.) दो बीघा भूमि के लिये डीएलसी दर ₹ 2,87,300 प्रति बीघा से बाजार मूल्य ₹ 5,74,600 पर 2.5 प्रतिशत से प्रभारित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पं.श. = ₹ 21,560 (₹ 14,370 मु.क. + 1,440 सरचार्ज + 5,750 पं.श.) कम आरोपण = ₹ 11,07,883

अध्याय-*VI*

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) प्रशासनिक प्रमुख है तथा विभाग प्रमुख आबकारी आयुक्त है। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। सम्बन्धित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियन्त्रणाधीन, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क व अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं।

6.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की अनुपालना की सुनिश्चितता करने के लिये, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है।

विगत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाइयाँ	कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15
2013-14	7	41	48	42	6	13
2014-15	6	41	47	47	0	-

वर्ष 2014-15 में लेखापरीक्षा की सभी बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त तक 627 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें 133 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेद	133	51	70	111	262	*	627

* सूचना प्रतीक्षित है।

लम्बे समय से अनुच्छेदों का बकाया रहना आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर युक्तियुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिये।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 21 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली, मदिरा की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित ₹ 62.29 करोड़ के 3,870 प्रकरण ध्यान में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'राज्य आबकारी विभाग की बकाया पर' अनुच्छेद	1	38.69
2.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	403	17.79
3.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	678	0.89
4.	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली	610	0.17
5.	अन्य अनियमिततायें	2,178	4.75
योग		3,870	62.29

विभाग ने 3,844 प्रकरणों में ₹ 10.62 करोड़ की अनियमिततायें स्वीकार की जिसमें से राशि ₹ 1.64 करोड़ राशि के 1,797 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 दौरान 2,700 प्रकरणों में ₹ 2.71 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.51 करोड़ के 668 प्रकरण वर्ष 2014-15 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

एक अनुच्छेद 'राज्य आबकारी विभाग की बकाया' ₹ 38.69 करोड़ सन्निहित राशि का तथा ₹ 9.59 करोड़ सन्निहित राशि की कुछ निदर्शी टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 6.4 से 6.8 में चर्चा की गयी है।

6.4 राज्य आबकारी विभाग की बकाया

6.4.1 परिचय

राज्य आबकारी राजस्व में शुल्क, कर, जुर्माना फीस या कम्पोजिट फीस और मदिरा, स्प्रिट, भांग, चिरे हुए डोडा पोस्त तथा ऐसी समस्त सामग्री पर आरोपणीय एकाकी विशेषाधिकार राशि जिसके आरोपण हेतु सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं, सम्मिलित है। विभागीय मांग के बावजूद उक्त राशियां जमा नहीं कराये जाने पर विभाग की बकाया सृजित होती है। 31 मार्च 2015 को, वर्ष 1967-68 से 2014-15 तक की अवधि से सम्बन्धित 201 प्रकरणों में राशि ₹ 198.73 करोड़ बकाया थी।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 40 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256 के अनुसार समस्त आबकारी राजस्व, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को आबकारी राजस्व मद में देय समस्त राशियां शामिल हैं, के बकाया के भुगतान हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अथवा उसके जमानती से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है। जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्त धाराओं में वर्णित उपबन्धों के अन्तर्गत देय राशि की वसूली हेतु अधिकृत है।

आबकारी विभाग को सम्मिलित करते हुए 'भू-राजस्व अधिनियम, 1956' के अन्तर्गत बकाया की वसूली' पर विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2002-03 में सम्मिलित किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति में विचार-विमर्श किया गया तथा सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं।

6.4.2 संगठनात्मक ढांचा

आबकारी आयुक्त, राज्य आबकारी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। इनके अधीन संभाग स्तर पर सात अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, (जोन-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा तथा भरतपुर) तथा 33 जिलों में 36 जिला आबकारी अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त दो जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) जयपुर व जोधपुर उच्च न्यायालयों में बकाया प्रकरणों की वसूली पर निगरानी करते हैं।

6.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा, बकाया की वसूली हेतु उचित एवं त्वरित कार्यवाही तथा जन लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को देखने हेतु की गयी है।

चयनित आठ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों¹ में 53 प्रकरणों का जांच हेतु चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त दो जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन)

¹ अजमेर, बून्दी, चूरू, जालोर, जोधपुर, कोटा, पाली और सिरोही।

तथा आबकारी आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई। उक्त प्रकरणों में राशि ₹ 90.63 करोड़ की बकाया निहित थी।

6.4.4 बकाया की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनानुसार 31 मार्च 2015 को राशि ₹ 198.73 करोड़ की बकाया थी। बकाया के अधिकांश भाग का सूजन वर्ष 1999-2001 में हुआ जो कि तत्समय लागू आबकारी नीति में कमियों के कारण हुआ। अवधि 2010-11 से 2014-15 के बेकाया की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	वसूली का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)	वर्ष के अन्त में राजस्व बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010-11	218.34	0.44	218.78	1.38	0.63	217.40
2011-12	217.40	31.70	249.10	17.60	7.07	231.50
2012-13	231.50	4.58	236.08	16.36	6.93	219.72
2013-14	219.72	4.53	224.25	4.42	1.97	219.83
2014-15	219.83	3.90	223.73	25.00	11.17	198.73

कुल वसूली योग्य बकाया में से वसूली का प्रतिशत मात्र 0.63 से 11.17 प्रतिशत रहा।

6.4.4.1 अवधिवार विश्लेषण: बकाया का अवधिवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

बकाया की स्थिति	प्रकरणों की संख्या	राशि	बकाया का प्रतिशत
5 वर्ष से कम पुराने	27	4.07	2.05
5 से 10 वर्ष तक पुराने	72	18.74	9.43
10 से 15 वर्ष तक पुराने	37	136.28	68.58
15 से 20 वर्ष तक पुराने	32	21.28	10.70
20 वर्ष से अधिक पुराने	33	18.36	9.24
योग	201	198.73	100.00

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कुल बकाया में से ₹ 194.66 करोड़ अर्थात् 97.95 प्रतिशत पांच वर्ष से अधिक पुराने थे। उक्त बकाया के सृजित होने का

मुख्य कारण फर्जी सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र² स्वीकार करना तथा दोषी बोलीदाताओं से जोखिम एवं लागत की वसूली में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं/समय पर नहीं करना था। विभाग द्वारा वसूली हेतु किसी प्रकार के मापदण्ड/लक्ष्य निर्धारण के अभाव में समय व्यतीत होने के साथ ही बकाया राशि वसूली करने में कठिनाई की सम्भावना है।

6.4.4.2 बकाया की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च 2014		31 मार्च 2015	
	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि
भू-राजस्व के अन्तर्गत वसूली	109	98.65	104	97.75
अपलेखन के अन्तर्गत	66	35.52	64	35.32
विभिन्न न्यायालयों में स्थगन के अन्तर्गत	40	85.66	33	65.66
योग	215	219.83	201	198.73

31 मार्च 2015 को राशि ₹ 97.75 करोड़ या बकाया का 49 प्रतिशत ‘भू-राजस्व अधिनियम’ के अन्तर्गत वसूली में था बावजूद इसके कि विभाग को दोषी अनुज्ञाधारियों का पता ठिकाना मिल गया था/सम्पत्तियों को चिन्हित किया जा चुका था। चयनित इकाइयों में राशि ₹ 44.20 करोड़ के 27 प्रकरणों की जांच में पाया गया कि सम्पत्तियों की नीलामी हेतु बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद ऐसी सम्पत्तियों की नीलामी/निस्तारण समय पर करने में विभाग विफल रहा। कतिपय प्रकरण आगामी अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधि 1967-68 से 2006-07 की सम्बन्धित राशि ₹ 35.32 करोड़ के 64 प्रकरण अपलेखन के लिये चिन्हित किये गये थे। उक्त 64 प्रकरणों में से उपलब्ध करवायी गयी 55 प्रकरणों की पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि या तो चूककर्ताओं के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी या उनके पता ठिकाना के बारे में जानकारी नहीं थी। अपलेखन के प्रकरणों पर 21 से 315 माह की अवधि व्यतीत होने के बावजूद 31 मार्च 2015 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। विभाग द्वारा 24 प्रकरण अपलेखन हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किये गये जिनमें से 19 प्रकरण विभाग को, वसूली हेतु पुनः प्रयास किये जाने की टिप्पणी सहित, सरकार द्वारा लौटाये गये। शेष पांच प्रकरण निर्णय हेतु सरकार के पास लम्बित थे (जुलाई 2015)।

² अनुज्ञाधारियों/जमानतियों की सम्पत्तियों का मूल्य दर्शाता राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।

विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि चूककर्ता अनुज्ञाधारियों/जमानतियों से वसूली के 33 प्रकरण न्यायालयों में लम्बित है। चयनित इकाइयों के न्यायालयों में लम्बित ऐसे ही 13 प्रकरणों³ की जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारियों/जमानतियों द्वारा उनकी कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी पर स्थगन प्राप्त कर लिया था। विभाग द्वारा 1 से 17 वर्ष का समय व्यतीत होने के बावजूद स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु प्रयास नहीं किये गये थे। कुछ प्रकरणों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

6.4.5 जन लेखा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य आबकारी विभाग के बकाया का उल्लेख किया गया था। जन लेखा समिति के सिफारिश प्रतिवेदनों (संख्या 98, 168 आदि) में बकाया की त्वरित वसूली हेतु सिफारिश की गई थी। बकाया हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की सिफारिश भी की गई थी।

- जन लेखा समिति की दिनांक 26 अगस्त 2010 को की गयी सिफारिशों की अनुपालना में आबकारी आयुक्त द्वारा ₹ 183.65 करोड़ की राशि के 46 प्रकरणों को चिन्हित किया गया तथा अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों⁴ को शीघ्र वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया (नवम्बर 2010)। यह पाया गया कि 31 मार्च 2015 तक 15 प्रकरणों में ₹ 8.98 करोड़ की वसूली की गयी। शेष 31 प्रकरणों में कोई वसूली नहीं हुई।
- बकाया राशि ₹ 82.82 करोड़ के 20 प्रकरणों में आबकारी एवं राजस्व विभाग के उन 53 कर्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिन्होंने या तो सम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन सत्यापित किया या आवश्यक धरोहर जमा नहीं ली या अनुज्ञापत्रों की शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर भी अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने में विफल रहे। 16 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले बन्द कर दिये गये। प्रकरण समाप्त करते हुये यह कहा गया कि 14 कर्मिकों के विरुद्ध दोष स्थापित नहीं किये जा सके तथा दो कर्मिक सेवा निवृत्त हो गये थे। चार कर्मचारियों को दण्डित किया गया। शेष 33 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण विभाग या राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित थे।

6.4.6 दोषियों की चिन्हित सम्पत्तियों की कुर्का का अभाव

यदि दोषी व्यक्ति देय राशि जमा कराने में विफल रहता है तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 228 से 257 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी उसकी चल एवं अचल सम्पत्ति को कुर्का एवं विक्रय

³ उच्च न्यायालय में नौ, एसडीएम कोर्ट में एक, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में दो, राजस्थान कर बोर्ड में एक।

⁴ जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर।

कर सकता है। यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में चूककर्ताओं की चिन्हित की गयी सम्पत्तियों को कुर्क नहीं किया गया था:

6.4.6.1 मदिरा समूह कोटा वर्ष 1999-2001 के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) के विरुद्ध ₹ 28.82 करोड़ की मांग बकाया थी। जिला आबकारी अधिकारी कोटा ने अनुज्ञाधारी के सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र में दर्शायी गयी 13 सम्पत्तियों को वर्ष 2000-01 के दौरान कुर्क किया। इसके विरुद्ध सम्पत्ति के सह-स्वामी (मैसर्स के.के. इण्डस्ट्रीज बोटलिंग प्लांट, कोटा) ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने ₹ 50 लाख की बैंक गारन्टी पर सम्पत्ति को कुर्की से मुक्ति के निर्देश दिये (20 मार्च 2002)। सह-स्वामी ने ₹ 50 लाख की गारन्टी विभाग में प्रस्तुत की (27 मार्च 2002) और तदनुसार सम्पत्ति को कुर्की से मुक्त कर दिया गया (31 मार्च 2002)। यह देखा गया कि बैंक गारन्टी 27 मार्च 2006 को अवधिपार हो गई। परन्तु विभाग ने इसके नवीनीकरण अथवा नई बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश प्राप्ति की दिनांक से एक सप्ताह में या आदेश की दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय करने के निर्देश दिये (9 दिसम्बर 2011) और तब तक याचिकाकर्ता से वसूली स्थगित की गयी।

याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 13 जनवरी 2012 को प्रस्तुत किया। जिला आबकारी अधिकारी, कोटा ने याचिकाकर्ता के प्रकरण को उसकी जिम्मेदारी तय करते हुये निर्णित किया (12 जून 2014) परन्तु बैंक गारन्टी के अभाव में राशि वसूल नहीं की जा सकी। सम्पत्ति की पुनः कुर्की व नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

6.4.6.2 मदिरा समूह अन्धेरी देवरी, अजमेर वर्ष 2007-09 और 2009-11 के दो चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री शम्भूलाल माली और श्री मिश्रीलाल) के विरुद्ध राशि ₹ 3.15 लाख और ₹ 5.02 लाख बकाया थे। जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने 2 जुलाई व 28 नवम्बर 2014 को सम्पत्तियों के कुर्की वारन्ट जारी किये। यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वृत्त निरीक्षकों को सम्पत्तियों की कुर्की हेतु स्मरण-पत्र जारी किये गये परन्तु सम्बन्धित वृत्त निरीक्षकों द्वारा वारन्ट के क्रियान्वन तथा सम्पत्तियों की कुर्की हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अगस्त 2015)।

6.4.7 कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी में देरी

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 40 के अनुसार राज्य सरकार को देय आबकारी राजस्व जो किसी व्यक्ति पर किसी अनुबन्ध के कारण बकाया हो को, वसूली के अन्य किसी माध्यम को सुरक्षित रखते हुए, प्रथमतः भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति अथवा उसके जमानती से भू-राजस्व की बकाया के रूप में या तत्समय प्रचलित अन्य किसी कानून के अन्तर्गत, लोक मांग के रूप में वसूल की जायेगी।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 239 के अनुसार कुर्क सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय की कार्यवाही 30 दिवस या विक्रय की उद्घोषणा में वर्णित अवधि में की जायेगी। सम्पत्ति के विक्रय के लिए बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जावेगा।

53 चूककर्ताओं के प्रकरणों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि ₹ 84.22 करोड़ के 30 प्रकरणों में दोषियों के पास सम्पत्तियां थीं। इनमें से नीलामी तथा अन्य माध्यमों से ₹ 12.60 करोड़ वसूल किये गये। इसमें 23 प्रकरणों में दोषियों की सम्पत्तियों की नीलामी से ₹ 8.90 करोड़ सम्मिलित थे। शेष प्रकरणों में 4 से 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद सम्पत्तियां नीलाम नहीं की जा सकी। कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:

6.4.7.1 डोडा-पोस्त समूह-हनुमानगढ़ वर्ष 1999-01 के अनुज्ञाधारियों में से एक (श्री हजारीराम पुत्र श्री सहीराम) ने कृषि भूमि तथा जयपुर में एक मकान के आधार पर राशि ₹ 42.30 लाख का सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। अनुज्ञाधारी ने एकाकी विशेषाधिकार राशि का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अनुज्ञा पत्र अवधि के अन्त में ₹ 12.18 करोड़ की बकाया एकत्रित हो गयी। अनुज्ञाधारी द्वारा दिये गये वचनपत्र के अनुसार बकाया के भुगतान से पूर्व सम्पत्ति को अन्य हस्तान्तरण अथवा भारग्रस्त करने के लिये वह स्वतंत्र नहीं था। इसके उपरान्त भी अनुज्ञाधारी ने सम्पत्ति बेच दी और क्रेता ने उप आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2006 द्वारा भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी) के अन्तर्गत रूपान्तरण करवा लिया। विभाग ने विलम्ब से सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील दायर (2008) की जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया (दिसम्बर 2009) कि विभाग सम्पत्ति के विक्रय के बारे में प्रारम्भ से सजग था क्योंकि भू-परिवर्तन के आदेश, दो संमाचार-पत्रों में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद ही प्रारित किये गये थीं। सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय के विरुद्ध विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर (2011) की जिसका निर्णय प्रतीक्षित था।

6.4.7.2 आबकारी आयुक्त ने निर्देश जारी (अक्टूबर 1988) किये कि कुर्की के पश्चात् सम्पत्ति को मूल स्वामी के कब्जे में नहीं रखा जा सकता। सम्पत्ति से होने वाली आय को राजकोष में जमा करवाना होगा।

वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह कोटा के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) की ₹ 1.60 करोड़ के सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र वाली दो सम्पत्तियां⁵ जिला आबकारी अधिकारी कोटा द्वारा अवधि 2000-01 के दौरान कुर्क की गई। यह देखा गया कि सम्पत्तियों को आबकारी विभाग के स्वामित्व में रखने के विभागीय निर्देशों के उल्लंघन में दोषियों की सम्पत्तियां 14 वर्षों का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी चूककर्ताओं के कब्जे में थीं। अभिलेखों की जांच में यह भी प्रकट हुआ कि

⁵ (1) मयूर होटल नयापुरा बस स्टैण्ड कोटा के पास (2) वाणिज्यिक प्लॉट नम्बर 8, 9 व 10 मोटर मार्केट कोटा।

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी ने कुर्क सम्पत्तियों के विक्रय हेतु 20 से अधिक नीलामी नोटिस जारी किये। यद्यपि सम्पत्तियों की नीलामी के प्रयास सफल नहीं रहे।

6.4.7.3 वर्ष 1999–2001 के मदिरा समूह बून्दी के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) के दो जमानतियों (श्री भगवान सिंह व श्रीमती रजनी डोगरा) की सम्पत्तियों को जिला आबकारी अधिकारी बून्दी द्वारा कुर्क किया गया। जमानतियों ने अक्टूबर 2000 में क्रमशः ₹ 25 लाख तथा ₹ 60 लाख की जमानत दी थी। अभिलेखों की जांच में सामने आया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवधि 2001 से 2013 के दौरान सम्पत्तियों की नीलामी हेतु लगभग 100 नोटिस जारी करने के बावजूद नीलामी में विफल रहे। जमानती राजस्थान उच्च न्यायालय चले गये (क्रमशः वर्ष 2009 व 2013 में) जहाँ न्यायालय ने निर्देशित किया (23 नवम्बर 2013) कि जमानतियों की सम्पत्तियों की नीलामी तब तक नहीं की जाए, जब तक कि जिला आबकारी अधिकारी कोटा से सम्बन्धित समान प्रकृति के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार, विभाग द्वारा दोषी अनुज्ञाधारी के दायित्व का अन्तिम निर्धारण नहीं कर दिया जाता। यह देखा गया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अनुज्ञाधारी के दायित्व का निर्धारण पूर्व में ही (27 अक्टूबर 2010) कर चुकी थी। सरकार ने दोषी के विरुद्ध ₹ 28.83 करोड़ का दायित्व तय कर दिया था। जिला आबकारी अधिकारी बून्दी ने जिला आबकारी अधिकारी कोटा से दोषी अनुज्ञाधारी के दायित्व की अन्तिम स्थिति का पता लगाने के प्रयास नहीं किये तथा सम्पत्तियों के निपटान पर उच्च न्यायालय के आदेशों को स्थगन आदेश मानते हुए नीलामी को बकाया रखा।

6.4.7.4 जिला आबकारी अधिकारी बून्दी के एक अन्य प्रकरण में जमानती (श्री बलबीर सिंह), जिसने ग्राम-डाबी कोटा में कृषि भूमि के दो टुकड़े तथा कोटा में एक आवासीय मकान के रूप में ₹ 40 लाख की जमानत दी थी, को अक्टूबर 2000 में कुर्क किया गया। अभिलेखों की जांच में देखा गया कि दो सम्पत्तियों को नीलाम (2003 व 2007) किया गया परन्तु शेष कृषि भूमि के विक्रय हेतु मार्च 2009 के पश्चात् नीलामी नोटिस जारी नहीं किये गये।

6.4.8 सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में दर्शाये गये मूल्य से कम पर नीलामी

वर्ष 1999–2001 के मदिरा समूहों के लिये दी गई निविदा सूचना की शर्त संख्या 14.1 के अनुसार अनुज्ञाधारी को दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व एकीकृत विशेषाधिकार राशि के 30 प्रतिशत के बराबर सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के प्रमाण-पत्र एवं प्रतिभूति बन्ध पत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने थे।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी (27 मई 1997) परिपत्र के अनुसार अनुज्ञापत्र जारी करते समय अनुज्ञाधारियों एवं उनके जमानतियों की सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में दर्शायी गयी सम्पत्तियों के बारे में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन

किया जाना था ताकि ऐसी सम्पत्तियों की नीलामी में प्राप्त विक्रय राशि सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में सम्पत्ति के दर्शाये गये मूल्य के समान हो।

34 सम्पत्तियों में से 11 सम्पत्तियों की नीलामी की जांच में प्रकट हुआ कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पत्तियों का मूल्य सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त सम्पत्तियों की नीलामी अखबार एवं इलैक्ट्रोनिक माध्यम से व्यापक प्रकाशन के बिना की गयी एवं आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में सम्पत्तियों के दर्शाये मूल्य (₹ 197.72 लाख) से कम मूल्य (₹ 72.59 लाख) पर उनकी नीलामी की गयी। 11 सम्पत्तियों में से 8 सम्पत्तियां उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय समिति की प्रचलित दरों (₹ 83.15 लाख) से भी कम मूल्य (₹ 57.46 लाख) पर नीलाम हुई। पांच जिला आबकारी अधिकारियों⁶ के अभिलेखों की समीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा 34 सम्पत्तियों की नीलामी में वसूल की गई राशि ₹ 1.90 करोड़ सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में सम्पत्तियों के घोषित किये गये मूल्य ₹ 4.19 करोड़ से बहुत कम थी।

6.4.9 चूककर्ता अनुज्ञाधारियों की सम्पत्तियों को पहचानने में विफलता

53 प्रकरणों के अभिलेखों की जांच से यह प्रकट हुआ कि बकाया राशि ₹ 8.95 करोड़ राशि के 12 प्रकरणों में विभाग द्वारा चूककर्ता बोलीदाताओं की सम्पत्तियों की पहचान नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा कुछ प्रकरणों में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों यथा पटवारी, तहसीलदार, जहां पर चूककर्ता बोलीदाताओं की सम्पत्ति थी या वे अन्तिम बार रहे थे, से चूककर्ता अनुज्ञाधारियों के पते एवं उनकी सम्पत्तियों की जानकारी के लिये प्रयास किये गये। यद्यपि राजस्व अधिकारियों ने सूचित किया कि चूककर्ता बोलीदाताओं की सम्पत्ति की उनके क्षेत्रों में पहचान नहीं की जा सकी। इस प्रकार इन चूककर्ताओं से कोई वसूली नहीं हो सकी एवं विभाग ने चार प्रकरणों को अपलेखन हेतु सरकार को प्रेषित किया। कुछ प्रकरणों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

6.4.9.1 जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर में वर्ष 1999-2001 के मंदिरा समूह फलौदी एवं लूणी (ग्रामीण) के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री दिलीप शर्मा) के विरुद्ध ₹ 1.61 करोड़ की मांग बकाया थी। अभिलेखों की जांच में यह प्रकट हुआ कि विभाग के पास जयपुर स्थित सम्पत्ति का ₹ 6.00 लाख का सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र था। सम्पत्ति का सीमांकन नहीं होने से जिला आबकारी अधिकारी जयपुर द्वारा सम्पत्ति नीलाम नहीं की जा सकी एवं अनुज्ञाधारी द्वारा सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र के विरुद्ध वर्ष 2005 में ₹ 6.00 लाख जमा करवाये गये जिसे जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। शेष बकाया ₹ 1.55 करोड़ की वसूली हेतु, यह ज्ञात होने के बावजूद कि वह धौलपुर का निवासी था (अप्रैल 2000),

⁶ बून्दी, चूरू, जोधपुर, कोटा और पाली।

जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर के साथ समन्वय स्थापित कर अनुज्ञाधारी की अन्य सम्पत्तियों की पहचान हेतु कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी।

6.4.9.2 जिला आबकारी अधिकारी कोटा में यह देखा गया कि वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह कोटा के एक चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) की कुर्क 13 सम्पत्तियों में से नौ सम्पत्तियों की ₹ 5.84 करोड़ में नीलामी के पश्चात् भी ₹ 20.77 करोड़ की मांग बकाया थी। सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र में दर्शाये अनुसार ₹ 7.35 करोड़ की चार सम्पत्तियां कुर्की/नीलामी हेतु शेष थी (जुलाई 2015)। अभिलेखों की जांच में आगे यह पता चला कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिले में स्थित तहसील, नगर विकास न्यास (यू.आई.टी), नगर पालिका, नगर निगम, आयकर विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, इत्यादि कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर दोषी अनुज्ञाधारी की अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों को ढूँढने के कोई प्रयास नहीं किये गये।

6.4.9.3 जिला आबकारी अधिकारी कोटा के एक अन्य प्रकरण में वर्ष 1996-97 के मदिरा समूह सांगोद, कोटा के एक चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री कैलाश चन्द काबरा) के विरुद्ध ₹ 39.68 लाख की मांग बकाया थी। यह देखा गया कि अनुज्ञापत्र जारी करते समय विभाग द्वारा कोई सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय सिक्ख संगत राजस्थान (आर.एस.आर.) के पत्र (दिसम्बर 2006) के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को चूककर्ता अनुज्ञाधारी की सात विशिष्ट सम्पत्तियों⁷ व निवेश की सूचना दी गई। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आर.एस.आर. के पत्र में इंगित सम्पत्तियों के वर्णन को दर्शाये बिना तहसीलदार लाडपुरा, नगर सुधार न्यास, नगर निगम एवं राजस्थान आवासन मण्डल कोटा से अनुज्ञाधारी की सम्पत्तियों के बारे में पूछताछ की गयी (जुलाई 2007 और जून 2009 के मध्य)। इन संस्थानों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में अनुज्ञाधारी की कोई सम्पत्ति नहीं है।

6.4.9.4 जिला आबकारी अधिकारी बून्दी में वर्ष 1996-97 के मदिरा समूह इन्द्रगढ़-लाखेरी-केशोरायपाटन बून्दी के चूककर्ता अनुज्ञाधारियों (श्री बाबू खां एण्ड पार्टी) के विरुद्ध ₹ 1.60 करोड़ की मांग बकाया थी। अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि आबकारी निरीक्षक कोटा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अनुज्ञाधारी एवं जमानती जो आपस में रिश्तेदार थे तथा जयपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू एवं नागौर जिलों में रह रहे थे। परन्तु विभाग द्वारा राजस्व प्राधिकारियों, नगरीय प्राधिकरणों, अन्य स्थानीय निकायों, इत्यादि से इन स्थानों पर रहने वाले जमानतियों अथवा दोषियों की सम्पत्तियों को खोजने का प्रयास नहीं किया गया।

6.4.9.5 सिरोही के वर्ष 2006-07 के डोडा पोस्त समूह के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि एक आवेदक (श्री रामपाल) ने एकाकी

⁷ कोटा में स्थित मकान (40'×60'), मकान (20'×60'), मकान (20'×90'), मकान (20'×50'), फर्नीचर शोरूम, बीज गोदाम (15'×50') और प्लाट (30'×60')।

विशेषाधिकार राशि ₹ 1.27 करोड़ के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया एवं ₹ 5.91 लाख का डिमांड-ड्राफ्ट बयान राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में जमा करवाया। आवेदक ने अनुज्ञापत्र का क्रियान्वन नहीं किया एवं पीछे हट गया। आबकारी नीति के अनुसार पीछे हटने वाले आवेदक को पुनः नीलामी में प्राप्त कम राशि के बराबर जोखिम एवं लागत राशि का भुगतान करना था। इस प्रकार अनुज्ञाधारी के विरुद्ध ₹ 42.11 लाख की मांग कायम की गयी (9 मई 2006)। आवेदक ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (24 मई 2006) कि उसने अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन नहीं किया था। यह देखा गया कि विभाग द्वारा बयान राशि के रूप में डिमाण्ड-ड्राफ्ट प्रस्तुत करने वाले छद्म व्यक्तियों के बारे में बैंकों से जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये।

6.4.10 स्थगन आदेश का नहीं हटाया जाना

चयनित इकाइयों के 33 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों की जांच से ज्ञात हुआ कि राशि ₹ 3.50 करोड़ 1 से 17 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में स्थगन के अन्तर्गत थी। तथापि कई वर्षों के बाद भी स्थगन आदेशों को हटाने हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये। विभाग द्वारा न्यायिक प्रकरणों में शपथ पत्रों के जवाब/अपील दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। कुछ प्रकरणों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

6.4.10.1 जिला आबकारी अधिकारी चुरु के यहां वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह सरदारशहर के तीन भागीदारों एवं छ: जमानतियों द्वारा ₹ 83.50 लाख के सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये। अनुज्ञाधारियों द्वारा भुगतान न करने के कारण अनुज्ञा अवधि के अन्त में ₹ 1.31 करोड़ की बकाया संचित हुई। एक अनुज्ञाधारी (श्री भंवरलाल) एवं दो जमानतियों (श्री जुगल किशोर एवं श्री ओमप्रकाश) की सम्पत्तियों के मालिकाना हक का सत्यापन नहीं होने के कारण एवं इन सम्पत्तियों के सह-स्वामियों द्वारा नीलामी के विरुद्ध क्रमशः उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ़, रामगढ़ सेठान एवं फतेहपुर न्यायालयों में चले जाने के कारण सम्पत्तियों की नीलामी नहीं हो सकी। सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों ने तीनों प्रकरणों में स्थगन जारी किया (2001)। यद्यपि 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है फिर भी स्थगन अभी तक प्रभावी (जुलाई 2015) था। इस प्रकार स्थगनादेश नहीं हटने के कारण ₹ 46.00 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

6.4.10.2 जिला आबकारी अधिकारी सिरोही में वर्ष 1995-97 के मदिरा समूह आबूरोड-पिण्डवारा के एक अनुज्ञाधारी (श्री अनिल कुमार) के विरुद्ध अनुज्ञा अवधि के अन्त में ₹ 23.41 लाख की बकाया थी। यह देखा गया कि श्री अनिल कुमार के विरुद्ध ₹ 23.41 लाख की मांग कायम की गयी जब वह मदिरा समूह सिरोही-रेवदर वर्ष 1997-99 का अनुज्ञाधारी था। नोटिस में यह वर्णित किया गया कि अनुज्ञाधारी के मांग की राशि जमा करने में विफल रहने पर वसूली को अवधि 1997-98 के लिए जमा धरोहर के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा।

अनुज्ञाधारी ने धरोहर की जब्ती द्वारा ₹ 23.41 लाख की वसूली के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन प्राप्त कर लिया (26 मार्च 1999)। यद्यपि न्यायालय ने मात्र धरोहर के जब्त करने पर स्थगन जारी किया, विभाग ने स्थगन को हटवाने और बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

6.4.11 गलत मांग की कायमी

तीन चयनित इकाइयों के पांच प्रकरणों में यह देखा गया कि कम मांग कायम करने के परिणामस्वरूप नीचे दिए गये विवरणानुसार राशि ₹ 65.83 लाख का बकाया कम दर्शाया गया।

6.4.11.1 चुरू के वर्ष 2002-03 के डोडा पोस्त समूह के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि एक आवेदक (श्री जगन्नाथ) ने एकीकृत विशेषाधिकार राशि ₹ 2.52 करोड़ पर अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन किया। प्रतिभूति जमा एवं सोलवेसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण, पुनः नीलामी में कम प्राप्त राशि के बराबर जोखिम एवं लागत राशि पर, अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया (12 अप्रैल 2002)। मूल बोली राशि ₹ 2.52 करोड़ के विरुद्ध पश्चात्वर्ती बोलीदाता को ₹ 1.40 करोड़ में अनुज्ञापत्र जारी कर दिया गया। प्रभारित होने योग्य राशि ₹ 1.12 करोड़ की मांग के बजाय अनुज्ञाधारी के विरुद्ध मात्र ₹ 1.03 करोड़ की मांग कायम करने के कारण राशि ₹ 0.09 करोड़ की कम मांग कायम की गयी। कम मांग कायम करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।

6.4.11.2 राजस्थान आसवनी नियम, 1976 के अनुसार आसवन अनुज्ञापत्र के समाप्त, रद्द अथवा निलम्बित होने पर आसवक, प्रभावी नियमों के अनुसार, आसवनी में बची हुयी स्प्रिट पर शुल्क अदा कर उसे हटाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विभाग द्वारा एक अनुज्ञाधारी (इन्टरलिंक बोटलिंग प्लांट, सिरोही) जिसका अनुज्ञापत्र 1 अप्रैल 2005 से नवीनीकृत नहीं किया गया था, का स्टॉक नष्ट किया गया (31 दिसम्बर 2011 एवं 7 जून 2013) एवं स्प्रिट तथा मदिरा के अन्तिम स्टॉक शेष पर आबकारी शुल्क ₹ 37.83 लाख जमा कराने का नोटिस जारी किया गया (15 अप्रैल 2013)। यह पाया गया कि बोटलिंग प्लांट में अप्रैल 2005 को उपलब्ध स्टॉक पर ₹ 77.96 लाख का शुल्क प्रभार्य था। परिणामस्वरूप ₹ 40.13 लाख की कम मांग कायमी हुई। इसी दौरान, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आगामी सूचीबद्ध होने की तिथि अर्थात् 19 मार्च 2014 तक वसूली पर स्थगन (6 मार्च 2014) जारी किया गया। अभिलेखों में प्रकरण की आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी।

6.4.11.3 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर में तीन कम्पोजिट दुकानों/समूहों⁸ को नगरीय सीमा से पांच कि.मी. से बाहर दर्शाया गया एवं अनुज्ञाधारियों द्वारा तदनुसार वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान कम्पोजिट शुल्क की राशि जमा करवायी गयी।

⁸ तबीजी (₹ 7.90 लाख) 2006-09 के लिये, ब्यावर खास (₹ 3.15 लाख) 2007-09 के लिये और पालरा (₹ 5.65 लाख) 2007-09 के लिये।

यद्यपि विभाग द्वारा अप्रैल 2010 एवं नवम्बर 2011 में की गई जांच में इन दुकानों को पांच कि.मी. के अन्दर पाया गया। आबकारी नीतियों के अनुसार इन अनुज्ञाधारियों से अधिक कम्पोजिट शुल्क वसूली योग्य था।

यह देखा गया कि यद्यपि विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से कम्पोजिट शुल्क की अन्तर राशि की वसूली की गयी परन्तु वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 का कम्पोजिट शुल्क नहीं वसूला गया। इस प्रकार ₹ 16.70 लाख की कम मांग कायमी की गयी जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि कम प्रदर्शित हुई।

6.4.12 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अनुज्ञापत्र जारी करने समय अनुज्ञाधारियों एवं उनके जमानतियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों के मालिकाना हक, मूल्य एवं स्थिति के सत्यापन नहीं करने के परिणामस्वरूप बकाया की अवसूली/कम वसूली हुई। बाकीदारों की सम्पत्तियों की पहचान करने के लिए जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा तहसील, यू.आई.टी., नगर निगम, आयकर विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल इत्यादि कार्यालयों जिनके क्षेत्राधिकार में बाकीदार की सम्पत्तियां थीं या वे जहां पर अन्तिम बार रहे थे, के माध्यम से पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये। व्यापक प्रचार के अभाव में बाकीदारों की चिन्हित की गयी सम्पत्तियों के निस्तारण के प्रयासों से वांछित लाभ नहीं मिला। नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी द्वारा विक्रय से प्राप्त आय सोल्वेंसी प्रमाण-पत्र में घोषित की गयी सम्पत्तियों की कीमत के अनुरूप में नहीं थी। विभाग ने विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में स्थगन आदेश हटवाने के लिये सार्थक प्रयास नहीं किये।

विभाग को चाहिए कि वह तहसील, यू.आई.टी., नगर निगम, आयकर विभाग राजस्थान आवासन मण्डल इत्यादि, के कार्यालयों जहां पर चूककर्ता अन्तिम बार रहा या उसकी सम्पत्ति थी, से समन्वय स्थापित करके लम्बे समय से चल रहे बकाया की वसूली के सघन प्रयास करें। विभाग को न्यायालय में लम्बित मामलों में कार्यवाही कर स्थगन आदेशों को शीघ्र हटवाने की कार्यवाही भी करनी चाहिए।

6.5 अन्य राज्यों को निर्यातित बीयर की कम सुपुर्दगी पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से बीयर की कोई भी मात्रा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना अथवा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में ब्रेवर द्वारा प्रपत्र आर.बी. 11 या आर.बी. 12 में बॉण्ड का निष्पादन किये बिना ब्रेवरी से नहीं भेजी जावेगी। बॉण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बॉण्ड में दर्शित बीयर की मात्रा निर्धारित स्थल तक नहीं पहुँच पाती है तो, ब्रेवर ऐसे किसी शुल्क की क्षति, जो सरकार को ऐसी गैर-सुपुर्दगी अथवा कम सुपुर्दगी के कारण सहनी पड़े, के लिये प्रभावी दर से शुल्क की मांग का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। नियमों में दूसरे राज्यों को प्रेषित बीयर में रास्ता क्षति एवं आयातक राज्य में शुल्क भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर एवं बहरोड़ के क्षेत्राधीन पांच ब्रेवरी⁹ द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निर्यातित बीयर के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (सितम्बर 2014 और फरवरी 2015 के मध्य) कि बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य के बाहर बीयर की निर्यात की प्रक्रिया के दौरान 95,186.96 बल्क लीटर (12,204 कार्टन) बीयर की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी। बीयर की इस मात्रा के आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 42.02 लाख के आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

ध्यान में लाये जाने के बाद (नवम्बर और फरवरी 2015), विभाग ने बताया (मार्च 2015) कि ब्रेवर द्वारा निष्पादित बोण्ड की शर्तों के अनुसार आबकारी शुल्क देय नहीं था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि बॉण्ड की शर्तों के अनुसार गन्तव्य स्थान पर कम पहुँची बीयर की मात्रा पर आबकारी शुल्क ब्रेवर द्वारा देय होगा। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

6.6 होटल बार अनुज्ञाशुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र) नियम, 1973 के नियम 3 के अनुसार होटल बार अनुज्ञापत्र के लिए होटलों को मुख्यतः तीन श्रेणियों 'लग्जरी', 'हेरिटेज' तथा 'अन्य' में विभाजित किया गया है। लग्जरी होटलों को पुनः 'पांच सितारा', 'चार सितारा' तथा 'तीन सितारा' में श्रेणीबद्ध

⁹ मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डिया प्रा. लि., बहरोड, मैसर्स दीवान मॉडर्न ब्रेवरीज लि., बहरोड, मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी, मैसर्स एरियन ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी और मैसर्स काल्सर्बर्ग इण्डिया प्रा. लि., अलवर।

किया गया है। होटल बार अनुज्ञापत्रों के लिए अनुज्ञाशुल्क की अलग-अलग दरें वर्ष या उसके भाग के लिए निर्धारित की गयी हैं।

जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर एवं अजमेर के होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियों की वर्ष 2012-13 और 2013-14 की जांच में पाया (अगस्त 2014 और नवम्बर 2014 के मध्य) कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर के क्षेत्राधीन दो होटल¹⁰ अपने स्वयं की वेबसाइट पर ‘पांच सितारा’ श्रेणी में विज्ञापित थे। अन्य दो होटल¹¹ जो कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के क्षेत्राधीन थे को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर ‘चार सितारा’ एवं ‘तीन सितारा’ में वर्गीकृत किया गया था। जबकि विभाग द्वारा इन होटलों से ‘सितारा’ श्रेणी के होटल के स्थान पर ‘अन्य’ श्रेणी के होटल का अनुज्ञाशुल्क लेकर अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण किया गया था। परिणामस्वरूप अनुज्ञापत्र शुल्क ₹ 36.50 लाख की कम वसूली रही जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारी का नाम	होटल बार अनुज्ञाधारी का नाम	होटल की श्रेणी	अवधि	देय अनुज्ञाशुल्क	वसूल किया गया अनुज्ञाशुल्क	कम वसूली
1.	अजमेर	कन्ट्री इन एण्ड सुईट्स	चार सितारा	2012-13	10.50	3.50	7.00
				2013-14	10.50	3.50	7.00
2.	अजमेर	अनन्ता स्पॉ एण्ड रिसोर्ट्स	तीन सितारा	2012-13	8.50	7.00	1.50
				2013-14	8.50	7.00	1.50
3.	जयपुर शहर	शिव विलास रिसोर्ट, कूकस	पांच सितारा	2013-14	15.50	3.50	12.00
4.	जयपुर शहर	रॉयल ऑर्किड, दुर्गापुरा	पांच सितारा	2013-14	15.50	8.00	7.50
योग					69.00	32.50	36.50

ध्यान में लाये जाने पर (सितम्बर 2014 और फरवरी 2015 के मध्य) सरकार ने बताया (मार्च 2015) कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के क्षेत्राधीन दो होटल से ₹ 17 लाख वसूल किये जा चुके हैं। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर सिटी के क्षेत्राधीन एक होटल (शिव विलास रिसोर्ट प्रा.लि.) को वसूली हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है एवं अन्य होटल (होटल रॉयल ऑर्किड) का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बकाया वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

¹⁰ शिव विलास रिसोर्ट प्रा.लि., जयपुर एण्ड होटल रॉयल ऑर्किड, दुर्गापुरा-जयपुर।

¹¹ होटल अनन्ता स्पॉ एण्ड रिसोर्ट्स, अजमेर एण्ड कन्ट्री इन एण्ड सुईट्स, अजमेर।

6.7 देशी मंदिर के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम 1956, के नियम 68 के नीचे दर्शित तालिका में अप्रैल 2011 की अधिसूचना से प्रतिस्थापित क्रम संख्या 12(ए) के अनुसार निर्माण स्थल पर अवस्थित बोण्डेड वेयर हाउस से देशी मंदिर के थोक विक्रय हेतु थोक अनुज्ञाशुल्क ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियम 68 के नीचे दर्शित तालिका के क्रम संख्या 13 में मंदिर निर्माणकर्ता द्वारा मंदिर के थोक विक्रय के लिए वार्षिक अनुज्ञाशुल्क ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष आरोपण को प्राधिकृत किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधीन डिस्ट्रिक्टरी¹² के अनुज्ञापत्र पत्रावली की मापक जांच में पाया गया कि डिस्ट्रिक्टरी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मंदिर एवं देशी मंदिर दोनों का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से किया गया था। यह राजस्थान डिस्ट्रिक्टरी नियम, 1976 के नियम 4 में दिये गये प्रावधान के उल्लंघन में था जिसमें कहा गया था कि जिस डिस्ट्रिक्टरी को भारत निर्मित विदेशी मंदिर के निर्माण का अनुज्ञापत्र प्राप्त है उसे उस परिसर में कोई अन्य प्रकार का पेय अथवा अपेय पदार्थ बनाने की अनुमति नहीं होगी। विभाग द्वारा नियम 68(13) के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए अनुज्ञाशुल्क ₹ 15 लाख विदेशी मंदिर और बीयर के थोक विक्रय के लिये वसूल किये। जबकि, इसी अवधि हेतु ₹ 15 लाख का अनुज्ञाशुल्क नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मंदिर के थोक विक्रय पर वसूल नहीं किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 15 लाख के आरोपण का अभाव पाया गया।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015)। सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अप्रैल 2015) कि नियम 68(12)(ए) के अनुसार देशी मंदिर के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क देय नहीं है क्योंकि अनुज्ञाधारी एक भारत निर्मित विदेशी मंदिर/बीयर और देशी मंदिर का निर्माणकर्ता तथा थोक विक्रेता है और उसी अनुरूप नियम 68(13) के अनुसार मंदिर के थोक विक्रय के अनुज्ञाशुल्क की वसूली की जा चुकी है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि नियम 68 के नीचे दर्शित तालिका का क्रम संख्या 12(ए) देशी मंदिर के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क वसूली हेतु प्राधिकृत करता है जबकि नियम 68(13) पहले से ही विद्यमान था। इसके अतिरिक्त इकाइयों को थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र भारत निर्मित विदेशी मंदिर/बीयर और देशी मंदिर हेतु पृथक-पृथक जारी किये जाते हैं और अनुज्ञापत्र की शर्तानुसार भण्डागार में अन्य कोई भी पेय भण्डारण के लिए अनुमत्य नहीं होगा केवल उस को छोड़कर जिस हेतु अनुज्ञापत्र जारी हुआ है। इसलिए नियम 68(12)(ए) के अनुसार इकाई से देशी मंदिर के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क वसूलनीय है।

¹² मैसर्स ग्लोबस स्प्रिट लि., बहरोड़।

6.8 विदेशी मंदिर के थोक और खुदरा विक्रेताओं से अनुज्ञाशुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 47(4) के अनुसार व्यापारियों और डीलरों को विदेशी मंदिर जिसका निर्माण एवं बोटलिंग विदेशों में हुई हो, के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र, आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर जारी किये जाते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तदनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा दो थोक विक्रेताओं, मैसर्स राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स कैन्टीन स्टोरस डिपार्टमेन्ट को विदेशों में बोतलबन्द विदेशी मंदिर जिनका प्रचलित नाम बी.आई.ओ. है, के आयात हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदान नियम, 1973 के नियम 5-ए में होटल बार/क्लब बार अनुज्ञाधारी को राजस्थान में भारत के बाहर से विदेशी मंदिर के आयात हेतु आयात अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत तथा आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के साथ अनुमति दी जा सकती है।

राजस्थान आबकारी नियमावली, 1956 के नियम 68(13-सी) (जैसा कि 1 अप्रैल 2012 को अधिसूचित किया गया) के अनुसार, बी.आई.ओ. ब्राण्ड्स के निर्माताओं या अधिकृत डीलरों द्वारा विदेशी मंदिर के स्वयं के थोक विक्रय या अन्य थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं को करने पर अनुज्ञाशुल्क 10 ब्राण्ड्स तक ₹ 6 लाख तथा 10 ब्राण्ड्स से ऊपर प्रति ब्राण्ड ₹ 10,000 प्रति वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए देय होगा।

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं जो कि होटल बार/क्लब बार अनुज्ञाधारी हैं को विदेशों में बोतलबन्द विदेशी मंदिर के आयात हेतु जारी किये गये परमिटों की जाँच में पाया गया (जून 2014 और जनवरी 2015 के मध्य में) कि दो थोक विक्रेताओं द्वारा विभिन्न डिपो पर 65 बी.आई.ओ. ब्राण्ड्स और 106 खुदरा विक्रेताओं द्वारा 2,841 बी.आई.ओ. ब्राण्ड्स वर्ष 2013-14 के दौरान आयात किये गये थे। जबकि इन थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा आयातित विदेशी मंदिर पर अनुज्ञाशुल्क को ना तो जमा करा गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.65 करोड़ अनुज्ञाशुल्क की अवसूली रही।

अवगत कराये जाने के बाद (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य), विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से बी.आई.ओ. के आयात पर राशि ₹ 22.30 लाख की वसूली कर ली गई है। बाकी वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

अध्याय-VII

कर-इतर प्राप्तियाँ

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग (डी.एम.जी.), उदयपुर की प्रशासन तथा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में पांच अतिरिक्त निदेशक, खान (ए.डी.एम.) एवं तीन अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान (ए.डी.जी.) तथा वित्त के मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, सात वृत्तों के प्रमुखों अर्थात् अधीक्षण खनि अभियन्ताओं को नियंत्रित करते हैं।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 39 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन के रोकथाम के अलावा राजस्व का निर्धारण तथा वसूली हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता विंग है जिसके प्रमुख उप महानिदेशक (सतर्कता), जयपुर है।

7.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय कार्यकलापों को प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पुस्तकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं तथा राजस्व संग्रहण के अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, व्यवस्था में कमियों के प्रति अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण राजस्व की छीजत/अपवंचना हुई। यह बिन्दु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 में भी उठाया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित 43 इकाइयों की वर्ष 2014-15 के दौरान की गई मापक जांच में 5,766 प्रकरणों में ₹ 106.32 करोड़ राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनधिकृत उत्खनन	1,121	52.45
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	183	28.73
3.	पर्यावरण प्रबन्धन राशि (ई.एम.एफ.) की अवसूली/कम वसूली	409	13.03
4.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	304	5.74
5.	अन्य अनियमिततायें	3,749	6.37
योग		5,766	106.32

वर्ष 2014-15 के दौरान, विभाग ने 1,966 प्रकरणों में ₹ 52.10 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 3.08 करोड़ के 271 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 888 प्रकरणों में ₹ 9.97 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.04 करोड़ के तीन प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निर्दर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 39.49 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों 7.4 से 7.12 में उल्लेखित किये गये हैं।

7.4 उच्चतम वैध प्रस्ताव को अस्वीकार करने से राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियमों 32 से 37 में अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिशुल्क संग्रहण ठेका प्रावधान दिये गये है। नियम 35(vi)(सी) के अनुसार प्रत्येक निविदा के साथ एक शपथ पत्र होगा, जिसमें निविदाकारों/फर्म के सभी भागीदारों/व्यक्तियों के संघ के सभी सदस्यों/कम्पनी के सभी निदेशकों या निविदाकारों/भागीदारों/व्यक्तियों के संघ के सदस्यों/निदेशकों के परिवारों के सदस्यों¹, जैसी भी स्थिति हो, पर विभाग का कोई बकाया नहीं है का उल्लेख होगा। ऐसा शपथ पत्र इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। नियम 35(ix) के अनुसार निविदा खोलने वाली समिति निविदादाता द्वारा प्रस्तुत वैध उच्चतम बोली का चयन अनन्तिम रूप से करेगी। इसके अतिरिक्त नियम 35(xii) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, अनन्तिम रूप से चयनित निविदा की, स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करेगा।

खनि अभियंता, बीकानेर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि (जनवरी 2014) खान विभाग ने खनिज बजरी आदि पर देय अधिक अधिशुल्क की वसूली हेतु दो वर्ष की अवधि (2012-14) के लिये अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिये निविदायें आमंत्रित की। निविदा खोलने वाली समिति ने रिजर्व मूल्य ₹ 10.28 करोड़ के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम निविदा राशि ₹ 13.94 करोड़ प्रति वर्ष को चयनित किया। निविदा को अनन्तिम रूप से (9 फरवरी 2012) चयनित किया गया और ठेकेदार द्वारा नियम 32 से 35 के प्रावधानों की पालना को पूरा किया गया। फलस्वरूप खनि अभियन्ता ने ठेका प्रदान करने के लिये डी.एम.जी. को ठेकेदार के नाम की सिफारिश की। हालांकि, डी.एम.जी. द्वारा नियम 35(xii) के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव को इस आधार पर निरस्त किया (30 मार्च 2012) कि निविदा प्रस्तुत करते समय एक फर्म के विरुद्ध विभाग का बकाया था जिसमें निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर की पत्नी पार्टनर थी और निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपाया।

निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर की पत्नी एक बार उपरोक्त वर्णित फर्म, जिसके विरुद्ध विभाग का बकाया था, में कभी पार्टनर थी। लेकिन बाद में रिटायरमेन्ट डीड दिनांक 31 दिसम्बर 2011 के द्वारा उसने उपरोक्त फर्म में अपने सभी हितों को त्याग दिया था। यह भी पाया गया कि डी.एम.जी. के निरस्ती आदेश (30 मार्च 2012) जारी करने के पूर्व बकाया राशि के साथ ब्याज की राशि भी (16/17 मार्च 2012) को जमा करा दी गयी थी एवं फर्म को अदेय प्रमाण पत्र जारी (19 मार्च 2012) को जारी कर दिया गया था। यह तथ्य विभाग के ध्यान में लाये गये लेकिन डी.एम.जी. द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। डी.एम.जी. के आदेश से असंतुष्ट होकर निविदादाता ने उच्च न्यायालय में अपील की जहां यह निर्णय हुआ कि निविदा का निरस्तीकरण गलत था।

¹ राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 3(xiii-b) के अनुसार परिवार में पति, पत्नी और उनके आश्रित बच्चे शामिल हैं।

उच्चतम निविदा को पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अस्वीकृत करने से अवधि 1 अप्रैल 2012 से 11 जून 2012 में वसूली योग्य राशि ₹ 2.75 करोड़ के समक्ष विभागीय नाकों से केवल राशि ₹ 89.77 लाख की वसूली हुई। डी.एम.जी. द्वारा सही निर्णय नहीं लेने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.85 करोड़² की हानि हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि निविदा को निरस्त करने का निर्णय विधिक एवं वित्तीय राय लेने के पश्चात् किया गया। विभाग द्वारा ली गयी विधिक एवं वित्तीय राय लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी। निविदा का निरस्तीकरण एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था और इससे विभाग द्वारा अधिशुल्क की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसकी पुष्टि अपील करने की सम्भावना पर विधिक राय देते समय अतिरिक्त विधि सलाहकार द्वारा भी की गयी। विधि सलाहकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं इसलिये आगे अपील के लिये यह उपयुक्त केस नहीं है।

7.5 अधिशुल्क की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37ए(ix) के अनुसार मेंगा हाईवे/चार/छह लेन सड़कों के निर्माण/नवीनीकरण एवं रेलवे लाइन बिछाने और उनकी मरम्मत में प्रयुक्त खनिजों पर ठेकेदार अधिशुल्क और/या परमिट शुल्क वसूल नहीं करेगा। ऐसे कार्यों हेतु पृथक से अल्पावधि परमिट जारी किये जायेंगे और यदि खनिज विद्यमान खानों से प्राप्त किये जाते हैं तो इसके लिये पट्टाधारकों को पृथक से भुगतानशुदा रवन्ना³ जारी किये जायेंगे।

खनि अभियन्ता, मकराना के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसम्बर 2014) कि राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक मेंगा हाईवे⁴ के निर्माण को नवम्बर 2012 में स्वीकृत किया गया। अधिशुल्क राशि का संग्रहण विभागीय स्तर पर भुगतानशुदा रवन्नाओं के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। तथापि, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार⁵ द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, मेंगा हाईवे के निर्माण में प्रयुक्त खनिज के लिये अधिशुल्क की राशि ₹ 58.05 लाख का संग्रहण किया गया। खनि अभियन्ता ने इस त्रुटि को नहीं पकड़ा एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिजों को अधिशुल्क भुगतानशुदा मानते हुए निर्धारण किया गया।

² आनुपातिक ठेका राशि ₹ 2.75 करोड़ (₹ 13,93,93,939/365 दिन × 72 दिन)- विभागीय नाकों के द्वारा की गयी वसूली ₹ 0.90 करोड़ = हानि राशि ₹ 1.85 करोड़।

³ रवन्ना का मतलब खान से खनिज को हटाने या निर्माण करने के लिये चालान।

⁴ जयपुर-नागौर वाया जोवनेर-कुचामन 63/500 किमी (भाटीपुरा) से 101/700 किमी (नारायणपुरा तिराहा)।

⁵ अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार-एक ठेकेदार जिसको एक मुश्त राशि के भुगतान पर एक निश्चित अवधि के लिये अधिशुल्क वसूली के लिये अधिकृत किया गया हो।

निर्माण कार्य ठेकेदार को अधिशुल्क राशि ₹ 58.05 लाख के अग्रिम भुगतान के पश्चात् ही खनि अभियंता द्वारा रवन्ना जारी करने चाहिए थे और राशि सरकारी लेखों में जमा की जानी चाहिये थी। राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा (मै.टन)	वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि (₹ लाख में)
1.	ग्रेवल	1,58,154	26.89
2.	सेण्ड/बजरी	13,689	2.74
3.	क्रेशर गिट्टी	1,46,888	24.97
4.	ब्लास्ट	20,269	3.45
	योग	3,39,000	58.05

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (अगस्त 2015) कि वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

7.6 खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन करने पर मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज उत्खनित करता है तो ऐसे उत्खनित खनिज पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूली योग्य होगी। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क की 10 गुणा होगी।

कार्यालय खनि अभियंता, जालौर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (मार्च 2014) कि खनन पट्टा संख्या 448/02 के पट्टाधारी (श्री नरेन्द्र कुमार) के विरुद्ध अवैध खनन की एक शिकायत प्राप्त हुई। खनि अभियन्ता, जालौर कार्यालय के वरिष्ठ फोरमेन के द्वारा जांच किये जाने पर (18 जुलाई 2012), यह पाया कि खनन पट्टाधारी द्वारा पट्टाक्षेत्र के बाहर अवैध रूप से 5,040 मै.टन खनिज ग्रेनाइट का उत्खनन किया जिसमें से 4,873 मै.टन खनिज का निर्गमन किया एवं शेष 167 मै.टन विभाग द्वारा जब्त किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज ग्रेनाइट की कीमत के लिये तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी खनि अभियन्ता द्वारा खनन पट्टाधारी को चेतना पत्र जारी नहीं किया गया, जिसकी राशि ₹ 85.28 लाख बनती है। जब्त खनिज के निस्तारण के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि पट्टाधारी को चेतना पत्र (23 जुलाई 2015) जारी किया गया।

7.7 ब्याज एवं अधिक अधिशुल्क की मांग कायमी का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी द्वारा किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपयोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के द्वितीय परिशिष्ट में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा अप्रैल 2000 एवं मार्च 2008 में निर्देश जारी कर प्रावधान किया गया कि सक्षम प्राधिकारी मासिक आधार पर खनिज के निर्गमन पर अधिशुल्क की गणना करेगा और उसकी मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही करेगा। खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने पर नियत तिथि के 60वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सरकार को देय होगा।

खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी 2015) कि सात पट्टाधारियों ने निर्गमित खनिज पर देय अधिक अधिशुल्क का भुगतान विलम्ब से किया। बकाया ₹ 21.21 लाख के विलम्ब से भुगतान करने पर खनि अभियन्ता द्वारा ब्याज की मांग कायम नहीं की गयी। इन सात प्रकरणों में से दो प्रकरणों में अधिक अधिशुल्क राशि ₹ 4.22 लाख की मांग भी कायम नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (मई 2015) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2015) कि चार मामलों में अधिक अधिशुल्क की राशि ₹ 0.08 लाख एवं ₹ 12.19 लाख की ब्याज की राशि को ‘एमनेस्टी स्कीम 2014’ के तहत जमा/समायोजन कर दिया गया है। शेष तीन मामलों में ₹ 4.14 लाख अधिक अधिशुल्क एवं ₹ 9.02 लाख ब्याज की राशि की वसूली की प्रगति अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

7.8 कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना खनिज का उत्पादन

वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के तहत खनन पट्टेधारी को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से ‘कन्सेन्ट टू ऑपरेट’ प्राप्त करनी होती है जिसमें निर्धारित अवधि में खनिज की उत्खनित की जाने वाली मात्रा तय होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986, के नियम 18(10) के अनुसार, पट्टेदार खानों के संचालन के साथ-साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं पट्टेदार के कर्मचारियों की अथवा जनसाधारण की सुविधाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त प्रचलित अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का अनुपालन करेगा।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, कोटपुतली एवं खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़ कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसम्बर 2014 एवं फरवरी 2015) कि दो खनिज मार्बल के खनन पट्टेधारियों एवं 27 चुनाई पत्थर के खनन पट्टेधारियों द्वारा 3,985 मै.टन खनिज मार्बल एवं 2.29 लाख मै.टन चुनाई पत्थर का कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना उत्खनन किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.82 करोड़ कीमत के खनिज का अवैध उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	पट्टाधारियों की संख्या	उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की दर प्रति मै.टन (₹ में)	खनिज की कीमत अधिशुल्क की दस गुण (₹ लाख में)
1.	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली	चुनाई पत्थर	27	2,29,263	22	504.38
2.	सहायक खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़	मार्बल ब्लॉक	2	3,985	195	77.71
	योग		29	2,33,248		582.09

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली के मामले में सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि बिना कन्सेन्ट के खनन या पूर्व की कन्सेन्ट टू ऑपरेट की अवधि समाप्त होने पर किया गया खनन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18 नवम्बर 2006 के अनुसार वार्षिक कन्सेन्ट शुल्क चार्ज करके चूक अवधि के लिये अगली कन्सेन्ट टू ऑपरेट जारी करते समय या नवीनीकरण करते समय नियमित किया जा सकता है। तथ्य यह है कि खान विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य कोई समन्वय नहीं था और प्रदूषण बोर्ड के अनुमोदन के बिना खनन कार्य किया गया।

7.9 खनन योजना के बिना अप्रधान खनिज का उत्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37(बी) के अनुसार खनन पट्टा, क्वारी अनुज्ञापत्र या अल्प अनुमति पत्र देने से पहले खनन योजना बनाकर प्रस्तुत करना पूर्व शर्त है। आगे नियम 37जी(1) के अनुसार विद्यमान पट्टेधारक अनुमोदित खनन योजना/स्कीम के अनुसार खनन कार्य चालू रखेंगे। ऐसे खनन पट्टेधारियों को नियम लागू होने की दिनांक (19 जून 2012) से एक वर्ष की अवधि के अन्दर खनन योजना/स्कीम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

कार्यालय सहा. खनि अभियंता, कोटपुतली, खनि अभियन्ता, बृन्दी-I एवं खनि अभियन्ता, झुन्झुनु कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसम्बर 2014,

जनवरी 2015 एवं मार्च 2015) कि दिनांक 19 जून 2012 को 65 खनन पट्टेधारी प्रभाव में थे। इन खनन पट्टेधारियों को 18 जून 2013 तक खनन योजना प्रस्तुत करनी थी जिसे उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद नियमों के उल्लंघन में खनन पट्टेधारियों को खनिज उत्खनन करने दिया गया। विभाग ने ₹ 15.56 करोड़ के 5.88 लाख मै.टन चुनाई पत्थर एवं सैण्ड स्टोन को निर्गमन करने के लिये रवन्ना भी जारी किये जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	खनन पट्टों की संख्या	उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की दर प्रति मै.टन (₹ में)	खनिज की कीमत अधिशुल्क की 10 गुणा (₹ लाख में)
1.	बून्दी खण्ड-I	सैण्ड स्टोन	28	35,788	95	339.99
2.	झुन्झुनु	चुनाई पत्थर	11	1,73,321	22	381.31
3.	कोटपुतली	चुनाई पत्थर	26	3,79,268	22	834.39
योग			65	5,88,377		1,555.69

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली एवं खनि अभियन्ता, झुन्झुनु के मामले में सरकार ने अवगत (जुलाई 2015) कराया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 18(21) के अनुसार वार्षिक स्थिर भाटक के दो गुणा की शास्ति लगायी जा सकती है। खनि अभियन्ता, बून्दी-I के मामले में बताया गया कि रवन्ना प्राप्त करके नियमानुसार खनिज का निर्गमन किया गया था और इसलिये इस प्रकार किया गया निर्गमन किसी भी तरह से अवैध की श्रेणी में नहीं आता।

हालांकि, उपरोक्त मामलों में इस बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया कि बिना खनन योजना के अनुमोदन के, जो कि खनन गतिविधियों को चलाने के लिये एक पूर्व शर्त थी, रवन्ना जारी क्यों किया गया। इसमें पर्यावरणीय पक्ष शामिल होने के कारण विभाग को खनन योजना के अनुमोदन के पश्चात् ही रवन्ना जारी करने पर विचार करना चाहिए।

7.10 पर्यावरण प्रबन्धन कोष की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19 जून 2012 के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में नियम 37 टी(5) जोड़ा, जिसके अनुसार कोटा एवं झालावाड़ जिलों के मार्बल, ग्रेनाइट और चूना पत्थर (आयामी पत्थर) के प्रत्येक खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी ₹ 10 प्रति टन की दर से एवं अन्य खनिजों के पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि परमिट धारी ₹ पांच प्रति टन की दर से पर्यावरण प्रबन्धन कोष (ई.एम.एफ.) राशि के रूप में जमा करवायेगा। दिनांक 9 अक्टूबर 2012 से साधारण मिट्टी पर दर को ₹ पांच प्रति मै.टन से घटा कर ₹ एक प्रति मै.टन

किया गया। पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अनुसार पर्यावरण रोकथाम कार्य में इस्तेमाल करने के लिये ई.एम.एफ. की आवश्यकता थी। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2015 से इन प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया एवं यह आदेश दिया कि इन नियमों को आगे लागू नहीं किया जावेगा। फिर भी यदि कोई ठेकेदार/पटेधारी, उपभोक्ता या खनिज ले जाने वाले से ई.एम.एफ. राशि वसूली कर लेता है तो वह उस राशि को रखने का अधिकारी नहीं है एवं उसे सरकारी लेखों में जमा कराना चाहिए। ई.एम.एफ. राशि का संग्रहण नहीं करना अथवा संग्रहण के उपरान्त भी राजकोष में जमा नहीं करवाने के कुछ मामले आगे वर्णित हैं:

7.10.1 लोक निर्माण के ठेकेदारों से पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली

खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया (नवम्बर 2014) कि 28 ठेकेदारों ने 4.54 लाख मै.टन ग्रेवल, चुनाई पत्थर एवं मिट्टी एवं 2.75 लाख मै.टन साधारण मिट्टी के अग्रिम अधिशुल्क का भुगतान कर अल्पावधि परमिट प्राप्त किये। खनि अभियन्ता द्वारा उक्त खनिजों पर देय ई.एम.एफ. की राशि वसूल नहीं की जो कि गणना करने पर ₹ 25.47 लाख बनती थी। इसी प्रकार खनि अभियन्ता, टोंक के अभिलेखों की जांच में पाया गया (जनवरी 2015) कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मोडन रोड मेकर्स प्राइवेट लि. को सड़क निर्माण⁶ का कार्य आवंटन (14 अक्टूबर 2009) किया। आगे यह भी पाया कि ठेकेदार को 11.60 लाख मै.टन साधारण मिट्टी के लिये अवधि 21 जून 2012 से 28 जून 2012 तक अल्पावधि परमिट ई.एम.एफ. की राशि ₹ 58 लाख का भुगतान किये बिना जारी किये गये। इसके अलावा सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया (फरवरी 2014) कि तीन लोक निर्माण ठेकेदारों (जून एवं जुलाई 2012) ने 90,600 मै.टन ग्रेवल, चुनाई पत्थर, आदि एवं 1,70,000 मै.टन साधारण मिट्टी के अल्पावधि परमिट अग्रिम अधिशुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये। खनि अभियन्ता द्वारा उक्त खनिजों पर देय ई.एम.एफ. की राशि वसूल नहीं की जो ₹ 13.03 लाख बनती थी। इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि ₹ 96.50 लाख थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया (मई एवं जून 2015) गया। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि चार प्रकरणों में खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा ने तथा एक प्रकरण में सहायक खनि अभियन्ता, टोंक ने क्रमशः राशि ₹ 2.68 लाख एवं राशि ₹ 11.60 लाख वसूल कर लिये। इसके अतिरिक्त सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ के प्रकरण में सरकार ने बताया कि 18 सितम्बर 2012 को जारी निर्देशों के तहत ई.एम.एफ. राशि की वसूली लोक निर्माण विभाग द्वारा कर ली जावेगी।

⁶ पैकेज-II- 63 से 114 किमी एन.एच.-12 के जयपुर से देवली खण्ड के फौर लेन के निर्माण का कार्य।

7.10.2 पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली

छ: खनि अभियन्ता/सहायक अभियन्ता कार्यालयों के मांग पंजिका, अधिशुल्क निर्धारण पत्राबलियां एवं मासिक विवरणियों की जांच में पाया (सितम्बर 2013 से मार्च 2015) कि पट्टेधारियों, ईट मिट्टी के परमिटधारकों एवं अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों से ई.एम.एफ. राशि ₹ 1.61 करोड़ वसूल नहीं किये या कम वसूल किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	अवधि		खनिज की मात्रा (मै.टन)	ई.एम.एफ. (₹ लाख में)
			से	तक		
1.	खनि अभियन्ता, बून्डी-I	सैण्डस्टोन	19.6.2012	22.3.2013	6,23,079	31.15
2.	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा	मार्बल	19.6.2012	31.3.2013	33,049	3.30
		ग्रेनाइट	19.6.2012	31.3.2013	380	0.04
		चुनाई पत्थर	19.6.2012	31.3.2013	2,121	0.11
		चूनापत्थर	19.6.2012	31.3.2013	2,91,873	14.59
3.	खनि अभियन्ता, झुन्झुनु	ईट-मिट्टी	19.6.2012	31.3.2014	4,09,175	20.46
		चुनाई पत्थर	19.6.2012	31.3.2013	3,54,433	17.72
4.	खनि अभियन्ता, जालौर	ग्रेनाइट	19.6.2012	31.3.2013	1,36,619	13.66
5.	खनि अभियन्ता, सीकर	ईट-मिट्टी	19.6.2012	31.3.2013	8,82,150	44.11
6.	खनि अभियन्ता, धौलपुर	सैण्डस्टोन	19.6.2012	29.10.2012	2,84,730	14.24
		चुनाई पत्थर	19.6.2012	29.10.2012	34,460	1.72
योग						161.10

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (अगस्त 2015) कि पांच प्रकरणों⁷ में ₹ 46.53 लाख वसूल कर लिये गये हैं।

⁷ खनि अभियन्ता, बून्डी-I, झुन्झुनु, जालौर, सीकर, एवं सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा।

7.11 अवैध उत्खनन एवं निर्गमन पर खनिज की कीमत की मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तो ऐसे उत्खनित खनिज के उपयोग अथवा निर्गमन पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूली योग्य होगी। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों जैसे पचनामों⁸ की जांच में पाया गया (अक्टूबर 2014) कि अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2013 के दौरान सात मामलों में अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की कीमत की वसूली हेतु खनि अभियन्ता द्वारा दोषियों को चेतना पत्र जारी किये गये। परन्तु दोषियों द्वारा खनिज की कीमत जमा नहीं करायी गयी। खनि अभियन्ता द्वारा केवल तीन प्रकरणों में खनिज की कीमत की मांग कायम करने हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता को प्रस्ताव प्रस्तुत किये लेकिन शेष चार प्रकरणों के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे सभी सातों प्रकरणों में एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इन दोषियों के विरुद्ध राशि ₹ 19.12 लाख की मांग कायम नहीं की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या	खनिज का नाम	अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की दर प्रति मै.टन (₹ में)	खनिज की कीमत (₹ लाख में)
1.	1	ईट मिट्टी	4,769	18	8.58
2.	2	चुनाई पत्थर	280	17	0.48
3.	4	सैण्ड स्टोन	875	115	10.06
योग					19.12

ध्यान में लाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, करौली ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (नवम्बर 2014) की मांग कायम कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (फरवरी 2015) किया गया। विभाग ने बताया (मई 2015) कि एक प्रकरण में खनि अभियन्ता, करौली ने मांग कायमी के अनुमोदन के लिये एक प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर को प्रेषित किया एवं शेष छः प्रकरण विभागीय जांच में हैं।

⁸ अवैध उत्खनन के सम्बन्ध में तत्स्थान पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा बनाया गया सत्यापन नोट।

7.12 ईट मिट्टी की कीमत की कम मांग कायमी/मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65ए के अन्तर्गत दिनांक 10 जून 1994 को जारी अधिसूचना के अनुसार ईट भट्टे के मालिक ईट बनाने के लिये, ईट-मिट्टी के लिये अनुमति प्राप्त करेंगे। अनुमति कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष के लिये दी जायेगी। अधिशुल्क की वसूली उपयोग में आने वाली मिट्टी की मात्रा की निर्धारित विधि ($150 \text{ दिवस} \times 3.5 \text{ मै.टन} \times \text{घोड़ियों की संख्या}$) के आधार पर गणना कर वार्षिक मै.टन ईट मिट्टी पर देय होगी। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तो ऐसे उत्खनित खनिज पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूली योग्य होगी।

खनि अभियन्ता जयपुर, अजमेर एवं भरतपुर के कार्यालयों के अधिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जून 2013 से अक्टूबर 2014 के दौरान) कि 52 ईट भट्टों के मालिकों द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए एवं अधिशुल्क का भुगतान किये अवैध रूप से ईट मिट्टी का उपयोग किया गया। यद्यपि, विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान वास्तविक रूप से तत्स्थान पर पाई गयी ईटों की मात्रा के आधार ₹ 1.57 करोड़ की मांग कायम की, जबकि वसूली योग्य राशि की गणना ₹ 13.48 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.81 करोड़ की कम वसूली हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	पंचनामों का माह	वसूली योग्य कीमत	विभाग द्वारा की गयी मांग कायमी	कम मांग कायमी
1.	खनि अभियन्ता, जयपुर	39	मई 2012 से जुलाई 2012	1,041.39	130.63	910.76
2.	खनि अभियन्ता, अजमेर	5	अप्रैल 2012 से नवम्बर 2012	102.91	14.68	78.88
3.	खनि अभियन्ता, भरतपुर	8	मई 2013 से फरवरी 2014	203.18	11.90	191.28
योग		52		1,347.48	157.21	1,180.92

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (जुलाई 2015) कि खनि अभियन्ता, अजमेर एवं खनि अभियन्ता, भरतपुर के मामले में वसूली के लिये चेतना पत्र जारी कर दिये गये। जबकि खनि अभियन्ता,

जयपुर के मामले में यह कहा कि तकनीकी स्टाफ को निरीक्षण के दौरान तत्स्थान पर पाई गयी खनिज की मात्रा के आधार पर मांग कायम की गयी एवं यह माना जाना सही नहीं है कि भट्टा पूरे साल चला। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि तत्स्थान पर पाई गयी खनिज की मात्रा की मांग कायम करते समय यह ध्यान में नहीं रखा गया कि खनिज की मात्रा पहले भी उत्खनित कर भट्टे में उपयोग में लेकर निर्गमित की जा चुकी थी।

एस. आलोक

(एस. आलोक)

महालेखाकार

जयपुर

दिनांक 26 फरवरी 2016

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 02 मार्च 2016

